खण्ड-192, अंक-4
गुरूवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(27 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार २७ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद, कुरील श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पढबरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायक सिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह,राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (दवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विष्णु नारायण इण्टर कालेज, लखनऊ के कुछ अध्यापकों का निलम्बन

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विष्णु नारायण इंटर कालेज, लखनऊ का गत वर्ष क्या परीक्षा फल रहा ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

	सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या
इंटरमीडियट	१७	७
हाईस्कूल	६७	११

**२—श्री प्रतापसिंह— क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त कालेज की प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य और दो अध्यापकों को सस्पेंड (Suspend) किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

(अ) विद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री प्यारे लाल पान्डेय को संस्था के प्रबन्धक ने ११-११-१९५७ को निलंबित कर दिया था। परन्तु विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने ५-१-१९५८ के प्रस्ताव द्वारा उनको पुनः नियुक्त कर लिया है।

(ब) विद्यालय के दो अध्यापकों सर्वश्री एस० सी० सिंह नेगी एवं राम नरेश शर्मा की सेवायें विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने समाप्त कर दी हैं।

**३—श्री प्रतापसिंह—क्या यह भी सही है कि निकाले हुये अध्यापकों को फिर से रखने का आदेश प्रबन्ध समिति को डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन, उत्तर प्रदेश ने दिया है ? यदि हां, तो इस पर प्रबन्ध समिति ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश— जी हां।

प्रबन्ध समिति ने अभी तक उन दोनों अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति नहीं की है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि असंतोषजनक परीक्षाफल का कारण वहां की प्रबन्ध समिति का मिसमैनेजमेंट और उसके कारण वहां पर क्वालिफाइड अध्यापकों का न होना है ?

श्री कैलाश प्रकाश— जी नहीं। इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसके कारण की कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी।

श्री प्रतापसिंह— क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है वहां का परीक्षाफल इतना असंतोषजनक है, इसकी जांच शीघ्रातिशीघ्र हो ?

श्री कैलाश प्रकाश— जी हां। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो कोशिश की जायगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस कालेज की मैनेजिंग कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष— यह बिलकुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। मैं उसके बारे में अधिक प्रश्न नहीं करने दूंगा।

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसका नतीजा भी खराब हो और जिसके अन्दर टीचरों के मामले में गोलमाल किया गया हो क्या उसको कंट्रोलर के सुपुर्द करने का सरकार का इरादा है?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है। उन्होंने अभी जांच नहीं की।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)— क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नियमों के अनुसार सरकार के आदेश के पालन न करने के कारण प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश— श्रीमन्, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह बताया जा चुका है कि नियमों के अनुसार यदि किसी विद्यालय का प्रबन्ध ठीक न हो, उससे असंतुष्टि हो, तो उनको जो अनुदान दिया जाता है उसके विषय में विचार किया जा सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे— तो क्या सरकार इस कालेज के कार्य को देखते हुये और यह देखते हुये कि सरकार की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्यवाही करता है उसके अनुदान के रोकने या घटाने के बारे में विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश— मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके विषय में जांच-पड़ताल हो रही है। यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है इसलिये बहुत ब्योरे की सूचना देना इस समय कठिन है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में अगर मैनेजिंग कमेटी न माने तो उनकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है?

श्री कैलाश प्रकाश— जी हां, मान्यता देने का या मान्यता समाप्त करने का अधिकार माध्यमिक परिषद् को है।

नगरपालिकाओं का चुनाव शीघ्र कराने की मांग

**४.—श्री प्रतापसिंह— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनका चुनाव सन् १९५२ से आज तक नहीं हुआ है?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री राम स्वरूप यादव)—पांच नगरपालिकायें— ये हैं "कवाल नगर" (kaval towns) कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ — जिनमें कि कारपोरेशन बनने जा रहा है।

**५.—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि नगरपालिका अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर का चुनाव कब होगा?

श्री रामस्वरूप यादव— नैनीताल नगरपालिका का चुनाव अभी अक्टूबर, १९५७ में हो चुका है तथा वहां ३० नवम्बर, १९५७ से नया बोर्ड निर्मित हो गया है। हल्द्वानी नगरपालिका का चुनाव मार्च, अप्रैल, १९५८ में तथा रामनगर नगरपालिका का चुनाव अप्रैल-मई, १९५८ में करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अल्मोड़ा नगरपालिका का चुनाव अप्रैल, १९५८ में कराने का विचार है।

श्री प्रतापसिंह— क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कवाल टाउन्स जिनका जिक्र अभी किया गया। सन् ५२ से अब तक क्यों नहीं कारपोरेशन के रूप में बनाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव— कारपोरेशन बिल पहले तैयार नहीं था। अब तो वह प्रवर समिति से सदन के सामने आ चुका है। जब पास हो जायगा तब चुनाव हो जायेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)— क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद नगरपालिका का चुनाव कब से नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव— श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है। लेकिन १९५२ से पहले ही कभी चुनाव हुआ होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी— क्या यह सही है कि कवाल टाउन्स के अलावा नैनीताल, रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी इन नगरपालिकाओं के अलावा कुछ ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड भी हैं जो सुपरसीडेड हैं और उनका चुनाव नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव— जी हां, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीडेड हैं, जहां चुनाव नहीं हुआ है। बलिया म्युनिसिपल बोर्ड डिजाल्व हो चुका है और उसका भी चुनाव नहीं हुआ है और इसके अलावा कुछ और म्युनिसिपल बोर्ड भी ऐसे हैं जिनका टर्म अभी नहीं खत्म हुआ था, उनका भी चुनाव नहीं हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)— क्या सरकार को यह मालूम है कि आगरा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव २० वर्ष से नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव— हां, यह शायद सही है।

श्री रामायण राय (जिला बलिया)— देवलिया के बारे में आपने बताया कि उसका चुनाव नहीं हुआ तो उसका चुनाव कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—बलिया में चुनाव जल्दी करने का प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन वहां पर कुछ डिलिमिटेशन का भी झंझट है और कुछ गांव सभाओं का भी झंझट है कि वह बलिया म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर रखी जायं या बाहर रखी जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)— क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका का चुनाव कब तक करा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव— गोरखपुर का सुपरसेशन का समय ५ मई, सन् १९५८ तक है। उस समय देखा जायगा कि आया चुनाव कराना मुनासिब होगा या सुपरसेशन का समय बढ़ाना मुनासिब होगा ?

श्री प्रतापसिंह— क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में कहा गया कि मार्च, अप्रैल में हल्द्वानी का चुनाव होगा और रामनगर का मई में होगा तो क्या माननीय मंत्री जी निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव— तिथि अभी निश्चित नहीं है। लेकिन जैसा अभी कहा गया कि मार्च, अप्रैल में कराया जायगा तो उसी महीने में कराने का प्रयत्न किया जायगा।

खटीमा, जिला नैनीताल में टाउन एरिया स्थापित करने की प्रार्थना

**६—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार खटीमा (नैनीताल) में टाउन एरिया बनान जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खटीमा के नागरिकों का एक आवेदन-पत्र सरकार के पास आया है कि शीघ्रातिशीघ्र वहां टाउन एरिया बना दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो अभी निवेदन किया इसी वजह से कि प्रश्न विचाराधीन है। वहां के लोग चाहते हैं कि टाउन एरिया बना दिया जाय।

तारांकित प्रश्न

खीरी जिले में ओला पीड़ितों को लगान में छूट देने की प्रार्थना

*१—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में इस वर्ष कितने गांवों का कितना रकबा ओलाबारी से प्रभावित हुआ ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जिला खीरी में इस साल १ जुलाई, १९५७ ई० से अब तक ४७ गांवों का २३,१५३.०८ एकड़ रकबा ओलाबारी से प्रभावित हुआ है।

*२—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन ग्रामों को लगान में कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह—अभी तक किसी ग्राम में मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई। ७ ग्रामों में जहां हानि रुपये में ८ आने या उससे अधिक थी छूट नियमानुसार दी जावेगी।

*३—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी के किन-किन ग्रामों में इस वर्ष ओलाबारी तथा अग्निकांड दोनों से हानि हुई तथा उन ग्रामों में लगान में कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह—ऐसे कोई भी ग्राम नहीं हैं जिनमें ओलाबारी व अग्निकांड दोनों से हानि हुई हो। अतः इस प्रकार के ग्रामों में लगान में छूट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*४-६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७-८—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में खरीफ़ की मालगुज़ारी में छूट

*९—**श्री उग्रसेन**—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ १३६५ फसली की मालगुजारी में देवरिया जिले में कितनी छूट प्रति तहसील दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह—प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार देवरिया जिले में खरीफ १३६५ फसली की मालगुजारी में छूट का अनुमानित ब्यौरा प्रति तहसील निम्नांकित है—

तहसील					छूट की अनुमानित धनराशि
					रु०
१—हाटा	..	..	..	..	२१,८७५
२—पडरौना	..	..	..	..	५४,९३२
३—सदर	..	..	..	..	६४,६१६
४—सलेमपुर	..	..	..	..	१,६०,२४६
			योग	..	३,०१,६६९

फाइनल रिपोर्ट के आने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी जावेगी।

श्री उग्रसेन——क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि तहसीलों से पहला कागज ५ लाख का बन कर आया था और बाद में जिलाधीश ने लौटा दिया कि कम छूट बनाओ ?

श्री चरण सिंह——जी नहीं, मुझे मालूम नहीं है ।

श्री उग्रसेन——क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सदर तहसील में ६४,६१६ रुपये की जो छूट मिली है वह किसी एक खास कानूनगो के सर्किल की है या पूरी तहसील की है ?

श्री चरणसिंह——जो छूट है, जिसका ब्यौरा मैंने सुनाया है, उसका मतलब यह नहीं है कि तहसील के सारे गांवों में बराबर छूट है, बल्कि जहां नुकसान ज्यादा है वहां की छूट है ।

श्री अध्यक्ष——वह पूरी तहसील के बारे में पूछना चाहते हैं ।

श्री चरणसिंह——पूरी तहसील की है लेकिन किस कानूनगो से आयी है, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री उग्रसेन——जब हाटा में खरीफ में फसल की बहुत बर्बादी हुई है तो छूट इतनी कम क्यों दी गई ?

श्री चरणसिंह——जितनी बर्बादी हुई है उसीके अनुपात से छूट दी गई है ।

श्री रामायण राय——क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि नुकसान की रिपोर्ट जिलाधीश ने कब भेजी मन्त्री जी की सेवा में और छूट देने का आदेश कब दिया गया ?

श्री चरणसिंह——बोर्ड आफ रेवेन्यू को वह लोग अपने प्रिलिमिनरी प्रिपोजल्स भेजते हैं और बोर्ड को कोई शंका होती है तो फिर जिला मैजिस्ट्रेट को भेजता है, तब फाइनल आर्डर्स जाते हैं । तो फाइनल आर्डर्स जब तक यह जवाब आया है तब तक नहीं गये थे । लेकिन सस्पेंड वह हो गई थी ।

श्री उग्रसेन——क्या मन्त्री जी के पास इस किस्म की शिकायत आयी है कि जो छूट की रकम है और जिसको मन्त्री जी कह रहे हैं सस्पेंड हो गई है, उसकी वसूली उनके अमीन अब भी लोगों को मुर्गा बना कर और जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह——मेरे पास कोई सीधी रिपोर्ट जहां तक मुझे याद पड़ता है नहीं आयी है, लेकिन इस सदन में माननीय मित्रों से रोज सुनता रहता हूं ।

टेंगरी हरिजन, निवासी गुमटही, जिला देवरिया की कथित भुखमरी से मृत्यु

*१०—श्री उग्रसेन——क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टेंगरी हरिजन ग्राम गुमटही, तहसील सलेमपुर, थाना खुखुन्दो, देवरिया के दिनांक ७-११-१९५७ की भुखमरी की सूचना पर उन्होंने संतप्त परिवार को क्या सहायता दी ?

श्री चरणसिंह——श्री टेंगरी हरिजन की मृत्यु तो अवश्य हुई पर भुखमरी से नहीं, लम्बी बीमारी के कारण । श्री टेंगरी के पास मुफ्त राशन मिलने का कार्ड था और उस पर बराबर राशन दिया गया था । उसके संतप्त परिवार को दिनांक १५-११-१९५७ को १४ सेर गल्ला और एक दरी मुफ्त सहायता के रूप में दी गई । इसके अतिरिक्त १-१-१९५८ ई० से १० सेर ८ छंटाक गल्ला प्रति सप्ताह के हिसाब से मुफ्त दिया जा रहा है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टेंगरी के मरने से पहले उसके मुफ्त राशन कार्ड पर उसे कितना गल्ला दिया गया था ?

श्री चरणसिंह---यह तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को मालूम है कि टेंगरी जो लम्बी अवधि तक बीमार था उसकी बीमारी का मुख्य कारण अन्न की कमी थी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, मुझको नहीं मालूम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह टेंगरी हरिजन किस बीमारी से बीमार था और किस तारीख को उसकी मृत्यु हुई ?

श्री चरणसिंह---तारीख तो सवाल में दी हुई है कि ७ नवम्बर को उसकी मृत्यु हुई और कब तक उसको गल्ला मिला इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि जो योजना थी उसके मुताबिक उसको गल्ला मिला । गालिबन वह योजना १५ अक्टूबर तक थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बीमारी क्या थी ?

श्री चरणसिंह---मुझको नहीं मालूम है कि बीमारी क्या थी ।

श्री रामायण राय---टेंगरी के मरने से कितने दिन पहले तक मुफ्त राशन कार्ड पर उसे गल्ला दिया गया और कितना गल्ला दिया गया ?

श्री चरणसिंह---इसका जवाब दे चुका हूं । कलेक्टर का जो जवाब आया है उसमें यह तफसील नहीं है । पहले मेरा विचार था कि यह तफसील मालूम करा लूं लेकिन उस में सवाल को मुल्तवी कराने की बात थी । माननीय सदस्य अगर चाहते हों, तो यह मालूमात करा लूंगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---टेंगरी के मरने के समय उसके घर में कितना गल्ला मौजूद था ?

श्री चरणसिंह---इसकी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई । जब मरा था तो कलेक्टर वहां मौजूद नहीं था । इसलिये कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो कुछ जानकारी उस सम्बन्ध में है वही माननीय मन्त्री जी बतला दें ।

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं कि जो चिट्ठी आयी है उसे पढ़कर सुना दें ?

श्री गौरीशंकर राय---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---बड़ी न हो तो माननीय मन्त्री जी पढ़ दें ।

श्री चरणसिंह---कलेक्टर का यह खत है ४ फरवरी का, इसमें लिखा हुआ है :---

"From The Collector, Deoria to The Sachiv to Government, Uttar Pradesh, Rajasva (ABHAV) Vibhag, Lucknow.

No. 1202/Scarcity, Dated Deoria, February 4, 1958.

Subject:——Assembly Question no. 10 tabled by Sri Ugra Sen Singh regarding starvation death in village Gumtahi, tahsil Salempur.

With reference to G. E. No. 15 AQ/IS, dated January 20, 1958, on the subject noted above , I am to enclose herewith the draft replies, in duplicate, in Hindi to the above noted Assembly questions.

2. For the purposes of answering possible supplementary questions, I am to say that Sri Tengri died a natural death due to protracted illness. The name of the deceased finds place in the list of destitu'es. Apration card for free supply of ration was issued to him and he drew food grains weekly. It is, therefore, clear that he did not die of starvation Even after his death free ration at the rate 10 seers 8 chhs. per week is being supplied to his family On the same card since the start of the present scheme."

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि टेंगरी हरिजन के मरने के ७ दिन बाद ही उसके लड़के की भी मृत्यु हो गयी और दोनों की मृत्यु का कारण गांव रजिस्टर में भुखमरी लिखा हुआ है ?

श्री चरणसिंह---मुझको नहीं मालूम है । माननीय मित्र को भी जनवरी में मालूम हुआ था कि नवम्बर में मर गया ।

***११---श्री मुक्तिनाथ राय**---[नवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला गजेटियरों के पुनस्संस्करण की योजना

***१२---श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला गजेटियरों के पुनः निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य सम्पन्न होगा और इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री चरणसिंह---हां । प्रदेश के जिला गजेटियरों के पुनस्संस्करण का कार्य हो रहा है । इस कार्य में ५, ६ साल लगने का अनुमान है । ३१ मार्च, १९५८ तक इस योजना पर करीब ५,२९,००० रुपया व्यय हो चुकेगा । आगे होने वाले खर्च का अनुमान अभी नहीं किया जा सकता है ।

***१३---श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस योजना में केन्द्रीय सरकार का भी कोई भाग है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चरणसिंह---हां । केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि यदि प्रदेश के गजेटियर उनके द्वारा स्वीकृत कर लिये जायेंगे तो वे खर्च का ४० प्रतिशत भार वहन करेंगे ।

फतेहपुर तथा रायबरेली ज़िलों का सरहद्दी झगड़ा

***१४---श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार के पास इस समय के फतेहपुर और रायबरेली जिलों के सरहद सम्बन्धी झगड़ों की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और राजस्व परिषद् की रिपोर्ट आने पर जल्द से जल्द तय किया जायगा ।

श्री गुप्तारसिंह---फसल के बोने के पहले झगड़ा होता है, तो क्या सरकार उससे पहले सितम्बर तक प्रयास करेगी कि यह मामला तय हो जाय ?

श्री चरणसिंह---कोशिश तो हम यह करेंगे कि उससे पहले तय हो जाय, लेकिन यह काफी झगड़ातलब मामला है । दोनों कलेक्टरों ने मिलकर रिपोर्ट दी है । उस पर बोर्ड आफ रेवेन्यू से गवर्नमेंट ने कहा है कि पूरा नक्शा इन गांवों का मय खेत वगैरह के सब दिखला कर भेजें । उसको एक्जामिन करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा ।

श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)---क्या माननीय माल मन्त्री जी को पता है कि फतेहपुर जिले के गांव देवभई, कुटिया, रावतपुर के काश्तकार अब भी मौजूद हैं और वह बहुत दिनों से जोतते चले आ रहे हैं और अब भी जोतते हैं ?

श्री चरणसिंह---यह झगड़ा तो यों ही साबित हो रहा है। दोनों जिलों के कलेक्टरों से जो रिपोर्ट आई है वह यह है कि जो गांव कट गये हैं फतेहपुर के और रायबरेली की सीमा में आ गये हैं वह रायबरेली में ही समझे जायं, जहां शामिल थे उसमें माने जायं और जो लोग पहले से मालिक थे वही उसके मालिक रहें। उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है और वह बोर्ड आफ रेवेन्यू के जरिये से एग्जामिन हो रही है।

हसायन ब्लाक, जिला अलीगढ़ के नलकूप तथा विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१५---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसायन ब्लाक (अलीगढ़) में कितने नलकूप बन चुके हैं तथा कितने बनने वाले हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---हसायन ब्लाक में चार नलकूप बन चुके हैं, और अब कोई बनना शेष नहीं है।

*१६---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने नलकूपों ने काम करना शुरू कर दिया है और कितनों ने नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विद्युत् विभाग द्वारा इन नलकूपों के लिये विद्युत् का प्रबन्ध हो जाने पर चारों काम करने लगेंगे। अभी इनमें से किसी ने काम करना शुरू नहीं किया है।

*१७---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसायन जिला (अलीगढ़) विकास क्षेत्र के विकास अधिकारी के विरुद्ध डेवलपमेंट कमिश्नर के पास शिकायतें आई थीं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। जांच कराने पर शिकायतें निराधार निकलीं।

रायबरेली जिले के हाकिम परगना डलमऊ के यात्रिक भत्ते पर आपत्ति

*१८---श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के हाकिम परगना, डलमऊ को जनवरी, १९५७ से २८ अगस्त, १९५७ तक कितना रुपया डलमऊ के यात्रिक भत्ते का मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३०६ रुपया।

*१९---श्री गुप्तारसिंह---क्या यह सही है कि जिस दिन हाकिम परगना प्रति सप्ताह डलमऊ जाते हैं उस दिन को भी रायबरेली में तारीख मुकदमों वालों की दी जाती है, जो अधिकतर अदम मौजूदगी हाकिम परगना के घर वापस जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह सही नहीं कहा जा सकता।

श्री गुप्तारसिंह---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन तारीखों में उनको ३०० रुपये के ऊपर भत्ता मिला हो उसमें सरकारी जीप जो डिप्टी कमिश्नर की है उस पर डिप्टी कलेक्टर जाते रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना सूबको नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह---जिस दौरे के लिये उनको ३०० रुपये भत्ते के मिले, क्या मुख्य मन्त्री बताने की दया करेंगे कि वह सरकारी जीप से गये हैं या किसी की किराये की कार से गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर माननीय सदस्य इस कथन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर कहें कि वह सरकारी जीप से गये हैं और गलत भत्ता चार्ज किया तो मैं जरूर जांच कराऊंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मन्त्री इस परगना हाकिम को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिस दिन वह डलमऊ तहसील में जाते हैं उस दिन अपनी अदालत के मुवक्किलों को नोटिस दे दिया करें कि इस तारीख को वह अदालत में न आवें ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सुझाव लिखित रूप में मन्त्री जी के पास आप भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

प्रतापगढ़ जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*२०---**श्री हरकेश बहादुर** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि पट्टी तहसील, जिला प्रतापगढ़ में पीली नदी तम्बूरा नाला, दाऊदपुर झील, दक्षिणी पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के बड़े-बड़े तालाबों और सई और गोमती नदी से अगस्त, १९५७ के अन्त में बाढ़ आ गई थी जिससे फसलों और घरों को लाखों का नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह---तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में दाऊदपुर के समीप वर्षा के पहले ही नहर कट जाने के कारण दाऊदपुर झील में पानी भर गया था और वर्षा अधिक होने के कारण आस-पास लगभग ३३ घरों में न्यूनाधिक क्षति पहुंची । अन्य नाले, तालाबों तथा नदियों का पानी किसी मकान तक नहीं पहुंच सका और न कोई क्षति ही हुई । दक्षिणी पट्टी में भी यही दशा रही । पट्टी तहसील में फसल को क्षति का अनुमान लगभग २.६२ लाख रुपये का है ।

*२१---**श्री हरकेश बहादुर** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चरणसिंह---२५० रुपया अहेतुक सहायता तथा १०,००० रुपया तकावी के रूप में वितरित किया गया । कायदे के अनुसार मालगुजारी में छूट भी दी जावेगी ।

*२२-२३---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाने वाली मिसलेनियस दरख्वास्तें तथा हरदोई जिले में चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*२४---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो Miscellaneous दरख्वास्तें दी जाती हैं उनका किसी रजिस्टर में इन्दराज होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---माल के मामलात से सम्बन्धित मुतफर्रिक दरख्वास्त रेवेन्यू मैनुअल के पैराग्राफ १२०३ में निर्धारित मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जाती है । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*२५---**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी डिपार्टमेंट में इस वर्ष जिला हरदोई में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और किस-किस अपराध पर ?

श्री चरणसिंह---उपलब्ध सूचना के अनुसार सन् १९५७ ई० में २० नवम्बर तक हरदोई जिले में ५७ कर्मचारियों के विरुद्ध अयोग्यता, अनुशासनहीनता अथवा भ्रष्टाचार के कारण अनुशासन की कार्यवाही की गई ।

फर्रुखाबाद जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने का कार्य-क्रम

*२६---**श्री सुल्तानआलम खां**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में १९५७-५८ में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के खोलने का कार्यक्रम क्या है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---सन् १९५७-५८ में फर्रुखाबाद जिले में दो नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले जा चुके हैं---एक बढ़पुर खंड, जो पहली अप्रैल को खुला और दूसरा छिबरामऊ जो पहली जुलाई को खोला गया ।

इस वित्तीय वर्ष में अब कोई नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड नहीं खुलेगा ।

*२७---**श्री सुल्तानआलम खां**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शमसाबाद, जिला फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड कब खुलेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता ।

श्री सुल्तानआलम खां---क्या सरकार को मालूम है कि शमसाबाद जिला फर्रुखाबाद के नेशनल ऐक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स के खोलने के लिये प्लानिंग कमेटी ने काफी अरसा हुआ सरकार को लिख दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जो प्राथमिकता नियोजन समिति ने दी है उसमें इसका नम्बर बाद में है, पहले शायद कन्नौज का नम्बर है ।

श्री सुल्तानआलम खां---क्या सरकार बतायेगी कि १९५८-५९ में इस ब्लाक के खुलने की उम्मीद है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पहले जिसकी प्राथमिकता है उसका नम्बर आयेगा तब इसका नम्बर आयेगा ।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिलेवार व्यय की जानकारी

*२८---**श्री सुल्तानआलम खां**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलेवार कितना वास्तविक व्यय (Consolidated expenditure) हुआ है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिलेवार कितना व्यय प्रस्तावित है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हर जिले के प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खर्चे के आंकड़े जिलेवार अलग-अलग नहीं रखे जाते । माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इनको छांट कर एकत्र करने में लाभ के अपेक्षाकृत परिश्रम तथा व्यय अधिक होगा ।

श्री सुल्तानआलम खां---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जब वह प्लान बनाती है तो हर जिले के प्लान का क्या आधार होता है जिनकी बुनियाद पर वह तैयार किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---विभिन्न विभागों में जिन चीजों को करना है उनको करते हैं । प्लानिंग में कितना है वह बताया जा सकता है लेकिन सब विभागों का बताया जाना संभव नहीं है ।

श्री सुल्तानआलम खां---क्या सरकार आइन्दा प्लान बनाने के सिलसिले में जो प्लानिंग कमेटी सिफारिश भेजे उसको मंजूर किया करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो अब भी उनसे पूछा गया था और वहीं से पूछा जाता है ।

इटावा जिले के नियोजन विभाग में पिछड़ी जाति के क्लर्क

*२९—श्री भजन लाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की प्लानिंग स्कीम में कुल कितने क्लर्क प्लानिंग के सभी सेक्शन जैसे कोआपरेटिव, एग्रीकल्चर, हरिजन सहायक, पंचायत, प्रान्तीय रक्षादल, पशुपालन, बागात, बोरिंग आदि-आदि में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—७५ ।

*३०—श्री भजन लाल—उसमें कितने बैकवर्ड क्लास के व कितने परिगणित जातियों के हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—१० बैकवर्ड क्लास के हैं । परिगणित जाति का कोई नहीं है ।

श्री भजन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की प्लानिंग स्कीम के सभी विभागों में परिगणित जाति के प्रार्थना-पत्र आने पर भी एक भी व्यक्ति क्यों नहीं लिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरी तो जहां तक सूचना है वह यह है कि अन्य विभागों से बहुत से आदमी आये हुए हैं और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मांगने पर केवल एक ही प्रार्थना-पत्र आया और न्यूनतम योग्यता भी नहीं थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज को यह लिखा गया था कि उनमें औसतन १८ प्रतिशत प्रार्थना-पत्र परिगणित जाति के भेजे जायं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो स्टैंडिंग आर्डर्स हैं ।

आजमगढ़ जिले में आंधी तथा उपल-वृष्टि

*३१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून के तीसरे सप्ताह में आजमगढ़ जिले के विभिन्न भागों में आंधी और उपलवृष्टि से बहुत हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—२२ जून, १९५७ को आजमगढ़ जिले की तहसील घोसी के कुछ भाग में आंधी के साथ उपल-वृष्टि हुई थी । केवल आंधी से मामूली हानि हुई थी ।

*३२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वह हानि किन-किन भागों में अलग-अलग कितनी हुई है ?

श्री चरण सिंह—जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया है हानि नगण्य थी ।

इटावा जिले की विधूना तहसील में बंजर भूमि का उपयोग

*३३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधूना तहसील, जिला इटावा में कितनी जमीन बंजर है, उसमें कितनी भूमि जंगलात व सहकारी फार्मों में ली गई है ?

श्री चरण सिंह—इटावा जिले की तहसील विधूना में ९२,७१६ एकड़ बंजर भूमि है इसमें से ११,०५१ एकड़ भूमि बन विभाग को दी गई है तथा ४९५ एकड़ भूमि सहकारी फार्म के पास है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी फार्म और वन विभाग के पश्चात् जो भूमि बची है उसका सरकार क्या उपयोग कर रही है ?

श्री चरणसिंह—वह जमीन तो गांव समाज के पास है और उसको उपयोग करने का अधिकार है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है।

श्री भीखा लाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन वन विभाग को दी गयी है उसमें से पहले से काश्तकारों ने जोत कर मजरुआ कर लिया है और काबिल काश्त है, तो उन काश्तकारों की क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री चरणसिंह—वह काश्तकार अदालत के जरिये अपना अधिकार साबित कर सकते हैं। अगर उन्होंने बिना अधिकार के कब्जा किया होगा तो वे बेदखल हो जायंगे और अगर उनका अधिकार साबित हो जायगा तो वे रह जायंगे। लेकिन जिन कागजात की बिना पर वह जमीन वन विभाग को दी गयी उसमें उस वक्त उनका कब्जा दर्ज नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह एक सहकारी फार्म है अथवा एक से अधिक, और क्या वह किसानों के हैं या उनका संचालन सरकार द्वारा हो रहा है ?

श्री चरण सिंह—फार्म एक ही है और सहकारी फार्म किसानों का ही होता है वरना सरकारी होता। सिर्फ 'र' और 'ह' का फर्क है।

खीरी जिले में चकबन्दी शुरू करने की जानकारी

*३४—श्री छेदी लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में कब से चकबन्दी शुरू होगी और किन-किन परगनों और तहसीलों में होगी ?

श्री चरण सिंह—यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि खीरी जिले में कब से शुरू होगी और किस परगना या तहसील में पहले शुरू होगी।

आजमगढ़ जिले के विकास खंड

*३५—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में २६ जनवरी, १९५८ से किन-किन स्थानों पर विकास खंड खुलने जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२६ जनवरी, १९५८ को कोई ब्लाक नहीं खोला गया।

*३६—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन छाया खंडों की सलाहकार समितियों की एक भी बैठक आज तक नहीं बुलाई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस जिले में कोई भी ऐसा छाया खंड नहीं है जिसमें आज तक सलाहकार समितियों की एक भी बैठक न हुई हो।

*३७-३८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर-लखनऊ बस रूट का किराया कम करने की प्रार्थना

*४१—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सीतापुर-लखनऊ बस रूट पर किराया कम करने का विचार चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक कम होगा ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं, सरकार के समक्ष कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ अन्य रूटों से इस रूट पर अधिक किराया क्यों है ?

डाक्टर सीताराम—अधिक किराया तो नहीं है, जो और रूट्स पर हैं वही यहां भी है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर-लखनऊ रूट का रेट क्या है और सीतापुर-लखनऊ रूट का रेट क्या है ?

डाक्टर सीताराम—मुझे लखनऊ-कानपुर रूट के रेट का तो पता नहीं है लेकिन जहां तक लखनऊ-सीतापुर रूट का प्रश्न है, साढ़े ७ पाई फी मील लोअर क्लास और ९ पाई फी मील अपर क्लास का किराया है ।

*४२—श्रीभुवनेशभूषण शर्मा—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरदोई जिले में ३ वर्ष से अधिक अवधि के गजटेड अफसर

*४३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में किन-किन गजटेड अफसरों को तीन साल या उससे अधिक हो गया है और फिर भी उनको वहां से नहीं हटाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

वाराणसी जिले में चोलापुर ब्लाक खुलने में विलम्ब

*४४—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या चोलापुर, वाराणसी, एन० ई० एस० ब्लाक का कार्य शुरू हो गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह ब्लाक अभी तक नहीं खुला है ।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक के खुलने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस वित्तीय वर्ष के अन्दर अब आगे कोई ब्लाक नहीं दिया है ।

श्री लोकनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके खुलने की संभावना कब तक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वैसे तो जिला प्लानिंग कमेटी ने सन् १९६०-६१ के लिये इसे प्राथमिकता दी है । अगर इससे ऊपर के नम्बर का कोई नहीं होगा तो यह जरूर खुलेगा ।

*४५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों में सर्वदलीय समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रार्थना

*४६---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये जो सर्वदलीय समिति ने अपनी सिफारिशें की हैं उनको प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। क्यों कि समिति की सिफारिशें केवल गोरखपुर व वाराणसी डिवीजनों के लिये ही की गई थीं और वहां की व पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं में अन्तर है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी माननीय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह समिति पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों के विषय पर भी विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---जी हां, मुझे मालूम है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्यों पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों में उन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया जिनके विषय में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था ?

श्री चरणसिंह---कमेटी के किसी मेम्बर ने कोई ऐसा सुझाव नहीं रखा कि जो खासतौर पर पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्र के लिये हो।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी, जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, की तरफ से या सरकार की तरफ से पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सुझाव रखा गया था ?

श्री चरणसिंह---गवर्नमेंट ने उस सिलसिले में जो मुनासिब समझा है, कर रही है, लेकिन समिति की कोई सिफारिश ऐसी नहीं थी जो पहाड़ी क्षेत्र के लिये हो। इन दोनों की समस्या में भी बड़ा अन्तर है। पूर्वी जिलों में वर्षा न होने या वर्षा अधिक होने से समस्या पैदा होती है। पहाड़ों में उस तरह से पैदा नहीं होती। पहाड़ों की जमीन का एक परमानेन्ट प्राबलम है। दूसरी बात यह है कि बाहर से अन्न मंगाने में ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज पहाड़ों में बहुत हो जाते हैं। गवर्नमेंट यह करती है कि रेल या दूसरी तरह के जो ट्रान्सपोर्ट चार्जेज पड़ते हैं वह गवर्नमेंट खुद बरदाश्त करती है यानी अगर ३ रुपय से ज्यादा चार्जेज पड़ते हैं तो सरकार उसको बरदाश्त करती है। १५ रुपये अगर चार्जेज पड़ते हैं तो ३ रुपया उनको देना होता है और १२ रुपया सरकार खुद बरदाश्त करती है। ज्यादा चार्जेज भी पड़ें लेकिन ३ रुपया से ज्यादा उनको नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा और कोई जरूरत वहां नहीं मालूम होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस सर्वदलीय समिति की मीटिंग बुलाकर और उसमें एक से अधिक पर्वतीय क्षेत्रों के सदस्य बढ़ाकर पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों के विषय में सरकार फिर से विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---कमेटी की जब मीटिंग खत्म हो रही थी और, जैसा कि कमेटी की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, मेरे मित्र त्रिलोकीसिंह जी ने पर्वतीय क्षेत्रों का जिक्र किया और यह कहा कि नारायणदत्त तिवारी जी मुझसे मिलेंगे या कुछ लिखकर भेजेंगे इस सिलसिले में तो न तो उनका कोई पत्र आया और न मुझसे किसी साहब ने मुलाकात की और न कोई विशेष सुझाव पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में मेरे पास भेजा जिस पर विचार किया जा सके। रही कमेटी को बुलाने की बात, तो जो डिमान्ड थी उसके अनुसार वह तो इमीडियेट रिलीफ के

लिये थी। वह खत्म हो गई है। वैसे तो समस्या देश के सामने हर मर्तबा आती रहती है। वह समिति तो तत्कालीन समस्या पर विचार करने के लिये बनाई गई थी। वह अब सामने नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि उस समिति की मीटिंग में कुछ और प्रश्नों के साथ पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्र का विचार भी, स्थगित कर दिया गया था और फिर उसके बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह---जो मैंने कहा वही हुआ था, यह नहीं कि इसको स्थगित किया गया। बल्कि यह हुआ कि जिस वक्त हम लोग खड़े होने लगे उस समय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि पहाड़ों के मुताल्लिक कुछ बातें करनी हैं और आपसे मिलना है। मैंने कहा कि नारायणदत्त जी तिवारी मुझसे मिल लें या चिट्ठी लिख कर भेज दें तो मैं उस पर गौर कर लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल विधान सभा क्षेत्र से आने वाले सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी जिसकी प्रतिलिपि माननीय माल मन्त्री के पास भेजी और इसके बाद वह खुद माननीय माल मन्त्री जी से मिले, उनको सुझाव भी दिया और उनसे बातचीत भी हुई ?

श्री चरणसिंह---सम्भव है मेरी स्मरण-शक्ति बहुत क्षीण हो गई हो, लेकिन माननीय सदस्य ने कोई सुझाव दिया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। अगर उन्होंने सुझाव दिया और मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी गल्ती है। आप अगर अब भी सुझाव देने की कृपा करेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि सर्वदलीय समिति ने जिन क्षेत्रों के लिये जो सिफारिश की थीं वह भी नहीं लागू की गईं ?

श्री चरणसिंह---मुझे कोई ऐसी सिफारिश याद नहीं है जो उस समिति ने की हो और गवर्नमेंट ने यथाशक्ति उस पर अमल न किया हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि नारायणदत्त जी को और कुछ दूसरे पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों को बुलाने का फैसला हुआ था कि उन्हें माल मंत्री जी, जो उस समिति के सभापति थे, बुलावेंगे और उनसे वहां की समस्याओं को समझ कर सहायता करने के प्रश्न पर विचार और फैसला करेंगे ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिलोकीसिंह जी मौजूद हैं। जो मैंने कहा वह प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है जिसकी कापी हर सदस्य के पास भेज दी गई है। अगर उसमें गलती हुई तो कम से कम किसी माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं लिख कर भेजा है। इत्तफाक से मेरे पास इस समय वह फाइल नहीं है। मैं उसे दिखला सकता हूं।

नागरक्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को लागू करना

*४७---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम को प्रदेश में अब तक क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री चरणसिंह---नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत १० म्युनिसिपैलिटी और ३४ टाउन एरियाओं के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करदी गई है।

श्री माताप्रसाद---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि वे कौन-कौन सी म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है ?

श्री चरणसिंह—नोटीफिकेशन तो फाइल में होगा, ढूंढने में देर लगेगी। लेकिन इस किस्म की म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां गल्ती से इंडियन ऐक्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐक्ट के मातहत लोगों ने १० गुना जमा कर दिया था जबकि वहां रुपया जमा करने का अधिकार नहीं था या अधिकारियों को उसे लेने का अधिकार नहीं था। किसान अपने आपको भूमिधर समझते रहे। बलिया और बिजनौर जिले में एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी है। उस बिल में ऐसी म्युनिसिपैलिटीज के लिये हमने एक धारा रखी थी। वे १० म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनके नाम इस समय याद नहीं हैं।

श्री माताप्रसाद—प्रदेश की अन्य म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज में उक्त अधिनियम के लागू करने में सरकार को क्या अड़चन है ?

श्री चरण सिंह—ट्रेन्ड परसानेल और रुपये की।

श्री माताप्रसाद—सारे प्रदेश के नागर क्षेत्रों में उक्त अधिनियम कब तक लागू हो जायगा ?

श्री चरण सिंह—कई वर्ष में।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—यह विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई और कब से लागू हुई ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

*४८-५०—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में लेखपालों को तहसील हाजिरी और जमाबन्दी का भत्ता न मिलना

*५१—**श्री अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने के कृपा करेगी कि सन् १९५५ से जिला सीतापुर के लेखपालों को तहसीलों की हाजिरी और जमाबन्दी का दैनिक भत्ता दिया गया है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—नहीं दिया गया है क्योंकि बिल पूर्व लेखा परीक्षा (pre-audit) के लिये महालेखापाल को भेजे गये थे, परन्तु उन्होंने ३ बार आपत्तियां (objections) लगाकर वापस कर दिये। अब बिल नये तरीके से बनाये जा रहे हैं।

*५२—**श्री अवधेशकुमार सिनहा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर के लेखपालों को अगस्त सन् १९५७ का महंगाई भत्ता ५ रुपया दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चरणसिंह—तहसील मिसरिख को छोड़ कर जिले की बाकी सब तहसीलों के लेखपालों को वितरित किया जा चुका है। तहसील मिसरिख में शीघ्र वितरण के हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

इटावा जिले के बड़पुरा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य

*५३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के बड़पुरा ब्लाक ने अब तक क्या प्रगति की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस ब्लाक में किये गये विकास कार्यों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३६-३३७ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूची में लिखा १ बीज गोदाम किस जगह खोला गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नोटिस की आवश्यकता है ।

आगरा जिले की किरावली तहसील में रेह से प्रभावित भूमि

*५४---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री तहसील किरावली, जिला आगरा, में रेह से प्रभावित भूमि का अविलम्ब सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

*५५---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री अपने विभाग के पुराने नक्शों को जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रह गये हैं बदलने की कृपा करेंगे जिनका प्रयोग तहसील कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ?

श्री चरणसिंह---नियमानुसार नक्शे बदले जाते हैं ।

*५६---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (अनुपस्थित)---[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के खोलने की सिफ़ारिशें

*५७---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले की नियोजन समिति ने जिन-जिन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के खुलने की सिफारिश की थी उनके क्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष---अब आपने उत्तर सुन लिया है । "जी नहीं" में आपको क्या मिलना है ?

मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में सूखा पीड़ितों को सहायता

*५८---**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर के दक्षिणी भाग राबर्ट्सगंज-दुद्धी में इस वर्ष लगातार अवर्षा के कारण बहुत सूखा पड़ गया है ?

श्री चरणसिंह---जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज व दुद्धी क्षेत्र में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण क्षति हुई है ।

*५९---**श्री शोभनाथ**---क्या सरकार सूखा के कारण राबर्ट्सगंज-दुद्धी में खाद्यान्न तथा तकावी वगैरह देकर जनता के जीवन की रक्षा करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---सरकार यथासम्भव आवश्यक सहायता दे रही है ।

*६०---श्री शोभनाथ---क्या सरकार राबर्ट्सगंज-दुद्धी में सूखा तथा भुखमरी की स्थिति के कारण लगान व आबपाशी को माफ करके उद्योग-धंधे खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---लगान व आबपाशी में नियमानुसार छूट दी जायेगी। नहर संबंधी निर्माण कार्य खोलने की भी व्यवस्था हो रही है। भुखमरी की स्थिति नहीं है। उद्योग-धन्धे अधिकतर जनता स्वयं खोलेगी, गवर्नमेंट केवल कुछ मदद कर सकती है।

श्री शोभनाथ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्षा न होने के कारण राबर्ट्सगंज दुद्धी में हुई क्षति के लिये वह कौन-कौन सी सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---५९ दूकानें वहां सस्ता गल्ला बेचने के लिये पहले से खुली हुई थीं। ५ अब हाल में खोली गई हैं तहसील दुद्धी में, और ५, ७ तथा ९ तहसील मिर्जापुर, चुनार, और राबर्ट्सगंज में खोलने की कोशिश की जा रही है। कोशिश का सवाल यों उठा है कि गल्ला कम उठ रहा है और दूकानदार दूकान का लाइसेंस लेने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये कलेक्टर ने लिखा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। वैसे २,००० आदमियों को वहां गल्ला अब तक मुफ्त दिया जा रहा है। अब हमने कलेक्टर को अधिकार दे दिया है कि देहाती आबादी के १/२ फीसदी तक वह इस तादाद को बढ़ा सकते हैं। वहां ३८० कम्बल बांटे गये हैं, दरी २३०, बना बनाया कपड़ा २०३४ और १४८० गज बिना बना हुआ कपड़ा, शार्ट्स ५०, कपड़ों के टुकड़े १००, रैडक्रास से मिले हुये कपड़े २००, मक्खन के ७७ टिन, दूध के ७७ टिन, चावल ६० मन १८ सेर, बेझड़ १०५ मन, चना २० मन और गेहूं २४७ मन ७ सेर और नकद २३३ रुपये ११ आने दिये गये हैं। जहां तक तकाबी का ताल्लुक है, ८ फरवरी तक १,५४,५७५ रुपये तकसीम किये जा चुके थे। ऐक्ट १२ के मातहत और तकावी तकसीम की जा रही है। इसके अलावा ६,८६,७९५रु० २१ नये पैसे की मालगुजारी की वसूलयाबी मुल्तवी कर दी गई है। जहां जमीदारी अभी खत्म नहीं हुई है वहां १३२२ रु० ६५ नये पैसे की उन्होंने रेमिशन की सिफारिश की है। यह वह इलाका है जो गैरदेहाती है यानी शहरी है। तकाबी और सिंचाई-कर में भी सहूलियत देने के लिये उन्होंने कहा है कि हम तजावीज भेजेंगे। २५ मील लंबी एक सड़क पर टेस्ट वर्क चल रहा है। कुसुंभी, बोधी बरदेवा, नगीना वगैरा स्थानों पर भी टेस्ट वर्क्स लिये जा रहे हैं। राबर्ट्सगंज में ६ बंधियों पर टेस्ट वर्क चल रहा है। बहुत से काम जंगलात और सिंचाई विभाग के चल रहे हैं। हो सकता है इसके अतिरिक्त और भी काम हों।

रहेरिया, जिला खीरी, में बस स्टेशन की आवश्यकता

*६१---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रहेरिया, जिला खीरी, की सड़क पर बस स्टेशन बनाने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री मन्नालाल---क्या माननीय मंत्री जी रहेरिया में बस स्टेशन कायम न होने के कारण बतायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---वहां पर पहले से बस स्टाप हैं, इसलिये आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि बस स्टेशन बनाया जाय। धनाभाव ही उसके न बनने का कारण है।

ए० डी० ओ० (पंचायत) का वेतन-क्रम

*६२---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्रों में जो ए० डी० ओ० (बी० पी०) हैं वह एन० ई० एस० ब्लाक में ए० डी० ओ० (पंचायत) बना कर भेजे जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नियोजन विभाग के प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्रों में इस समय ए० डी० ओ० (वी० पी०) नाम के कोई स्थान नहीं हैं। हां, वहां जो ए० डी० ओ० (पंचायत) हैं वे एन० ई० एस० ब्लाक में भी ए० डी० ओ० (पंचायत) बनाकर भेजे जाते हैं।

*६३--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्रों में ए० डी० ओ० (वी० पी०) का वेतन-क्रम क्या है तथा एन० ई० एस० ब्लाक में जाने पर उन्हें क्या मिलता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्रों में जो ए० डी० ओ० के स्थान हैं उनकी तीन श्रेणियां हैं जिनके वेतन-क्रम क्रमशः १२० रुपया से २५० रुपया, २०० से ३५० रुपया तथा २२० रु० से ४०० रुपया है तथा एन० ई० एस० ब्लाक में केवल एक श्रेणी है जिसका वेतन-क्रम १२० रुपया से २५० रुपया है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशिक्षण केन्द्रों की यह तीन श्रेणियां किस आधार पर बनायी जाती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--योग्यता और कार्य के अनुसार।

नियोजन विभाग के अधीनस्थ स्थायी कर्मचारी

*६४--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, सन् १९५५ से अब तक नियोजन के अधीनस्थ विभागों में सरकार ने कितनी जगहें स्थायी घोषित कर दी हैं तथा कितनी जगहें स्थायी करने का निश्चय किया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पहली अप्रैल, १९५५ से अब तक नियोजन विभाग के अधीनस्थ २६४० जगहें स्थायी घोषित की जा चुकी हैं एवं १३३५ जगहों को स्थायी करने का प्रस्ताव हैं।

श्री प्रभुदयाल--क्या सरकार बतायेगी कि पी० आर० डी० कि कितनी जगहें स्थायी की गयी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पी० आर० डी० में १९५५-५६ में १२० नये पदों को स्थायी करना स्वीकार किया गया था; उनमें से ११३ किये गये और ७ नहीं।

बरेली जिले में चकबन्दी सम्बन्धी अपीलें

*६५--श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बरेली, जिला बरेली, में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त होने की आशा है ?

श्री चरणसिंह--सम्भवतः सितम्बर, १९५८ ई० तक।

*६६--श्री बाबूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में ए० सी० ओ० और सी० ओ० के पास कितनी अपीलें २६ दिसम्बर, १९५७ तक तय होने को बाकी हैं और कब तक तय हो जावेंगी ?

श्री चरणसिंह--सहायक चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें दायर करने की व्यवस्था नहीं है।

दिनांक २६ दिसम्बर, १९५७ को तहसील बरेली में चकबन्दी अधिकारियों के न्यायालयों में कोई अपील विचाराधीन नहीं थी।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली में कब चकबन्दी शुरू हुई थी और कितने गांवों में चकबन्दी का काम पूरा हो चुका है और अभी कितने गांवों में बाकी है ?

श्री चरणसिंह---मार्च, १९५५ में काम शुरू हुआ था । ५२६ गांवों में काम शुरू हुआ है और ३४३ में नये चक पर कब्जे बदले जा चुके हैं ।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब चकबन्दी का काम शुरू हुआ था तो यह कहा गया था कि २ साल में काम पूरा हो जायगा और ३ साल से अधिक होने पर भी चकबन्दी का काम पूरा न होने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह---इसका कारण यही है कि जो अनुमान लगाया गया था, वह गलत निकला, तजुर्बे से यह साबित हुआ कि ज्यादा समय लगेगा ।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सेटिलमेंट आफिसर के पास इस समय तक कितनी अपीलें विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह---सेटिलमेंट आफिसर के यहां ३१ जनवरी, सन् ५८ तक ३,११४ अपीलें दायर हुई थी, उनमें से २०९५ अपीलों का निर्णय कर दिया गया है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेटिलमेंट आफिसर द्वारा शेष अपीलों का निर्णय कब तक हो जायगा ? वे अपीलें कितने दिनों से पड़ी हुई हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने जवाब दिया कि ३,१०० अपीलें दायर हुई थीं, और उनमें से करीब २१०० का फैसला हो चुका है । तो १,००० जो उनके पास हैं उसके लिये उनको चिठ्ठी लिखी गयी है कि वे जल्दी करें । उसके लिय कोई तारीख तो बतलायी नहीं जा सकती ।

गोंडा जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*६७---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गोंडा में राप्ती, घाघरा और टेढो नदी में अगस्त, १९५७ में बाढ़ आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने ग्राम बाढ़-पीड़ित हुये, कितने एकड़ में मक्का की फसल बरबाद हुई और जन-धन को कितनी हानि हुई ? क्या सरकार पूरा विवरण मेज पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह---अगस्त, १९५७ में घाघरा, सरजू व राप्ती नदी में बाढ़ आई थी परन्तु टेढ़ी नदी में बाढ़ नहीं आई । उक्त बाढ़ से १२४ ग्राम प्रभावित हुए; १७,०१४ एकड़ मक्का की फसल को क्षति पहुंची तथा जन-धन को कोई हानि नहीं पहुंची । बाढ़ से क्षति का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :---

१---कुल प्रभावित क्षेत्रफल ..	..	१,२५,३५० एकड़
२---कृषि योग्य प्रभावित क्षेत्रफल ..	..	६२,१३४ एकड़
३---प्रभावित जन-संख्या ..	..	८६,७००
४---प्रभावित ग्रामों की संख्या ..	..	१२४
५---क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		४२७ जिसमें ४०० झोपड़ियां हैं ।
६---फसल की अनुमानित क्षति		रुपयों में ७०,८०,४९०

*६८---श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ से पीड़ित जनता को क्या-क्या सरकारी सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह---सरकार द्वारा दी गयी सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:---

१---सहायता वितरण हेतु तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों के निष्क्रान्ति हेतु ९० नावें बाढ़ चौकियों पर रक्खी गयीं ।

२---७,५०० रुपये का गल्ला, कपड़ा, गुड़ तथा अन्य आवश्यक सामग्री के रूप में तथा नकद वितरित किया गया ।

३---१५,००० रुपये डिस्ट्रेस तकावी के रूप में वितरित किये गये ।

४---६ वैगन (Wagons) घास मुफ्त वितरित की गई ।

५---सुरक्षित वन पशुओं के चरने के लिये खोल दिये गये ।

६---पशुरोग रोकने के लिये ४,५०० टीके लगाये गये ।

७---२०० व्यक्तियों का उपचार निशुल्क किया गया । इसके अतिरिक्त आवश्यक दवाइयां मुफ्त बांटी गयीं ।

*६९---**श्री गंगा प्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं और किन-किन ग्रामों में ?

श्री चरण सिंह---बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में १४ सस्ते गल्ले की दूकानें निम्न ग्रामों में खोली गईं---

तहसील बलरामपुर

१---हरिहरगंज,
२---बलरामपुर,
३---भगवतीगंज,
४---श्री नगर,
५---तुलसीपुर ।

तहसील तरबगंज

१---करनैलगंज,
२---नवाबगंज,
३---सिधौली,
४---बरौली,
५---पसका,
६---भौरी गंज,
७---परास पट्टी,
८---तुलसीपुर,
९---परसूपुर ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में लगान में कितनी माफी दी गई ?

श्री चरण सिंह---जितनी उन्होंने सिफारिश की होगी । मेरे पास इस वक्त वह आंकड़े नहीं हैं लेकिन गवर्नमेंट उन पर विचार कर लेगी ।

गोरखपुर जिले के नौतनवां और लक्ष्मीपुर छाया विकास खण्डों के कार्यों पर व्यय

*७०---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला के नौतनवां और लक्ष्मीपुर छाया विकास खंडों के अन्तर्गत सरकार की ओर से किन-किन गांवों में कितने व्यक्तियों के यहां हैन्ड पम्प लगे हैं और नया कुंआ बना है और मरम्मत हुई है ?

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नौतनवां छाया विकास खंड १ जुलाई, सन् १९५७ से एन० ई० एस० ब्लाक बन गया है । इस विकास क्षेत्र में अभी तक ९ हाथ नल लगे हैं, पानी पीने के ३ नए कुओं का निर्माण हुआ है और ३ पुराने कुंओं की मरम्मत की गई है । लक्ष्मीपुर छाया विकास खंड में ९ हाथ-नल लगे हैं और दो पुराने कुंओं की मरम्मत की गई है । जिन-जिन ग्रामों में यह कार्य हुए हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

***७१---श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त हैन्ड पम्पों और कुंओं पर सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार का नौतनवां विकास खंड में हाथ-नल पर ८५० रु०, नये कुंवों पर १,३२० रु० तथा कूप मरम्मत पर ४५० रु० तथा लक्ष्मीपुर छाया विकास क्षेत्र में हाथ-नलों पर ५४५ रु० और कूप मरम्मत पर ४५६ रु० खर्च हुआ है ।

***७२---श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त छाया खंडों मे कौन-कौन से विकास के कार्य होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिन कामों को करने की योजना है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३९ पर)

ग्राम गुलरिया, जिला शाहजहांपुर, की परती भूमि का गलत वितरण

***७३---श्री रूम सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम गुलरिया, परगना तिलहर, जिला शाहजहांपुर, की लगभग ४०० बीघा परती भूमि पास के अन्य गांवों के आदमियों को दे दी गई है ?

श्री चरणसिंह---जिलाधीश की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि केवल ९.११ एकड़ जमीन अन्य गांवों के भूमिहीनों को दी गई है ।

***७४---श्री रूम सिंह**---क्या यह सही है कि गुलरिया ग्राम के भूमिहीनों ने एक प्रार्थना-पत्र हाकिम परगना तिलहर को दिया था कि उनके गांवों की परती भूमि उनको दे दी जाय ?

श्री चरणसिंह---प्रार्थियों के नाम व प्रार्थना-पत्र की तिथि मालूम न होने के कारण प्रार्थना-पत्र तलाश नहीं किया जा सका ।

***७५---श्री रूम सिंह**---क्या सरकार यह भी बतावेगी कि भूमिहीनों को जमीन न देकर दूसरे गांव वालों को भूमि क्यों दी गई है ?

श्री चरणसिंह---अन्य गांव के भूमिहीनों को इस कारण से जमीन दी गई कि वे पहले से ही इस भूमि पर काबिज थे । यह गलती हुई और जिलाधीश को यह आदेश दिया जा रहा है कि ऐसे नाजायज कब्जा करने वाले पट्टे मंसूख करने के बाद बेदखल किये जांय और भूमि गांव-समाज के ही भूमिहीनों की दी जाय ।

तहसील पुखरायां, जिला कानपुर, में अग्निपीड़ितों को सहायता

***७६---श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुखरायां तहसील, जिला कानपुर, में इस वर्ष आग लगने से कितने जन-धन की हानि हुई और सरकार ने इस संबंध में लोगों को कितनी सहायता किस रूप में दी ?

श्री चरणसिंह---पुखरायां तहसील, जिला कानपुर, में गत वर्ष (१९५७) में आग लगने से ७ मनुष्यों व ३ पशुओं तथा करीबन १,४१,२०१ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। सरकार ने इस संबंध में लोगों को सहायतार्थ २,०९० रुपये की अहेतुक सहायता तथा ३,९४० रुपये तकावी के रूप में दिये। इसके अतिरिक्त ३५४ रुपये ३८ नये पैसे की लगान में मुल्तवी तथा ६९७ रुपये २७ नये पैसे की छूट दी गई।

म्युजियम्स का पुनस्संगठन

*७७---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार प्रदेश में म्यूजियम्स का रिआर्गनाइजेशन करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*७८-७९---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---[ग्यारहवें शुक्रवार के प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उन्नाव जिले में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के अमीन

*८०---**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में चारों तहसीलों में कितने जेड० ए० एफ० योजना के अन्तर्गत क्लर्क हैं और उसमें कितने बैकवर्ड व परिगणित जाति के हैं?

श्री चरणसिंह---उन्नाव जिले में चारों तहसीलों में जेड० ए० एफ० योजना के अन्तर्गत अब कोई कर्मचारी नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८१---**श्री सजीवन लाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के कलेक्शन विभाग में कितने अमीन हैं? उनमें कितने बैकवर्ड और कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री चरणसिंह---उन्नाव जिले की चारों तहसीलों में क्लेक्शन विभाग में कुल अमीनों की संख्या ११७ है। उनमें से एक बैकवर्ड तथा तीन परिगणित जाति के हैं।

गोंडा जिले के लिये नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र

*८२---**श्री धर्मपालसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ ई० में गोंडा जिले के किन-किन स्थानों में नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खोले जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५८ में नये ब्लाकों का खुलना इस बात पर निर्भर है कि उस साल के लिये केंद्रीय सरकार इस राज्य में कितने नये ब्लाक खोलने की मंजूरी देती है। अभी तक इस बाबत उनके कोई आदेश नहीं आये हैं।

*८३-८४---**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)---[नवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १०५-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के कार्यालय को फतेहगढ़ के बजाय छिबरामऊ में कायम करने का प्रयत्न

*८५---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फतेहगढ़)---क्या सरकार तहसील छिबरामऊ, जिला फतेहगढ़, में होने वाले चकबन्दी कार्य के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का दफ्तर फतेहगढ़ के बजाय छिबरामऊ में रखने की व्यवस्था करेगी?

श्री चरणसिंह--तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में चल रहे चकबन्दी कार्य के लिये सरकार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के कार्यालय को फतेहगढ़ के बजाय छिबरामऊ में स्थापित करने के हेतु प्रयत्न कर रही है। उचित भवन के अभाव से भी अकार्यालय छिबरामऊ में स्थापित नहीं किया जा सका है।

*८६--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७--**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८८--**श्रीमती शकुन्तला देवी**--[छठवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८९-९०--**श्री प्रतापसिंह**--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९१--**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९२--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९३--**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**--[नवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले के हरिजन कलेक्शन अमीन

*९४--**श्री राम समझावन** (जिला जौनपुर)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमीदारी विनाश के बाद जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने कलेक्शन अमीन रखे गये और उनमें कितने-कितने हरिजन कलेक्शन अमीन हैं?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना निम्नांकित है:

नाम तहसील			साल भर के अमीनों की संख्या	हरिजन अमीनों की संख्या
जौनपुर	..	..	१६	१
मड़ियाहूं	..	..	१८	२
मछलीशहर	..	..	१९	–
शाहगंज	..	..	२०	४
केराकत	..	..	१२	–
	योग	..	८५	७

नार्मलाइज्ड ब्लाक्स

*९५--**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो कि साधारण विकास क्षेत्र तथा सघन विकास क्षेत्र में परिवर्द्धित होते हुये इस समय नार्मल विकास क्षेत्र हो गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे नार्मलाइज्ड ब्लाक अभी कोई नहीं है। सामुदायिक विकास क्षत्रों से परिवर्तित होकर नार्मलाइज्ड होने वाले ३३ ब्लाक इस समय कार्य कर रहे हैं।

*९६--श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे नार्मल विकास क्षेत्रों के कर्मचारी वहीं रहते हैं या किसी दूसरे स्थान को भेज दिये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इनके कर्मचारी ब्लाक क्षेत्र में ही रहते हैं।

*९७--श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे विकास क्षेत्रों के भवन, कार्यालय तथा विभिन्न अधिकारियों के निवास स्थान अब किस कार्य में लाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नार्मलाइज होने के बाद भी इन भवनों में ब्लाक के कर्मचारी ही रहते हैं और कार्यालय का भवन ब्लाक कार्यालय ही के लिये काम में लाया जाता है।

*९८--श्री मदनपांडेय--[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिद्वार शहर को देहरादून जिले में मिलाने की मांग

*९९--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार से हरिद्वार शहर को देहरादून जिले में सम्मिलित किये जाने की मांग हरिद्वार की कतिपय सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मांग के सम्बंध में सरकार क्या निश्चय करने जा रही है?

श्री चरणसिंह--जी हां, सरकार ने कमिश्नर व राजस्व परिषद् से इस मामले में राय पूछी है और उनकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

कलेक्ट्रेट रिआर्गनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत स्टेनो-कम-पेशकार को भत्ता

*१००--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्ट्रेट रिआर्गनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार एस०डी०ओ० के स्टेनो-कम-पेशकार (Steno-cum-Peshkar) को २५ रुपया मासिक भत्ता दिया जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*१०१--श्री इन्दुभषण गुप्त--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त व्यवस्था का पालन हो रहा है अथवा नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां आशुलिपि जानने वाले अहलमद या रीडर उपलब्ध हो रहे हैं वहां इस व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहा है।

*१०२--श्री इन्दुभूषण गुप्त--यदि हो रहा है तो आजमगढ़ जिले के उक्त व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले पदाधिकारियों को अभी तक कितना धन दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी आजमगढ़ में कोई आशुलिपिक कार्य कर सकने वाला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।

*१०३--श्री गंगाप्रसाद सिंह--[ग्यारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

एक्साइज विभाग, इटावा, में परिगणित व पिछड़ी जातियों के व्यक्ति

*१०४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक्साइज विभाग, इटावा, में कितने क्लर्क व सिपाही हैं; उनमें कितने परिगणित व पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सीताराम---इटावा के आबकारी विभाग में तीन आबकारी इंसपेक्टर और सात आबकारी चपरासी नियुक्त हैं जिनमें से एक आबकारी इंसपेक्टर परिगणित जाति व एक आबकारी चपरासी पिछड़े वर्ग का है। आबकारी इन्सपेक्टरों को कोई क्लर्क नहीं दिया जाता है। कलेक्ट्रेट का एक क्लर्क इक्साइज क्लर्क का भी काम करता है।

इटावा जिले में मोटर परमिटों का वितरण

*१०५---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने मोटर के लाइसेंस सरकार से दिये जा चुके हैं?

डाक्टर सीताराम---सरकार मोटर की परमिट का लाइसेंस नहीं देती बल्कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने ३५७ परमिट दिये हैं।

*१०६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने लाइसेंस मोटरों के परिगणित जातियों के आदमियों को स्वीकृत किये गये?

डाक्टर सीताराम---सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१०७-१०८---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले की मीरगंज तहसील को तोड़ना

*१०९---**श्री धर्मदत्त वैद्य**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में मीरगंज की तहसील क्यों हटाई गई?

श्री चरणसिंह---बरेली जिले की मीरगंज तहसील सूबे में सबसे छोटी थी और यह १ अप्रैल, १९२५ को एकानमी कमेटी की सिफारिशों पर खर्च में कमी करने व प्रशासकीय कारणों से तोड़ दी गई।

जौनपुर जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों के क्लर्क

*११०---**श्री माताप्रसाद**---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों तथा नियोजन विभाग में कुल कितने क्लर्क हैं? इनमें कितने हरिजन हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५१। इनमें से कोई भी हरिजन नहीं है।

फ़ीरोजाबाद में नशे की दुकानें बन्द कराने की प्रार्थना

*१११---**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जिसके द्वारा नशाबन्दी के जिलों की सीमाओं के पांच मील के घेरे में नशे की दुकान खोलने का प्रतिषेध किया गया है?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*११२---**श्री जगन्नाथ लहरी**---क्या सरकार उक्त आदेश के मुताबिक फिरोजाबाद नगर में नशे की दूकानें बन्द कराने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम---आगरा जिले के फिरोजाबाद नगर की नशे की दुकानें शुष्क जिलों की सीमाओं के पांच मील के अन्तर्गत नहीं है, अतएव इन दुकानों को बन्द कराने का प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जिले की काशीपुर तहसील में आपदा-ग्रस्त किसानों को छूट

*११३--श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १३६१ फसल रबी पर ओला वृष्टि आदि आपदाओं के कारण जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील में किन-किन गांवों के किसानों को कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह---आवश्यक सूचना अभी एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायेगी।

*११४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम हरियावाल, कुदय्यावाला, शाहगंज, गंगापुर रकवा, रुखरखेड़ा आदि काशीपुर तहसील, जिला नैनीताल, के अनेक गांवों के किसानों के नाम कैलेमिटीज के कारण १३६१ फसल रबी के हेतु परची छूट लगान जारी हो जाने के बाद भी उक्त छूट नहीं दी गई और लगान वसूली कर ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---इस प्रश्न के संबंध म भी आवश्यक सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है। सूचना एकत्र होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायेगी।

राज्य के पश्चिमी जिलों में वर्षा से हानि

*११५--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष प्रदेश के पश्चिमी भाग में विशेषकर मेरठ व आगरा कमिश्नरी के किस-किस जिले में अधिक वर्षा हुई है और कितनी-कितनी ?

श्री चरणसिंह---गत वर्ष (१९५७) में प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा सितम्बर के माह में हुई थी। जिलों के नाम तथा वर्षा का विवरण संलग्न सूची १ में दिया हुआ है ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४० पर)

*११६--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि अति वर्षा से हानि का अन्दाजा क्या है ?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची २ में दिखा दी गई है ?

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३४१ पर)

मैनपुरी जिले के नलकूप

*११७---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में अब तक कितने नलकूप बन चुके हैं और भविष्य में कितने और बनाने की योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैनपुरी जिले में ९५ सरकारी नलकूप तथा ७ निजी नलकूप सरकारी सहायता द्वारा बनाये गये हैं। १९५७-५८ में १० सरकारी नलकूप तथा २ निजी नलकूप प्रतिवर्ष बनाने की योजना है।

लेखपालों पर फौजदारी के मुकदमे

*११८---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लेखपाल कितने हैं जिन पर कि सरकार की तरफ से अदालतों में इस वक्त मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---२३ लेखपाल ऐसे हैं जिन पर सरकार की ओर से फौजदारी मुकदमें चल रहे हैं। ऐसे लेखपालों की संख्या जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाहियां चल रही है, जानने के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रतापगढ़ रोडवेज परटहांग कटने की दुर्घटना

*११९---श्री हरकेश बहादुर (अनुपस्थित)---क्या प्रतापगढ़ के रोडवेज पर पिछले ३ माह के अन्दर किसी व्यक्ति की टांग कट गयी थी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*१२०---श्री हरकेश बहादुर (अनुपस्थित)---यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

डाक्टर सीताराम---इस संबंध में पुलिस और जिलाधीश की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*१२१---श्री हरकेश बहादुर (अनुपस्थित)---सरकार आहत व्यक्ति के लिये क्या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया जिलान्तर्गत बरहज में बस स्टेशन कायम करने की मांग

*१२२---श्री उग्रसेन---क्या यातायात मंत्री ने रोडवेज बस स्टेशन बरहज (देवरिया) की अलग स्वतंत्र व्यवस्था करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

डाक्टर सीताराम---बस स्टेशन के लिये उपयुक्त भूमि की खोज की जा रही है। भूमि मिलने पर स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य के हेतु समय निर्धारित करना संभव नहीं।

*१२३---श्री उग्रसेन---क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना, तमकुही रोड, बरहज, फाजिलनगर रोडवेज बस स्टेशनों पर स्थायी तौर से मेहतर क्यों नहीं रखे गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---पडरौना बस स्टेशन पर स्थायी तौर से मेहतर नियुक्त है, जहां पूरे दिन का काम नहीं है वहां पार्ट टाइम मेहतर नियुक्त हैं।

*१२४---श्री उग्रसेन---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

परगना बूढ़ापार तथा सादुल्लानगर, जिला गोंडा, में गांव समाज के पेड़ों पर नम्बर डालना

*१२५---श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर, तहसील उतरौला, जिला गोंडा, में भूमि प्रबन्धक चेयरमैन व लेखपालों ने जनता के लगाये हुये बंजर भूमि में छिटपुट पेड़ पर नम्बर डाल कर गांव समाज की सम्पत्ति कर ली है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश गांव समाज मैनुअल, तृतीय संस्करण १९५६ ई० के अध्याय २ के परिच्छेद ५० (५) की अवहेलना करने का कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह---परगना बूढ़ापार तथा सादुल्लानगर तहसील उतरौला, जिला गोंडा के लेखपालों ने गांव समाज मैनुअल के परिच्छेद ५० (५) को ध्यान में रख कर ही केवल उन्हीं

पेड़ों पर नम्बर डाला है जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है । लोगों को आपत्ति करने का अवसर दिया गया और जिन लोगों की आपत्ति ठीक पाई गई उनके पेड़ों पर नम्बर नहीं डाले गये ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

फ़ीरोजाबाद तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१२६--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरसा नदी में इस वर्ष बाढ़ आने के कारण फीरोजाबाद तहसील में कितना नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा पीड़ित जनता को कितनी सहायता तथा लगान व आबपाशी में छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह--सरसा नदी में इस साल बाढ़ आने के कारण फीरोजाबाद तहसील में खरीफ की फसल को क्षति पहुंची तथा १३ मकान गिरे और ६,००० रु० के अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा । आगरा जिले में खरीफ १३६५ फसली की क्षति के सिलसिले की प्रारम्भिक रिपोर्ट आ चुकी है । फाइनल रिपोर्ट आने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी जायेगी । आबपाशी की छूट की सूचना राजस्व विभाग के पास अभी नहीं है ।

आगरा जिले को ३०,००० रु० की तकावी तथा १०,००० रु० मकान बनवाने की सहायता के लिये दिये गये हैं; उनमें से फीरोजाबाद तहसील को काफी हिस्सा मिला। इसके अतिरिक्त केवल फीरोजावाद तहसील के लिये २५,००० रु० की तकावी और दे दी है ।

बरेली रीजन की ट्रान्सपोर्ट कमेटी

*१२७--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि बरेली रीजन की ट्रान्सपोर्ट कमेटी का निर्माण कब हुआ और तब से अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

डाक्टर सीताराम--यह कमेटी सन् १९४० में बनी थी । तब से दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक कुल ७५ बैठकें हुई हैं ।

बदायूं जिले के अग्नि पीड़ितों को सहायता

*१२८--श्री श्रीकृष्ण गोयल व श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९५७ से अब तक जिला बदायूं में किन-किन ग्रामों में आग लगी ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३४२-३४३ पर)

*१२९--श्री श्रीकृष्ण गोयल व श्री कैलाश कुमार सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन अग्निकांडों में कितनी अनुमानित हानि हुई और क्या सरकारी सहायता दी गई?

श्री चरणसिंह--इन अग्नि कांडों में ४,४९,५२४ रुपये ८ आने की अनुमानित हानि हुई तथा निम्नलिखित सरकारी सहायता दी गई :-

	रु०
अहेतुक सहायता	३,४९९
तकावी	२१,६६०

इसके अलावा ४,२९४ रुपये की मालगुजारी की वसूली स्थगित की गई और ४२० कपड़े मुफ्त वितरण किये गये ।

गोरखपुर डिवीजन की आजमगढ़ डिपो से कण्डक्टरी की ट्रेनिंग प्राप्त उम्मीदवार

*१३०--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४-१९५५, १९५६ तथा १९५७ ई० में गोरखपुर डिवीजन (आजमगढ़ डिपो) से प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने उम्मीदवार कन्डक्टरी की ट्रेनिंग में पास हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३१--श्री यमुनासिंह--उपर्युक्त ट्रेनिंग प्राप्त उम्मीदवारों में से उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने उम्मीदवारों को मुस्तकिल स्थान प्राप्त हो चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

बाराबंकी जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१३२--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में जिला बाराबंकी में बाढ़ के कारण कितने गांव प्रभावित हुये थे ?

श्री चरणसिंह--१९५७ में बाढ़ से बाराबंकी जिले में कुल ३४१ ग्राम प्रभावित हुए।

*१३३--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--बाढ़ से कुल कितनी क्षति हुई तथा सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें बाढ़-पीड़ितों के लिये पहुंचाई गईं ?

श्री चरणसिंह--बाढ़ से हुई क्षति का विवरण निम्न प्रकार है --

१--प्रभावित क्षेत्रफल कुल--१,३३,४०५ एकड़
कृषि योग्य--७४,२६६ एकड़

२--प्रभावित जन-संख्या--१,१३,४१३

३--क्षति-ग्रस्त व ध्वस्त मकानों की संख्या--६५

४--पशु हानि--२५

५--फसलों को क्षति--१३ लाख रु०

सहायतार्थ सभी संभव कार्य सरकार द्वारा किये गये जैसे बाढ़-पीड़ित जनता को नावों द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, आवश्यक सामग्री (नमक, गुड़, चना, खाने) का प्रबन्ध करना तथा वितरण करना, रक्षित वन को पशुओं के चरने के लिये आज्ञा प्रदान करना, अहेतुक सहायता तथा तकावी का वितरण करना, आदि, आदि।

मनुष्यों की तथा पशुओं की चिकित्सा आदि का भी प्रबन्ध किया गया। सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली गईं। कायदे के अनुसार मालगुजारी में भी छूट दी जायेगी।

*१३४--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--बाढ़-पीड़ितों की सहायता में कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री चरणसिंह--लगभग ३,०१३.१७ रुपया नावों के किराये आदि में, २,५०० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में तथा १,३५,००० रुपये तकावी के रूप में व्यय किये जा चुके हैं।

*१३५--श्री गंगाप्रसाद सिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

१०० एकड़ से अधिक जमीन वाले तराई-भावर के किसान

*१३६--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तराई-भावर, जिला नैनीताल, में १०० एकड़ से अधिक जमीन वाले कितने काश्तकार हैं ?

श्री चरणसिंह—यह सूचना श्री गोविन्दसिंह जी, एम० एल० ए०, के प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर में २२ अगस्त, १९५७ को विधान सभा में दी जा चुकी है। वहां ऐसे ७७ काश्तकार हैं।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में ओला पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना

१—**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में इस वर्ष रबी की फसल में किन-किन जगहों पर ओला पड़ा था और किसानों को इससे कितना नुकसान हुआ था? क्या सरकार पीड़ित क्षेत्रों में किसानों के लिये सहायता देने का विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह—मथुरा जिले में केवल छाता तहसील के एक गांव दहगांव में थोड़ा ओला २८-१-५८ को पड़ा था। लेकिन इससे रबी १३६५ फसली को कोई हानि नहीं हुई। अतएव किसानों को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर-खीरी जिले की भूमि

२—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखीमपुर-खीरी जिले में कुल कितने एकड़ जमीन है और उसमें जंगलों, नदियों में कितनी है, परती कितनी पड़ी है, और खेती कितने में होती है?

श्री चरणसिंह—लखीमपुर जिले का क्षेत्रफल १६,०३,०३३ एकड़ है। उसमें से ८७,१६८ एकड़ पर जंगल है; १,०१,०२७ एकड़ पर पानी है; १,३१,९२८ एकड़ भूमि परती पड़ी है और १०,०१,१२८ एकड़ पर खेती होती है।

३—**श्री बंशीधर शुक्ल**—[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों का उत्तर समय से न मिलने की शिकायत

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्नों के बारे में निवेदन करूंगा कि आज प्रश्न संख्या ९ व १० मेरे नाम पर थे, उनके उत्तर अभी मुझे ११ बजने में १ मिनट पर मिले। इस देरी से हमें बहुत तकलीफ होती है। हम किस तरह से तैयार हो सकते हैं जब कि यह इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी तहकीकात कर लूंगा?

चिनकुरी खान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायतार्थ प्रार्थना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि अभी खानों में जो दुर्घटना हुई और उसमें जो बहुत से लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है उसमें उत्तर प्रदेश के और विशेषकर गोरखपुर के काफी लोगों की हानि हुई है; क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल की है और उन क्षति-ग्रस्त परिवारों को किसी तरह की सहायता देने की कोशिश की है? यदि अभी नहीं की है तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस की जानकारी करे और उन परिवारों की सहायता करने की मेहरबानी करे।

श्री अध्यक्ष—इसका माननीय श्रम मंत्री जी से सम्बन्ध है, वह तो मौजूद नहीं हैं; लेकिन आप की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुन ली है। अगर इसका कुछ उत्तर देना होगा तो वह किसी दूसरे दिन देंगे।

वादविवाद की व्यवस्था पर वैधानिक आपत्ति

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं वाद विवाद की व्यवस्था पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १८५ की ओर दिलाऊंगा और निवेदन करूंगा कि अभी तक अक्सर ऐसा होता है कि जो माननीय सदस्य एक बार बोल चुकते हैं उन्हीं को फिर दूसरी बार और तीसरी बार बोलने का मौका मिल जाता है और बहुत से माननीय सदस्यों को बार-बार उठने पर भी मौका नहीं मिलता.....

श्री अध्यक्ष—वह कौन सा नियम है, यह आप बतायें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—यह नियम १८५ है । उसके सब-सेक्शन १,२,३ हैं जिनमें वाद-विवाद की व्यवस्था दी हुई है कि किस तरह से सदस्यों को अवसर दिया जाय और वादविवाद हो । उसी संदर्भ में मैं कहूंगा कि यदि कोई माननीय सदस्य दो तीन बार खड़े हों तो क्रम से उनको अवसर दिया जाय और जो बोल चुके हों उनको पुनः अवसर न दिया जाय । इस तरह की आपकी व्यवस्था हो जाय तो अच्छा है । यह नियम १८५ का सब-सेक्शन ३ है जिसमें लिखा है कि "ए मेम्बर.....

श्री अध्यक्ष—उसके मुताबिक कार्य हो रहा है, उस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है । आपने यह नहीं बताया कि कहां नियम भंग हो रहा है । मैं समझता हूं कि यह वैधानिक आपत्ति ठीक नहीं है । जो नियम है उसी के अनुसार कार्य हो रहा है ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक की मांगों पर वाद-विवाद होगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सम्मुख कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं । इस माननीय सदन ने गांवों की जनता के जीवन के सुधार के लिये दो क्रान्तिकारी कदम, पंचायतराज ऐक्ट और जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था ऐक्ट के रूप में उठाये । लेकिन हमने देखा कि पंचायतराज ऐक्ट के द्वारा गांवों में अशान्ति फैली है और मुकदमेबाजी बढ़ी है और एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं । जब सन् ५६ के चुनाव आये तो हमने देखा कि उस समय सत्ता हथियाने की होड़ लगी थी और हर एक व्यक्ति दूसरे को नीचे घसीटना चाहता था । चुनाव के लिये वोटर्स लिस्ट बनायी गयी । उसमें जो समझते थे कि फलां व्यक्ति अपना बहुमत प्राप्त कर लेगा उसको वोटर्स लिस्ट से ही निकाल दिया गया । नामिनेशन पेपर जब चुनाव के वक्त दिये जा रहे थे उस वक्त जो लोग नामिनेशन पेपर ले रहे थे उन लोगों ने भी बहुत सी गलतियां कीं । लोगों को टैक्स देना बाकी था फिर भी उनके नामीनेशन पेपर लिये गये और स्वीकार किये गये । उनसे तारीख निकलने के बाद टैक्स लिया गया । यह सब पोलें बाद को खुलीं । जिन अधिकारियों ने अपनी शक्ति का ऐसा दुरुपयोग किया उनको बरखास्त किया गया । इससे यह प्रत्यक्ष जाहिर है कि पेटीशन अब भी चल रहे हैं और कई कई साल चलते हो गये । मालूम हुआ कि गांव सभा, गांव समाज और भूमि प्रबन्धक समितियों के फारमेंशन में गलती है । मैं तो पंचायतराज ऐक्ट को उस नाव की मानिंद समझता हूं जो बहुत सुन्दर है पर जिसके अन्दर दो सूराख हैं, पतवार चलता जा

रहा है लेकिन किसी न किसी दिन यह डूब जायगी। इस पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर ग्राम सभा, ग्राम समाज और भूमि प्रबन्धक समिति संचालित की जा रही है। जब उनका आधार गलत होगा तो मुकदमेबाजी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और यह भ्रष्टाचार अधिकारियों में फैलेगा।

इसको ठीक करने के लिये पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि हम चुनाव ठीक करें। एक यह सुझाव आया है कि हाथ उठाकर चुनाव न कराया जाय, गुप्त मतदान द्वारा कराये जांय। मैं तो इसके आगे और चाहता हूं कि आज जो भी गांव सभा, ग्राम समाज या भूमि प्रबन्धक समिति के चुनाव कराये जायं वे सर्वसम्मति से कराये जांय। आज मुकदमेंबाजी, डकैती और कत्ल गांवों में बढ़ रहे हैं। अगर सर्वसम्मति से चुनाव कराये जायं तो वह सब बन्द हो जायं।

दूसरे, न्याय पंचायत में पंचों को मनोनीत किया जाता है। यह पद्धति भी गलत है। 'उत्तर प्रदेश आंकड़ों में' जो पुस्तिका है उसमें कुछ आंकड़े दिये हुये हैं जिससे मालूम होता है कि १९५४-५५ में लाखों की तादाद में मुकदमे जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे वे आंकड़े कम होते गये। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मुकदमेबाजी कम हो गयी और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है या यह कि जो न्याय पंचायतें हैं उनके द्वारा न्याय नहीं हो रहा है। इसी पुस्तिका में दूसरी जगह यह लिखा हुआ है कि कत्ल, डाके, चोरियां बढ़ रही हैं। इससे मालूम होता है कि जनता के अन्दर नैतिकता का स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है। अगर जनता में नैतिकता नहीं है तो कमी कहां है? न्याय पंचायतों में है। इसलिये जो चुनाव कराये जायं वह सर्वसम्मति से कराये जायं जिससे ये सारी चीजें खत्म हो जायं और जनता में सुख और शान्ति हो। वरना सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कोई लाभ नहीं होगा, वहां का जीवन नारकीय हो जायगा। मैं समझता हूं कि अगर सर्व सम्मति से चुनाव कराये जायं तो हमारे विकेन्द्रीकरण का अभाव पूरा होगा।

आज हम गांव के अन्दर देखते हैं कि कोई रोजगार नहीं है। मामूली लोग हैं, जुलाहे हैं, छोटे दूकानदार और दर्जी आदि हैं, किसान और मजदूर हैं। इन सब पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? जब हम गांव समाज में जितनी भूमि जोतते हैं उसका लैंड रेवेन्यू देते हैं और २२ करोड़ के करीब देते हैं तो उसका अंश कुछ देना चाहिये। १९५४ में जो आल इंडिया टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके वाल्यूम नम्बर तीन में यह सिफारिश की गई है कि गांव सभा पर कोई भी टैक्स न लगाया जाय और १५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू का ग्राम समाज के लिये ग्राम सुधार के हेतु दिया जाय। यही बात जनसंघ बहुत दिनों से कहता चला आया है कि लैंड रेवेन्यू ग्राम समाज के लिये अवश्य रखी जाय। मेरा एक सुझाव उसके साथ-साथ और है, कि जो भी लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाय वह पंचायतों द्वारा किया जाय और उसमें से भी कुछ अंश गांव पंचायतों को दिया जाय।

इसके पश्चात् मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन पंचायतों के जो प्रधान हैं पंच हैं, सरपंच हैं, उनका निरीक्षण साल के साल कराना जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि सन् ४९ से अब तक जो ग्राम सभायें चल रही हैं, मैंने कितने ही प्रधानों के कागजात देखे हैं, बिलकुल गलत तरीके से उन्होंने रख रखे हैं, कहीं कोई रसीद रखनी चाहिये, वह नहीं रखी गई है, कहीं खर्चा अधिक दिखा दिया गया है, इस तरह से उनमें अनेक गड़बड़ियां हैं। इसलिये इन सबका आडिट साल के साल होना चाहिये जिससे कि जो आप की आमदनी है उसका निरीक्षण हो जाय।

[श्री हिम्मतसिंह]

उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा के प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके ऊपर पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल यही राज्य करते हैं। आज हमारे प्रान्त के अन्दर गांवों में हम देखते हैं कि गोचर-भूमि जो जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार ऐक्ट के पास होने के पूर्व जमींदारों के पास थी उनपर उन जमींदारों ने ५०-५१ में कब्जा कर लिया। वह जोतते भी नहीं हैं, उनका नाम दर्ज है। उन पर वह कब्जा किये बैठे हैं। दो-दो, तीन-तीन साल तक जोतते नहीं हैं, लेकिन मालिक बने बैठे हैं। प्रधान उनके खिलाफ बोलते हुये दबते हैं क्योंकि बड़े जमींदार हैं, कलेक्टर से मेल है, सबसे जान-पहचान है, कहीं किसी डकैती या चोरी में लिखा न दें, इस वजह से वह उनसे बोलते नहीं हैं। वह जमीन आज गांव समाज के पास होनी चाहिये, लेकिन वह जमींदारों के कब्जे में है। उसको निकलवाया जाय। उससे पशुओं को चरने की जगह मिलेगी और पशुधन जो हमारा है जिससे हमारी एक तिहाई आमदनी है, उसमें बढ़ोतरी होती जायगी। उनसे दूध, दही, घी, मट्ठा मिलेगा जिससे हमारी अन्न की समस्या भी हल होगी और गोबर जो मिलेगा उससे हमारे खेतों में पैदावार ज्यादा होगी।

श्रीमन्, चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे यहां औषधियों की पेटिकायें गांवों में भेजी जाती हैं; उनकी हालत वैसे ही है जैसे किसी सिपाही से पूछा जाता है कि यह रास्ता कहां जायगा, और वह यह कहता है कि शायद यह कलकत्ता जायगा। तो जाने वाला २० दफे सोचता है कि जाएं या न जाएं। वैसे ही प्रसूतिकाओं और औषधियों की पेटियों का हाल है। वह सोचते हैं कि जो दवाई देने के लिये आयी है वह दें या न दें, उससे लाभ होगा या नहीं होगा। इसलिये, श्रीमन्, कुछ ट्रेंड आदमी भी जाने चाहिये जिससे कि वह उन दवाइयों से लाभ उठा सकें। आज देहातों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, उनके मवेशियों के लिये दवाइयां नहीं मिलती हैं। अगर कोई शफाखाना है भी तो वह जिले के केन्द्र पर है। उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर न्याय पंचायत केन्द्र पर एक अच्छा डाक्टर होना चाहिये, वहां पर प्रसूतिका घर भी होना चाहिये जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु से रक्षा की जा सके।

एक चीज और आपके सामने बता देना चाहता हूं कि आज जो गांधी स्मारक बने हुये हैं, जो गांवों में लालटेनें और खड़ंजे लगाये गये हैं, जो नालियां बनायी गयी हैं उनकी बड़ी ही दुर्दशा है। बरसात में जब कच्चे मकान गिरते हैं तो वह नालियां भर जाती हैं, उनकी सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो गांधी स्मारक के चबूतरे बने हैं हम उनको विक्रमादित्य का चबूतरा समझते हैं, उन पर बैठकर न्याय होना चाहिये, लेकिन उनकी भी हालत बहुत शोचनीय है। उनकी सफाई का भी प्रबन्ध होना चाहिये और वहां पर बैठ कर गांवों का न्याय हो।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की ओर भी दिलाना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत बड़ी खराब दिखाई देती है। गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़न पैदा हो जाती है। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव न कराने से ही यह गंदगी पैदा हो गई है। हम चाहते हैं कि बोर्ड के चुनाव मार्च में ही हो जायं जिससे जो कौंसिल का चुनाव होने वाला है उसमें भी मत देने का अवसर मिल जाय। यही मेरे थोड़े से सुझाव हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों का जो अनुदान हमारे सामने है उसके पास होने में कोई दो रायें नहीं हैं। पंचायत राज १६४६ में यहां कायम हुआ। उसकी मंशा थी कि देहात भी नगरों के समान उन्नति करें, वहां के रहने वाले अपना प्रबन्ध स्वयं करना सीखें और अपने पैरों पर खड़े हों। जो हमारे पूज्य महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गांव किस प्रकार उन्नति करें, कैसे आगे बढ़ें, उसकी पूर्ति के लिये यह पंचायतराज कायम हुआ। कुछ बीच में राय इस प्रकार की भी आयी कि पंचायतों और न्याय पंचायतों का काम अच्छा नहीं हो रहा है, लिहाजा इनको समाप्त

कर दिया जाय। लेकिन पुनः विचार करने पर यह राय हुई कि इनको चलाना चाहिये और कोशिश की जाय कि इसमें सफलता मिले। आज गांव सभायें जिस प्रकार काम कर रही हैं वह चाहें संतोषजनक न हों लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, उससे ही संतोष करना पड़ेगा। न्याय पंचायतों में काफ़ी कमियां हैं साथ ही कठिनाइयां भी हैं। वह शनैः शनैः दूर होंगी। इस आशा पर हम यह कह सकते हैं कि इनको कायम रहना चाहिये और आगे चलाना चाहिये और इनके काम में सुधार होना चाहिये।

आज इनका फंक्शन सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा निर्भर है इसलिये कि गांव सभाओं के, जैसा कहा गया, प्रधान विशेषकर अनपढ़ होते है जो कायदे कानून नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या करना है। उनको बताने की ड्यूटी इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी की है। लेकिन बहुधा देखा गया है कि वह लोग देहातों में बहुत कम जाते हैं और ठीक प्रकार से उनको समझा नहीं पाते हैं कि पंचायतों का उद्देश्य क्या है, कैसे कार्य करना चाहिये। साल भर में ग्राम सभाओं की दो बैठकें जरूरी हैं, एक रबी की फसल पर और दूसरी खरीफ की फसल पर। उन बैठकों में बताया जाय कि आय-व्यय का कितना बजट पास किया जाय और कार्य बताये जायं कि ६ महीने में इतना कार्य कर चुके हैं, आगे इतना करना है, कृषि के सम्बन्ध में यह करना है, उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में यह करना है, गांव की सफाई सुधार आदि के बारे में यह करना है। लेकिन इसको बताने के लिये सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर अपने फ़र्ज में कोताही करते हैं। नतीजा यह होता है कि कार्य ठीक प्रकार से चल नहीं पाता है। अव्वल तो दुर्भाग्य की बात यह है कि गांवों में पार्टीबन्दी होने से अगर एक ही पार्टी के सदस्य चुने जाते हैं तो बहुत से काम रुक जाते हैं। दूसरी पार्टी के लोगों से सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी जायं और उनके फ़र्ज बतायें तो यह हो सकता है कि वह सारी बातें भूल कर गांवों की उन्नति में लग जावें। इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह कोशिश करें कि इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी को इस बात की हिदायत दी जाय कि अपनी ड्यूटीज का ठीक प्रकार से पालन करें, गांवों में जाकर के वह रिपोर्ट तैयार करें और गांव वालों को हर प्रकार से मदद करें, उन्हें उनकी उन्नति और सुविधाओं का रास्ता बतायें।

जहां तक टैक्स का सम्बन्ध है, सेक्रेटरी साहब गांव में टैक्स लगाते हैं; टैक्स की लिस्ट बना देते हैं और उसे प्रधान से स्वीकृत करा लेते हैं। प्रधान उसे समझ नहीं पाते हैं और उस पर दस्तखत कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि टैक्स उल्टे सीधे और ज्यादा लग जाते हैं, जिससे परेशानी पैदा होती है। फिर उज्रदारी का मौका भी नहीं दिया जाता है जिससे अवैधानिक कार्य हो जाते हैं। तो इस तरफ भी खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

जो पैसा दिया जाता है अक्सर उसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जिससे गरीबों और हरिजनों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। आप गांव में जो श्रमिकों और हरिजनों की बस्तियां हैं उनको जाकर देखें। उनके यहां गलियों में खड़न्जे नहीं लगाये जाते हैं। उद्देश्य टैक्स देने का यही होता है कि जो खराब और सुधार के काबिल जगह हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। लिहाजा इस तरफ भी तवज्जह दी जाय। जो कार्य हों वे सबके लिये समानता पैदा करने वाले हों।

न्याय पंचायतों में भी दिक्कतें आती हैं। मंत्री जी ने बतलाया कि ज्यादातर मामले फैसले के तौर पर निपटाये गये, लेकिन कहीं-कहीं दिक्कतें भी आईं। पंच और सरपंच किसी मामले को तय करने के लिये मुकर्रर हैं, लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंचते, घर पर बैठ कर ही प्रोसीडिंग्स को लिख देते हैं। वकीलों से मशविरे के लिये जाते हैं। इससे ज्यादा दिक्कत पैदा होती है। अदालतों में जितने मुकदमे पहले जाते थे उनमें कोई विशेष कमी नहीं हो पाई

[श्री रामदास आर्य]

है। मंशा न्याय पंचायत को कायम करने की यही थी कि खर्चा कम हो, समय भी बचे और अदालत में जाने से लोग बचें। लिहाजा इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये मामलात आपस में तय किये जायं। कोशिश यह की जाय कि मामलात के निपटाने में सुधार हो। अगर इन चीजों पर पूर्णतया ध्यान दिया जायगा तो मैं कोई ऐसा कारण नहीं समझता जिसमें गांव पंचायतें तरक्की न करें। वे जरूर तरक्की करेंगी। गांव पंचायतों में सहयोग की भावना को बहुत आवश्यकता है। श्रमदान से उन्होंने जितना कार्य किया है वह सराहनीय है। काफी रुपया सरकार का लगता, वह बचा, लेकिन जरूरत यह है कि गांव पंचायतें जो कार्य करें, सरकारी कर्मचारी उनका निरीक्षण करते रहें। अगर कहीं गलती होती है और उसको नजरन्दाज किया जाता है तो वह गलती बढ़ जाती है, उससे नाइत्तिफाकी पैदा होती है और नतीजा उसका बहुत खराब हो सकता है। इन चीजों पर विचार किया जाय। सरकारी कर्मचारी इस पर ध्यान रखें कि गांव पंचायतें अपना कार्य संचालन ठीक से करें और आगे बढ़ें।

जहां तक टैक्सेज का सम्बन्ध है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव पंचायतें दोनों एक ही किस्म के टैक्स लगाती हैं। दोहरे टैक्स से लोग बरबाद हो जाते हैं, जिससे गांव पंचायतों की बदनामी होती है। टैक्स तो एक ही देना होता है, लेकिन उसी काम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव-पंचायतें दोनों टैक्स लगाती हैं। एक ही संस्था टैक्स लगाये तो उचित होगा। मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों को आमदनी होनी चाहिये, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांव वालों पर बोझा पड़ जाय। गांव वाले सहयोग तभी देंगे जब उनकी उन्नति के लिये सफाई, तालीम, दवा इत्यादि की सुचारूरूप से व्यवस्था की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १४,३४ और ३९ लेखा शीर्षक २५,५० और ५७ में जो कटौती का प्रस्ताव किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, कहने के लिये यह कहा गया है कि गांव पंचायतें भारत की स्वतंत्रता की इकाई के रूप में बनायी गयी हैं, लेकिन श्रीमन्, इसके चुनाव पर मैं आपके द्वारा सरकार और सदस्यों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप देखें कि कोई चुनाव ऐसा नहीं है, चाहे वह पार्लियामेंट का हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या असेम्बली का कि एक सदस्य जो खड़े होते हैं, हारने के बाद उनकी जो रकम सिक्योरिटी के आधार पर जमा होती है वह वापस कर दी जाती है, या जीतने के बाद भी वापस कर दी जाती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ग्राम सभा के सभापतियों और सदस्यों को न कोई वेतन दिया जाता है, न भत्ता दिया जाता है फिर भी जीतने के बाद उनसे किस आधार पर और किस न्याय के आधार पर यह रकम जमा करायी जाती है और वापस नहीं दी जाती है? श्रीमन्, मैं साल भर से सदन में देख रहा हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर और पिछड़ी जाति के नाम पर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन हरिजनों के बारे में आपने कोई ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि जब वह सदस्य बनाये जायं, सभापति बनाये जायं तो उनको वह रकम न देनी पड़े जो पंचायत के सदस्यों के लिये देनी निर्धारित की गयी है, जो मजदूरी करते हैं, जिनके जीने का कोई सहारा नहीं है उनके ऊपर भी वही रकम लागू है जो दूसरों के लिये लागू है।

जहां तक पंचायत के टैक्स लेने का सवाल है, मैं आप को निश्चित रूप से बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार इस पंचायत को स्वस्थ बनाना चाहती है, पंचायतराज को मजबूत करना चाहती है तो उनके लिये जरूरी है कि उनके ऊपर जो टैक्स का भार दिया गया है वह पूरा कर दिया जाय। जब एक सरकार और एक राज्य है तो एक ही तरह का, एक ही मद से टैक्स वसूल क्यों न किया जाय और उस आमदनी को विभिन्न मदों में क्यों न बांट दिया जाय? उससे झगड़ा कम होगा और आसानी से वह अपना काम चला लेंगे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके द्वारा इस सरकार से यह भी कहता हूं कि सरकार को यह १,१२ करोड़ रुपया खर्च करने का हक है और आपके सामने यह भी कई बार आ चुका है कि जो अन्दाजा लगाया जाता है उससे अधिक खर्चा सरकारी कर्मचारी करते हैं। अगर उन पंचायत के प्रधानों को कुछ रकम सरकार की तरफ से दी जाय और उनके ऊपर विश्वास किया जाय और देखा जाय कि वह अपना काम ईमानदारी से करते हैं या नहीं तो मेरा खयाल है कि कोई ऐसा नहीं निकलेगा जो रकम को हड़पना चाहे। वह अगर चाहेंगे भी तो उनके ऊपर पूरे गांव की निगाह रहेगी और वह कोई पैसा चुराकर नहीं खा सकते हैं।

जहां तक बजट का सवाल है, ग्राम सभा के ऊपर खर्च का सवाल है, ग्राम पंचायत का कोई ऐसा बजट नहीं है जिसमें २/५ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर और भत्ते पर न खर्च होता हो। ३/५ में जनता की भलाई की कोशिश की जाती है और इसमें कभी सफलता नहीं मिल सकती। जब मुझे यह पता चला कि २/५ हिस्सा ब्यूरोक्रैसी, नौकरशाही पर खर्च कर दिया जाता है और किसी काम में नहीं आता है तो मैं हैरान रह गया। मैं एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की मीटिंग में गया, वहां सुना कि यह जो श्रमदान का कार्य है उसके लिये सरकारी कर्मचारियों को हिदायत है कि वह खुद श्रमदान न करें, बल्कि श्रमदान का कार्य जनता से करायें। कहा जाता है कि हम मालिक हैं, जनता इस देश की हुक्मरां है और ये नौकर हैं, लेकिन श्रीमन्, बात यह है कि देहाती मसल है कि मैं "गोसयां भुइयां कुकुर पुजौटी"। आज स्कूल के जो मास्टर हैं और जो सेवक हैं उन दोनों में कोई तुलना नहीं है। टैक्स जो गांव सभा के ऊपर हैं, मैं आपको बतलाऊं कि जिस जिले का निवासी मैं हूं, जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है श्रीमन्, सवा छः रुपये से सवा आठ रुपये तक मासिक आय, प्रति व्यक्ति है, इससे अधिक नहीं है। आप अंदाज लगाकर देख लीजिये कि उनके जीने का सहारा केवल भूमि ही है, खेती ही उनका जरिया माश है और खेती की उपज के आधार पर ही उनकी आमदनी इतने रुपये होती है। जिस व्यक्ति की आमदनी सवा आठ रुपये प्रति मास हो वह कैसे ४०० रुपये माहवार का कर्मचारी रख सकता है जो प्रस्तुत बजट में आया है। मालिक की हैसियत सवा आठ रुपये और कर्मचारी की तनख्वाह ४०० रुपये है। इस तरह से तो मुल्क का कल्याण होने वाला नहीं है।

जहां तक पंचायतों का सवाल है, दस साल हो गये हैं, लेकिन पंचायत राज ऐक्ट के नियमों के आधार पर गांव सभा के प्रधान को कोई सम्पत्ति का रजिस्टर नहीं दिया गया है, न तो सरकार की तरफ से और न किसी विभाग की तरफ से। श्रीमन्, यह कहा जाता है कि कोई सुझाव नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई सुझाव क्या दे? आपने कह दिया है कि अगर कोई पेड़ मध्यवर्ती लगायेगा तो वह गांव समाज का हो जायगा। यह झगड़ा क्यों रखा है। मैं अर्ज करूं सड़क के ऊपर जो पेड़ होते हैं उनके बारे में कोई हिदायत नहीं है। यह बाबेला सब जगह है। एक सभापति ने सड़क के पेड़ के बारे में दरख्वास्त दी और कानूनगो वहां पहुंचे और लिख दिया कि पेड़ उसी का लगाया हुआ है। अगर यह झंझट न होता तो इस तरह के झगड़े क्यों होते।

यह पंचायत राज ऐक्ट जो बना है इसमें प्रधान को बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन बिगाड़ने का दिया हुआ है। एक अंकुश लगाया गया है कि अगर कोई किसान अपनी जमीन रेहन करे, बटाई पर दे तो गांव समाज का प्रधान उसको बेदखल कर सकता है, लेकिन जो भूख से मरने वाला है उसको एक छटांक अन्न नहीं दे सकता है। आपने उसको जिन्दगी के रक्षक होने का अधिकार नहीं दिया है। तो फिर बिगाड़ने का उसको क्यों अधिकार दिया है? जमींदारी इसीलिये

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

खत्म की गई कि वह किसानों को बरबाद करते थे। अब उसी जगह पर सभापति को बेदखल करने का अधिकार है। काश्तकार को रेहन का अधिकार नहीं है, बटाई का अधिकार नहीं है।

मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या कठिनाई है जिसके कारण आपने मेजरमेंट नहीं दिया है जो भूमि सम्बन्धी झगड़ों के विवाद को हल कर सके? कोई नक्शा नहीं दिया है, कोई नापने का औजार नहीं दिया है।

जहां तक मुकदमे का सवाल है, यह सही है कि सरकारी वकील है, लेकिन मुकद्दमा लड़ने के लिये गांव सभा को पैसा खर्च करना पड़ता है। वह देने में हिचकता है, चूंकि वह सोचता है कि मेरा तो काम नहीं है, मैं क्यों रिश्वत दूं? लेकिन उसका काम नहीं होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो उसका काम करते हैं जो उनको पैसा देता है।

एक बात और निवेदन कर दूं कि जहां तक श्रमदान का सवाल है, इसके बारे में मेरा अनुभव है कि जब सरकारी कर्मचारी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और यही नहीं गांव में जो बड़े लोग हैं वह भी हिस्सा नहीं लेते हैं और सारा श्रमदान गरीबों के ऊपर ही रह जाता है, इसलिये यह सारा काम कागज पर ही रह जाता है, मौके पर नहीं होता है। अगर सभी समझें कि यह हमारा मुल्क है और हमें काम करना चाहिये तब काम हो सकता है। गरीब बेचारा दो-तीन दिन काम करके थकता है, लेकिन अमीर तो किनाराकशी किये रहता है।

श्रीमन्, अब मैं न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। क्या सरकार और सरकारी कर्मचारी यह समझते हैं कि वे हमेशा के लिये इस मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं? जो अधिकार एक हाथ से गांव सभाओं को दिये जाते हैं वे दूसरे हाथ से छीन लिये जाते हैं। पहले गांव सभाओं को यह हक था कि गांव सभा के पंच को गांव वाले चुनेंगे, क्योंकि वे ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा और अच्छा है, लेकिन दूसरे चुनाव में यह अधिकार कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया गया। इस तरह से यह जनता का अधिकार छीन लिया गया।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन में उपस्थित किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय स्वशासन मंत्री ने एक लम्बा लेखा इस सदन में उन कामों का पेश किया कि जो ग्राम सभाओं द्वारा इस प्रदेश में हुए हैं, जैसे पंचायत घर, गांधी चबूतरे, खंड़जे, नालियां और सड़कें बनाना आदि। निश्चय ही ग्राम सभाओं ने अपनी छोटी सी आमदनी से इन कामों को तैयार किया है, लेकिन आज उनके सामने आमदनी का एक बड़ा भारी प्रश्न है। गांधी चबूतरा और पंचायतघर आदि ग्राम सभायें इसलिये बनाती थीं कि उनसे प्रेरणा मिलती थी, लेकिन आज नियोजन विभाग ने गांधी चबूतरा और पंचायत घर बनाने पर रोक लगा दी है, वह किसी तरह का अनुदान इन कामों के लिये अब नहीं देंगे। इस प्रकार के आदेश से वे ग्राम सभाओं को हतोत्साह कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि विकास विभाग से बात करके कृपया वे इस रोक को हटा दें।

एक बात मैं और अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। देहातों में बाजार लगते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम सभाओं के अध्यक्षों ने कुछ बाजारों पर ग्राम सभा की ओर से कब्जा किया। इस पर उस समय के जमींदार लोग हाई कोर्ट में रिट लेकर पहुंचे। इसी बीच में कलेक्टर ने उन बाजारों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में दे दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जमींदारों से हाई कोर्ट में लड़ने में उदासीन हो गये। नतीजा यह हुआ कि ग्राम सभाओं के अध्यक्षों ने ही उस मुकदमें को लड़ना शुरू किया। हमारे जिले में एक पूरा का बाजार है। कई वर्ष से उस बाजार का किस्सा चल रहा है। हाई कोर्ट ने मध्यवर्ती का रिट मंजूर करके कहा कि फिलहाल तुम्हारा कब्जा बाजारों पर रहेगा,

लेकिन सिविल कोर्ट में जाकर अपना अधिकार साबित करो। मध्यवर्ती ने सिविल कोर्ट में दावा किया है। दावा कई वर्षों से चल रहा है और अब परेशान होकर गांव समाज ने मध्यवर्ती से एक समझौता किया कि जितनी जमीन पर मध्यवर्ती की दुकानें बनी हैं, उस पर मध्यवर्ती का कब्जा रहेगा और जो एक चौथाई परती जमीन है जिस पर शेष बाजार लगता है वह गांव सभा की रहेगी। बाजार की आमदनी का एक चौथाई जो करीब दो हजार रुपया होता है मध्यवर्ती गांव समाज को देता रहेगा। इस समझौते को जिला मैंजिस्ट्रेट ने इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया है कि यदि इस पर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर को किसी प्रकार की आपत्ति न हो। वह फाइल कई महीने से लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के यहां पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। मालूम हुआ कि वह बिना रेवेन्यू सेक्रेटरी से परामर्श किये अपनी राय नहीं देना चाहते हैं। इधर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां फैसले की कई तारीखें पड़ चुकी हैं और वे यह कहते हैं कि अगर आप इस मामले में समझौता कर लें तो हमको जजमेन्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरना हम अपना फैसला सुना देंगे। अब अगर जजमेंट कहीं गांव सभा के खिलाफ हो गया तो हमेशा के लिये गांव सभा की आमदनी इस गफलत में मारी जायगी। लिहाजा मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के मामलों को वह जल्दी तय कराने की कृपा करें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि उनके चुनाव अब हो जाना ही चाहिये। यह बहुत दिनों से टलते आ रहे हैं। वह इस कारण टलते रहे कि जिला बोर्ड के सम्बन्ध में जो सुधार करने की बात थी वह करीब करीब गत वर्ष पहले से चल रही है, किन्तु जिला बोर्डों को कोई अधिकार देने की बात कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। उसका कारण यह था कि आप की जो लोकल सेल्फ गवनमेंट कमेटी है जो इस मसले पर विचार कर रही है उसने स्वतंत्र रूप से अभी तक उस पर विचार नहीं किया। जब सदन बैठा तो उसको बुला लिया गया और चन्द घंटों के लिये लोग तफरीहन बैठ गये और लोगों ने अपनी राय दे दी, लेकिन कोई ठोस स्कीम उसके लिये सामने आई हो या उस पर विचार हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिला बोर्डों का नकक्शा इस प्रकार से बनाने की चेष्टा करें जिससे वे कारआमद संस्थाएं बन जायं, कोई उनसे शिकायत न रहे। चाहे तो जिला कौंसिल या उसका कोई दूसरा रूप देने के लिये आप प्रयत्न करें जिससे उसकी एक रूपरेखा सामने आ जाय। अगर यह कौंसिल बन सकती है या इसी तरह से उसका कोई रूप सामने आ सकता है, तो इन गर्मियों में चुनाव नहीं होने चाहिये। अगर यह मालूम पड़े कि अब हम कुछ महीने नहीं बैठ सकते हैं और जिला कौंसिल का रूप सामने नहीं आ सकता है तब तो चुनाव जरूर हो जाने चाहिये।

अब मैं चन्द बातें कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जहां पर कि कारपोरेशन बनने की बात कही जाती है। कारपोरेशन होने की बात हम ६ वर्ष से सुन रहे हैं। वहां पर प्रशासक नियुक्त किया गया। उस प्रशासक ने वहां पर पहुंचकर इस तरह का कार्य किया है जिससे वहां का जन-जीवन बड़े खतरे में पड़ गया है। जिस वक्त वहां पर प्रशासक पहुंचा तो म्युनिसिपल बोर्ड से संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता था उसको रोक दिया गया यहां तक कि भारत स्काउट्स एन्ड गर्ल गाईड्स ऐसी संस्था का अनुदान भी रोक दिया गया। बड़ा शोरगुल मचानेके बाद वह अनुदान दिया गया,लेकिन वहां इस तरह से एक अनियंत्रित शासन होने के कारण एक तरह से जनजीवन बिलकुल मर गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कारपोरेशन स्थापित हो सके ऐसी व्यवस्था शीघ्र करें और अगर यह जल्दी नहीं बन सकते हैं तो फिर उन पुरानी म्युनिसिपैलिटीज़ का ही चुनाव हो जाना चाहिये जिससे जनता इस तानाशाही से बच जाय। काफी वर्षों से उनका चुनाव नहीं हुआ है। यदि मालूम पड़े कि कारपोरेशन साल दो साल नहीं बन सकते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव पुराने ऐक्ट के मुताबिक हो जाना चाहिये। मैंने देखा कि वहां पर जो स्टाफ है इक्जीक्यूटिव आफिसर

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह का वह बड़ी-बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं और मोटे-मोटे भत्ते लेकर कारों में दौड़ रहे हैं और बैठे हुये मौज कर रहे हैं। इस प्रकार टैक्सपेयर का पैसा लुट रहा है।

कारपोरेशन पर कर्जा लद रहा है और नया-नया कर्जा लिया जा रहा है। उसको कैसे अदा किया जायगा? जनता पर टैक्स का और बोझा पड़े इसके सिवाय और रास्ता नजर नहीं आता है। कर्जे को अदा करने के लिये भी नया कर्जा लिया जा रहा है। कहा जाता है कि जब कारपोरेशन बन जायगा तो आमदनी बढ़ जायगी। क्या इसी के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया है? इससे ऐसा मालूम होता है कि टैक्सपेयर की कमर तोड़ने के लिये यह वहां पर भेजे गये हैं। कुछ सड़कें वहां पर जरूर चौड़ी की गई हैं। किन्तु दूसरी तरफ कूड़ा खाने दो-दो दिन तक साफ होने की कहीं-कहीं नौबत नहीं आती। जो पुस्तक हमको दी गई है उससे यह मालूम होता है कि माल रोड चौड़ी हुई है, उसमें सुन्दर रोशनी लगी है और वह जरा सुन्दर भी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि गलियां इतनी गन्दी हैं कि वहां पर निकलना मुश्किल है। यह सारी चीजें इसलिये केवल हो रही हैं कि जनता का प्रतिनिधि वहां नहीं है। केवल एक प्रशासक बैठा हुआ है जो उसकी मर्जी होती है वह करता है। कुछ थोड़ा सा सब्जबाग दिखाई पड़ता है। किसी तरह से अगर यह कारपोरेशन्स बन जायं तो यह सारी परेशानी दूर हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारे लिये कुछ ज्यादा समय हो जाय तो अच्छा है और अगर पहले माननीय मंत्री जी का भाषण हो जाय तो हमको कुछ सुविधा रहे।

श्री अध्यक्ष---आपके लिये केवल १० मिनट हैं और मंत्री जी को २० मिनट का समय है। समय कम है इसलि उनयेको दो बार समय नहीं दिया जा सकता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब तक जो सरकारी पक्ष के लोगों के और विरोधी दल के लोगों के भाषण हुए हैं, उनके आधार पर मैं आपके द्वारा कुछ निवेदन करूंगा क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं हो पाया कि मैंने जो सुझाव सरकार के सामने पेश किये थे, उन सुझावों में सरकार किन-किन बातों पर ध्यान देगी और किन किन बातों को मानेगी। इसलिये सिद्धान्ततः यह रह जाता है कि मैं फिर निवेदन करूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सही माने में कुछ अर्थ है तो कम से कम वह सत्ता का डेलीगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आज सरकार कहती है कि हम पावर को डेलीगेट करेंगे और पावर के डेलीगेशन में होता है पहले पावर को लेना। जिसके पास पहले से पावर होगी वही डेलीगेट कर सकता है। लेकिन जनतंत्र का मौलिक अर्थ यही है कि पहले जनता सत्ता को हासिल करे और उस सत्ता में से कुछ सरकार के हाथ में दे यानी जनता सबल हो। अब सवाल यह है कि जनता सबल हो और अपनी कुछ पावर्स सरकार को दे या सरकार सबल हो और अपनी कुछ पावर्स जनता को दे यानी शक्तिशाली कौन हो, सरकार या जनता? अगर माननीय मंत्री जी ने सही मानों में गांधी जी के अभिलेखों का मनन किया है तो वह देखेंगे कि गांधी जी ने जहां कहा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्या है? तो उससे हमारे ही कथन की पुष्टि होगी। जहां उन्होंने जनतंत्र और लोकतंत्र के बारे में लिखा है, वहां उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि जनतंत्र केवल संख्या का आधिक्य नहीं है, सही जनतंत्र की कसौटी वह बलिदान है जिसके पीछे व्यक्ति अबाध रूप से विकसित होता रहे। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस सम्मेलनों में जो लोग डेलीगेट होकर चले आते हैं, उससे कांग्रेस की ताकत नहीं जाननी चाहिये। अगर कांग्रेस के डेलीगेटों की संख्या ज्यादा भी हो जाय और उसके सदस्यों में त्याग की भावना न रहे तो उस कांग्रेस को कोई भी मरने से नहीं बचा सकता।

माननीय मंत्री जी को बड़ी भारी परेशानी है। मैं उनकी उस परेशानी का समाधान कर देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स् का चुनाव टलता चला गया और आठ साल तक टलता

गया अब उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से केवल विचित्रनारायण शर्मा जी को दी जाय तो यह उनके साथ अन्याय होगा, पूरी सरकार की उसके लिये जिम्मेदारी है और जब से यह चुनाव टल रहेहैं तब से यह विभाग उनके हाथ में भी नहीं रहा । तो जब मैं इसकी आलोचना करता हूं तो माननीय मंत्री जी उस आलोचना को केवल अपने बारे में न समझें, सरकार की सारी पालिसी के बारे में समझें । तो अब तक आठ वर्ष से चुनाव टलता रहा । अब सरकार कहती है कि मई में करायेंगे, लेकिन माननीय विचित्र नारायण शर्मा कहते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग आये और विरोधी पक्ष के भी आये, अब उन विरोधी पक्ष वालों में हम भी आते हैं और उन्होंने कहा कि मई, जून में गरमी बहुत होगी। विरोधी पक्ष की बात कहकर वे भ्रम क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें हम भी आ जाते हैं और हम समझते हैं कि विरोधी पक्ष को हम सही मानों में रिप्रजेंट करते हैं । तो माननीय शर्मा जी स्पष्ट तरीके से बतायें कि उनके पास कौन-कौन आये ? वे वेग (गोल) भाषा का प्रयोग न करें । उनके लिये यह बात अशोभनीय है । महात्मा गांधी भी जब कभी कोई प्रस्ताव बनता था तो कहते थे कि निश्चयात्मक भाषा के बिना प्रयोग किये हमारा समाज नहीं बन सकता। इसके समर्थन में मैं कन्फूशियस का नाम भी लेना चाहता हूं। उसने भी कहा है कि "समाज सच्चा तभी होगा जब कि मनुष्य अपने शब्दों द्वारा जाना जाय", लेकिन हमारी कथनी और करनी में फर्क है, हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ ।

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से ऐडमिशन न करें ।

श्री राजनारायण---हमारा तीर कहां लग रहा है, यह लोग समझ रहे हैं ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय विचित्रनारायण जी, जब तक कि वे कैबिनेट में रहें, का सफल प्रयत्न तभी माना जायगा जब कि इस सरकार की कथनी और करनी में जो विशाल अन्तर होता जा रहा है उसको वे कम करने की कोशिश करें। हम जानना चाहते हैं कि गांव सभाओं को सादी पुलिस क्यों न दी जाय ? आज गांव सभायें इस पूरे राज्यकोष की एक चौथाई रकम अपने पास क्यों न रखें ? आज गांव सभायें पढ़ाई, सफाई, दवाई, रोशनी और सड़क और गांव के अन्दर जो विकास योजनायें हैं,उनकी पूरी जिम्मेदारी क्यों न लें ? मुझे बड़ा अफसोस है, मैं चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में रहें, तब मैं यह कहूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन्नीसवीं शताब्दी में जो समाजवाद की परिभाषा की जाती रही है उसी की चर्चा यहां करते हैं । आज के इस वर्तमान जनतांत्रिक युग में समाजवाद का और जनतंत्र का यह अर्थ हो कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ता चला जाय तो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ऐसा समाजवाद सही माने में समाजवाद नहीं है, बल्कि पापवाद है । जब अपने स्तर पर जनता का सहयोग होगा, उत्पादन में सहयोग होगा, वितरण में सहयोग होगा और हर विकास के कामों में सहयोग होगा तभी सही माने में गांव पंचायतों के अन्दर जनतंत्र आयेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गांव सभाओं के लिये इस तरह की कोई सहूलियत देने जा रही है ? एक तरफ तो कहा गया है कि सारे विकास के कार्य हमारे हाथ में रहें, दूसरी तरफ यह कहा जाय कि गांव पंचायतें पब्लिक कोष से चलें और गांव पंचायतों का चुनाव बिलकुल अशुद्ध,अनियमित और गैर जनतांत्रिक तरीके से हो और उसे भी जब चाहें कोई नियम बना कर अनियमित करार दे दें, यह क्या है ?

श्रीमन्, आज हर गांव में सबसे बड़ी दिक्कत औरतों के लिये पाखाने की है और पानी की है । आजतक इसकी कोई लिस्ट माननीय मंत्री जी ने नहीं पेश की । गांधी चबूतरे की लिस्ट पेश की, कुछ सड़कें बनीं उसकी लिस्ट पेश की, लेकिन आज तक गांवों के अन्दर स्त्रियों के लिये पाखाने और हरिजनों के लिये पानी पीने के कुओं का समाधान नहीं हो सका । मैं कहता हूं कि गांव सभाओं को अगर यह अधिकार दे दिया जाय कि वे इस बात में स्वतंत्र हैं तो इस समस्या का हल बहुत कुछ हो सकता है । आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए १० वर्ष हो गये मगर आज भी

[श्री राजनारायण]

हरिजन कुएं से पानी नहीं काढ़ पाता । आज भी द्विज लोग हरिजनों को दबाये और सताये हुए हैं और कुओं पर नहीं आने देते हैं । कहते हैं कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले जा सकते । क्या माननीय मंत्री जी, गांधी-वादी युग और गांधी-वादी परम्पराओं की दुहाई देने वाले, इस बात को कह सकते हैं कि तमाम हरिजनों के लिये पीने वाले पानी के कुएं बन गये हैं ? कितने ही हरिजन बेचारे, जो देहातों में या गांव सभाओं के अन्दर हैं, वे पीने के लिये कुएं से पानी नहीं निकाल पाते । आज तक वे बेचारे असहाय हैं ।

श्रीमन्, कहने के लिये कोई भले ही कहे कि जाति पांति का सवाल नहीं उठाना चाहिये, मैं भी मानता हूं कि नहीं उठाना चाहिये, मगर हिन्दुस्तान में जब समाजवाद की चर्चा होती है तो वर्गविहीन और वर्णविहीन दोनों शब्दों की चर्चा होती है क्योंकि हिन्दुस्तान के सिवा और कहीं दूसरी जगह जाति पांति का सवाल इस तरह से जटिल नहीं है । आज जो हिन्दुस्तान में सरकारी योजना चल रही है, श्रीमन्, मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सबका एक वाक्य में भाष्य कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार एक तरह से सारे प्रदेश में गरीबी के नरककुंड में कुछ अमीरी का टापू बनवा रही है । माननीय विचित्रनारायण शर्मा और कांग्रेस सरकार की यह नीति है कि सही माने में गांव सभाएं प्रभुसत्ता सम्पन्न न हों, यह बात निर्विवाद है । इसलिये मैं चाहता हूं कि चौखम्भा राष्ट्र बने । सोशलिस्ट पार्टी सन् ४८ से कहती आ रही है कि चौखम्भा राष्ट्र बनाओ, फोर पिलर्स स्टेट (Four Pillars State) बनाओ, अभी तक दो ही पिलर्स हैं, एक दिल्ली और एक लखनऊ, एक केन्द्र और एक सूबा । इसके बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सब अधीनस्थ कार्य करने वाले माने जाते हैं । क्यों नहीं विधानतः गांव सभाओं को यह अधिकार हो कि उस क्षेत्र की जितनी मालगुजारी वसूल होती हो या जितनी सरकारी आमदनी वसूल होती हो, उसकी एक चौथाई रकम उस गांव सभा में रहे ? क्यों वह अलग टैक्स लगायें ? कल हमने आंकड़े बताये कि करीब ढाई हजार रुपये का हिसाब आता है । इसके आगे उनके टैक्स नहीं लगने चाहिये । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बुद्धिविभ्रम जन्य भ्रान्ति में न पड़ें ।

श्री अध्यक्ष---आप ने अब तक ३ खम्भे ही बताये चौथा नहीं बताया ।

श्री राजनारायण---वह है गांव सभा, जिला सभा, सूबे की सभा और केन्द्र । केन्द्र हाथ में केवल वैदेशिक नीति और फौज रहे । सूबों में सूबे के स्तर के काम हों और इन्टरलिन्क योजनाओं को वे कार्यान्वित करें, उसके बाद जिले के स्तर पर सत्ता रहे तभी सही माने में गांधी जी की और मार्क्स की इच्छा के अनुसार व्यवस्था कायम हो सकती है । इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि आज जिस तरह की यह गांव सभायें चल रही हैं उनसे काम नहीं चलेगा । जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यशाही के जमाने में लोकल बाडीज चलती थीं वह तरीका गलत है, वह कोई जनतांत्रिक तरीका नहीं है । गांव सभाओं को मौलिक अधिकार मिलने चाहिये और वह सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिये ।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---श्रीमन्, मुझे बहुत दुख है कि बहुत ध्यान देने के बाद भी श्री राजनारायण जी से मैं जिस प्रकाश की आशा करता था वह नहीं मिला ।

श्री राजनारायण---जब गांधी जी से ही नहीं मिला तो हम से क्या मिलेगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह सही है कि जो प्रकाश उनसे मिल सकता था वह अपनी बदकिस्मती से मैं प्राप्त न कर सका, लेकिन मैं समझता था कि उनसे राजनारायण जी को कुछ जरूर मिला होगा और मैं समझता था कि श्री राजनारायण जी के माध्यम से ही मुझे कुछ प्रकाश मिल जाता तो कुछ सन्तोष हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने तो कुछ वाक्य इस तरह से वेदमंत्रों की तरह रट लिये हैं और उनको उन वाक्यों पर इतनी आस्था है कि वह समझते हैं जो हम कह दें या थोड़े से सदस्य कह दें वही कानून है, वही नियम है और उन्हीं पर सारा समाज चलना चाहिये ।

हम यहां डेमोक्रेसी के नाम पर बैठें हैं, उसको सफल बनाने के लिये, उसे गांवों तक पहुंचाने के लिये । यही हमारा ध्येय है, लेकिन अगर हम इस विषय में उस डेमोक्रेसी की तर्जुमानी करना चाहें और जो सुझाव उधर से मिले हैं उन पर चलें तो हम डेमोक्रेसी का गला ही घोंट देंगे । मैं अपनी बात लादूं, किसी पर तो दोष दें, लेकिन जब विरोधी दल के सदस्य, जो बात एक तरफ से कही जाती है बिलकुल उसके बरक्स दूसरे दल के लोग कहते हैं और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य यह है कि एक सदस्य जो एक बात कहता है वह दो क्षण के अन्दर ही उसके खिलाफ बात कहता है, उनमें राजनारायण जी भी हैं । एक तरफ तो श्री राजनारायण जी चाहते हैं कि हम गांव समाजों को यह सब अधिकार दे दें, पुलिस वगैरह के, लेकिन दूसरे ही क्षण वह कहते हैं कि उनको रिक्शे पर टैक्स न लगाने दें, मैं हैरान हो जाता हूं यह सुनकर। वह कहते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं उनको अधिकार दें दो । साथ ही कहते हैं कि कुएं नहीं हैं, हरिजनों की कोई बात नहीं पूछता । वह समझते हैं कि यह सरकारी अफसर जो हैं वह सब ग्राम्य जीवन को बढ़ने से रोकने के लिये, उसको कुंठित करने के लिये बैठें हैं । मैं राजनारायण जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हो सकता है, मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, कहीं-कहीं हमारे आदमी बहुत गलत काम करते हैं और अगर वह विश्वास करें तो मुझे लज्जा भी होती है, क्षोभ भी होती है और कभी-कभी अपने स्वभाव के बरखिलाफ क्रोध भी आता है, लेकिन दो चार आदमी ऐसा कर सकते हैं । साधारणतया तो यह मान कर चलना चाहिये कि बदमाश से बदमाश आदमी भी दिन भर कार्य करता है । वह कभी संकल्प करके सुबह नहीं उठता कि भगवान मेरे हाथ से कोई भला काम न हो । मनुष्य की प्रकृति इतनी गिर जायगी यह आशा करके चलना ठीक नहीं है । परसों मुख्य मंत्री जी ने भी यह कहा था । मुझे बहुत प्रिय लगा । गांधी जी का नाम यहां बार-बार लिया जाता है, लेकिन गांधी जी ने कभी भी यह नहीं समझा कि जितने सारे लोग हैं सब पतित हैं, सब गिर गये हैं । उनसे हमें आशा करनी चाहिये ।

राजनारायण जी कहते हैं कि जब आपके पास अधिकार हैं तो सुपरसीड कीजिये, हम इस लिये कहते हैं कि आपके पास अधिकार है । हमने अधिकार बहुत ही अपवादों में इस्तेमाल करने के लिये रखा है, लेकिन विरोधी दल के नेता खुद हम से कहें कि इसका उपयोग कीजिये इसलिये कि उससे उनका मतलब निकल आता है । तो बदकिस्मती हमारी यह है कि बहुमत उन लोगों का है जो राजनारायण जी के साथ नहीं सोचते हैं । अब हम क्या करें ? डेमोक्रेसी के युग में हम किसकी बात मानें ? मैं प्रकाश लेना चाहता हूं । लेकिन राजनारायण जी की किस बात से प्रकाश लूं । उन अधिकारों का उपयोग करूं जिनका कम से कम उपयोग होना चाहिये और जब हम उपयोग करें तो उसके जस्टिफिकेशन के लिये वास्तव में काफी कारण होने चाहिये । तब भी हमारे ऊपर संदेह और टीका टिप्पणी करें, लेकिन वह हमें आह्वान करें कि आप एक्सेप्शनल पावर्स का इस्तेमाल कीजिये, तो क्या मैं समझूं ?

दूसरी तरफ वह कहते हैं कि रिक्शे का टैक्स न लगे । मैं बताना चाहता हूं कि रिक्शे पर टैक्स नहीं है । किसी-किसी गांव सभा ने, जिनको वह सारे अधिकार देना चाहते हैं, गलती से टैक्स लगा दिया है । वह सिर्फ रिक्शे पर टैक्स लगाने की ही गलती कर सकते हैं ऐसा नहीं है । बहुत बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं । इस देश के अन्दर खेल-खेल में कुछ लड़के जज बने । कुछ मुलजिम बनकर उसके सामने पेश हुए । खेल ही खेल में वह लटका दिये गये, ऐसा अभी इस देश में होता है । तो मेरा यह निवेदन है कि मुझे अजहद प्रसन्नता होगी गांवों को अधिक से अधिक अधिकार देने में । हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है । यह तो शब्दों का जाल रचा जा रहा है, डेलीगेशन आफ पावर हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । ये शब्द हैं जो अर्थ हीन हैं । आज फैक्ट यह है कि सावरेन्टी सेंटर के अन्दर केन्द्रित है । वास्तव में यह चौखम्भा नहीं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिये, पंचखम्भे की बात करनी चाहिये क्योंकि विश्व का भी एक खम्भा होना चाहिये ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

आज कोई भी राज्य नहीं है जो कम्प्लीटली सावरेन कहला सके, जब तक कि केन्द्र है। जब तक हमारे पास ताकत है, प्रदेशों में तब तक हमको उससे डिवाल्व करना ही पड़ेगा, चाहे बाई ऐक्ट करें या किसी तरह से करें। मेरी दृष्टि में इंटरमीडियरी पीरियड में विकेन्द्रीकरण इम्मेटोरियल है। मेरी दृष्टि में मैटोरियल यह है कि हम अपने हाथ में ताकत भी रख लें और अगर कभी इंटरफियर करना पड़े तो कर सकें, लेकिन हमें चाहिये कि बार-बार इंटरफियर न करें और अगर करें तो हमारी कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिये और उस आलोचना का हमें स्वागत करना चाहिये। उससे हमें लाभ उठाना चाहिये, लेकिन हम वह शक्ति न रखें जिससे दुरुपयोग होता चले और हम सख्ती न करें और राजनारायण जी के दूसरे मित्रों को यह कहने का अवसर मिले कि यह पंचायतें स्वराज्य का सोपान तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का सोपान यह बन गईं। उसी क्षण, उसी रोज मुझे यह सुनने को मिलता है कि इनको अत्याचार करने का और शोषण करने का वाहन बनाया गया है। आज भी जो माननीय सदस्य दो मिनट पहले बोल रहे थे, मेहरोत्रा जी से पहले जो बोल रहे थे, वह स्वयं एक तरफ तो राजनारायण जी को सपोर्ट कर रहे थे, सारी शक्ति को देने के लिये कह रहे थे और उसी के साथ-साथ कहते जाते थे कि श्रमदान में बड़े-बड़े आदमी छोटे-छोटे आदमियों से जबर्दस्ती काम कराते हैं।

यह मानना होगा कि आज समाज के अन्दर जो परिस्थिति है, जो वर्ण-व्यवस्था है, जो वर्ग-व्यवस्था है उस पर हम काबू नहीं पा सके हैं। आज ऐसे एलीमेंट्स हैं जो असामाजिक हैं, ऐंटीसोशल जिनको हम कह सकते हैं, उनकी हम उपेक्षा कर दें और कत्तई यह अधिकार देदें कि काला करो सफेद करो, तुम रिपब्लिक हो गये हो, तुमको सब अधिकार मिल गये हैं, तो यह कम से कम जब तक दिमाग सही है मैं शायद न कर सकूं, लेकिन अपने दिमाग को मैं सस्पेंड कर देता हूं यहां के लिये, दूसरों के दिमाग से देखता हूं तब भी ओपीनियन डिवाइडेड मिलती है। अब अगर माननीय राजनारायण जी की जो डेमोक्रेसी है उसको मान लूं श्रीमन्, तब तो हत्या करनी होगी जनतांत्रिक प्रणाली की, क्योंकि बदकिस्मती से राजनारायण जी न अपनी पार्टी को रिप्रिजेंट करते हैं, न दूसरी पार्टियों को रिप्रिजेंट करते हैं और सबसे ज्यादा वह अपने को ही रिप्रिजेंट नहीं करते हैं। वह दो प्रश्नों को एक साथ रिप्रिजेंट करते हैं अगर वह एक ही चीज अपने अन्दर रखें तो शायद शरीर का आकार कुछ कम हो जाय।

मैं, सदन में जो बातें कही गईं, कृतज्ञतापूर्वक यह स्वीकार करता हूं कि उनमें बहुत सी बातें माकूल भी रहीं और मैंने अपने निवेदन में उनका जिक्र किया था। जैसे साधनों की कमी की बात, यह सही बात है कि साधन कम हैं, लेकिन मैंने यह भी निवेदन किया था कि एक जगह उनके साधन बढ़ाते हैं तो दूसरी जगह से कम करना होगा और अगर कम करते हैं तो उसका भी कोई इन्तजाम करना होगा। आज जिन साधनों से कुछ काम चल रहे हैं, शिक्षा चल रही है या सड़कें बन रही हैं, उनको रोक दें, वहां एक वैकुअम क्रियेट कर दें और उन साधनों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें तो यह इस तरह से नहीं हो सकता है। इस पर हमें विचार करना होगा और जब हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सम्बन्ध में विचार करें तब वह ठीक समय होगा जिस समय कि हम इन चीजों पर चर्चा करें। यहां बार-बार शिकायत हुई कि डुप्लीकेशन आफ टैक्सेज है। सही बात है, है कुछ दर्जे तक, लेकिन उसके लिये भी समय होगा जब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ऊपर हम विचार करेंगे, उस समय उसके लिये भी वक्त होगा।

श्री राजनारायण---यह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल क्या है, यह जरा साफ कर दीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कितना ही समझाइये वह समझ नहीं सकते हैं। अगर आपने अटेंटिवली सुना होता तो मैंने यह कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की बात सोच रहे हैं जिसमें आपका जो चौथा खम्भा है वह बन जायगा। वह इस लिए नहीं बन सका कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन्स आ गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन में बार-बार यह कहा गया कि आप नाम नहीं बतलाते हैं। गान्धी जी का नाम

लेकर आप चाहते हैं कि मैं नाम बतला दूं, लेकिन गांधी जी ने हत्यारों और कातिलों का नाम पुलिस के पूछने पर नहीं बताया और अगर राजनारायण जी गांधी जी के नाम पर पूछना चाहेंगे तो मैं गांधी जी की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे उनका नाम नहीं बताना चाहिए। मैंने उन लोगों से प्रार्थना जरूर की कि आप खुलकर कहते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं हिम्मत के साथ साफ-साफ कहते, यह मैंने उनसे कहा, लेकिन अगर उन में यह साहस न हो और वे इन कांफीडेंस मुझे बात बतायें तो राजनारायण जी चाहते हैं कि मैं उनका उदाहरण पेश करूं, उनके साथ दगा करूं, यह मेरे से नहीं होगा ।

यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के काम की बाबत भी कहा गया। यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स की सड़कों की हालत बहुत खराब है, मैं मानता हूं, सही है, लेकिन एक तरफ हम आशा करें कि इन्डिपेंडेंट बाडीज को अधिक से अधिक आजादी हो और उसी क्षण यह भी कहा जाय कि फलां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन जीप में अपने लड़के को बैठा कर ले गया, नाजायज तरीके से जीप का इस्तेमाल करता है, इसको हम यहां से कण्ट्रोल करें, तो यह दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं ? अगर आप उनको चलाना चाहते हैं तो लिबर्टी दो। जैसा मैंने कल कहा था कि लिबर्टी देने का मतलब है इस बात के लिए तैयार रहना कि कुछ दर्जे तक वह गलती करें और उसको हम बरदाश्त करें। जिस दर्जे तक गलती बरदाश्त करने को हम तैयार नहीं हैं, वहीं तक ताकत अपने हाथ में रखने की बात है । हां, जहां कहीं सीरियस मिसकैरेज आफ ड्युटीज हो, वहां गवर्नमेंट को इण्टरफियर करना चाहिए, तब तो ठीक है, लेकिन साधारण-तया नहीं करना चाहिए । जब तक कोई डेफिनिट आरोप हमारे पास नहीं आयेगा हम कुछ नहीं कर सकत, लेकिन अगर कोई शिकायत साबित हो जाय, डेफिनिट हो तो उसके मुताबिक ऐक्शन लूंगा । यह सब काम जनमत तैयार करने पर हो सकते हैं । जब तक जनमत तैयार नहीं होगा तब तक जनतन्त्र का काम सुचारुरूप से नहीं चल सकता।

माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि स्त्रियों के लिए पाखाने की व्यवस्था यह पंचायतें करें। मैं नहीं समझ सका कि जिसको आप सारी ताकत और पुलिस तक दिलाना चाहते हैं कौन सी रुकावट हमारी तरफ से है ? आप सफाई भी उनको देना चाहते हैं, तो यहां से मैं उनको यह बताऊं कि कुछ पाखाना भी बनाओ । मैं इससे इन्कार नहीं करना चाहता, वास्तव में यह होना चाहिए था और मेरे पास जो नोट डिपार्टमेंट से आया है उसमें कुछ ऐसा है कि यह नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं यह गलत है, होना चाहिए। पाखाना एक एलिमेंटरी चीज है । इसके अलावा जो सब से बड़ी चीज है वह यह है कि जनता को स्वस्थ रहने का पाठ सिखा सकेंगे, काफी खाद भी बनेगी, उनके अन्दर कुछ समझदारी भी आयेगी। मैं समझता हूं अगर ग्राम पंचायतें इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकती हैं तो इनको एबालिश कर देना चाहिए । यह मैं जानता हूं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है, एक ग्राम पंचायत की मारफत यह सब काम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अब श्रीमन्, चूंकि समय भी नहीं है इसलिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । मुझे आशा है यह तीनों मांगें स्वीकार की जायंगी और माननीय राज-नारायण जी का जो प्रस्ताव है उसे रिजेक्ट किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---गांव सभायें और पंचायतें---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री अध्यक्ष--अब आप सबको यहीं बैठना होगा, क्योंकि राय लेकर ही हम उठेंगे।

श्री राजनारायण--अगर मुझ से निवेदन किया जाता तो मैं वापस ले लेता।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(हाथ जोड़ कर) मैं निवेदन करता हूं कि राजनारायण जी वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि हाथ जोड़ने की प्रथा यहां प्रारम्भ न की जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--डिवीजन ही वापस ले लें, इतनी मेरी प्रार्थना मान लें।

श्री राजनारायण--अगर कोई व्यवस्था हो तो माननीय मन्त्री के यह कहने पर कि मेरे सुझावों पर विचार करेंगे मैं डिवीजन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप क्लेश मत कीजियेगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०४,९९,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,०६,९२,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४,०१,९३,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ५२---लेखा शीर्षक---त---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२---लेखा शीर्षक---त---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७,१६,२७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है, इसका जो विशेष अभिप्राय है वह इस सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों से है। वित्त विभाग के पास तो केवल जो डिमाण्ड्स आती हैं वह इकट्ठी होने के बाद विभिन्न विभागों को पैसा दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इसमें, कोआपरेटिव के लिए पैसा मांगा गया है, एग्रीकलचर विभाग के लिए पैसा दिया जा रहा है, प्लानिंग का भी सम्बन्ध है, रेवेन्यू और लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट इत्यादि इस प्रकार के बहुत से विभाग हैं। तो जहां तक इस अनुदान की तमाम तस्वीरों का सम्बन्ध है इस सदन के माननीय सदस्यों के सन्मुख, जब उन अनुदानों का सम्बन्ध होगा, इस सदन के सामने प्रस्तुत होंगी। उस की नीति पर कि कौन-कौन स्कीमें लागू हैं, इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। इस अनुदान के सम्बन्ध में इतनी बात ठीक है कि यह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनता से सम्बन्ध रखता है। यदि बजट को देखा जाय तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस ग्राण्ट के अन्तर्गत ७,०१,००० रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष ७,०९,२७,००० रुपये इसमें थे और इस वर्ष जैसा कि मैंने निवेदन किया ७,१६,२७,९०० रुपये हैं।

इस अनुदान को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अनुदान जिसमें लोन्स, लोकल फन्ड्स ऐन्ड प्राइवेट पार्टीज आती हैं, उसके अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटीज हैं, जिसमें कि ९७,००,००० रुपया इस अनुदान के द्वारा मांगा गया है। उसके आगे कल्टीवेटर्स के लिए १,४४,८५,००० रुपये का प्राविजन है। मिस्लेनियस लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज के लिए १,७३,७३,३०० रुपया है। उसी प्रकार से डेवेलप्मेंट स्कीम्स के अन्तर्गत २,५१,९४,१०० रुपया है। दूसरे अनुदान में लोन्स टु गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं जिस में कि समस्त रुपया १८,७५,५०० रुपया मांगा गया है, उसके अन्तर्गत हाउसिंग तथा बिल्डिंग्ज एडवांसेज के लिए जो सरकारी कर्मचारियों को कर्जा दिया जाता है उस में ७,५०,००० रुपया है। मोटर-कार और साइकिल इत्यादि चीजों के लिए १०,००,००० का प्राविजन है और दूसरी मद में इसी लिए १,३२,००० रुपया रखा गया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आगे चलकर जब ग्रांट्स पर नम्बर आयेगा तो माननीय सदस्यों को विस्तृत रूप से कहने का मौका मिलेगा, लेकिन जो रुपया मांगा गया है उसके सम्बन्ध में बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। हालांकि बजट में सब कुछ लिखा हुआ है और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको मैं एक-एक करके सदन के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि इससे ९७ लाख रुपया म्युनिसिपैलिटीज के लिए मांगा गया है। यह कर्जे के रूप में दिया जायगा और ९० लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इण्डिया देगी और यह सब रुपया हमारे यहां जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी ड्रेनेज स्कीमों और वाटर सप्लाई आदि पर खर्च होगा। इसके आगे जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास पैसे की कमी है तो भी म्युनिसिपैलिटीज की मद में आगे चलकर ३७,५०,००० रुपये का प्राविजन किया गया है और यह रुपया स्लम क्लिअरेंस इत्यादि कामो के लिए रखा गया है। हम अपने सूबे के कयाल टाउन्स को देखते हैं जिनकी आबादी बहुत बड़ी है और जहां आदमी पर आदमी रहता है। उदाहरण के तौर पर आप कानपुर के मजदूरों की हालत देखिये। वहां किस प्रकार से स्लम्स की हालत ठीक हो, किस

[श्री वर्मासिंह]

प्रकार से उनके रहने का इन्तजाम ठीक हो, यह प्रश्न हमारे सामने है। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जिन लोगों की आमदनी १७५ रुपये या इस से कम होगी उनके लिए स्लम्स क्लिअरेंस के नाम से ३७,५०,००० रुपया रक्खा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी अनुदान को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीवेज यूटिलाइजेशन के लिए ५८,५०,००० रुपये का प्राजिवन किया है। इस वर्ष जो रुपया मांगा गया है वह ८ लाख के करीब मांगा गया है और वह खर्च होगा केवल टाउन्स इत्यादि पर जहां कि वाटर सप्लाई इत्यादि ठीक होती चली जायगी।

जहां तक और ग्रांट का सम्बन्ध है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कल्टीवेटर्स इत्यादि से सम्बन्ध है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि इसके लिए १,४४,८५,००० रुपये का प्राविजन किया गया है। तो बहुत से माननीय सदस्य पुराने आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि इस साल १,४४,८५,००० रुपये कैसे रखे गये हैं क्योंकि इस में तो हमारे पास बहुत पैसा था, लेकिन हमारे प्रदेश में न जाने कब बाढ़ आ जाय इसका पता नहीं रहता है। यह भी पता नहीं रहता कि कितने रुपये की आवश्यकता होगी। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते हैं कि वह हमेशा सप्लीमेंटरी इत्यादि से दिया जाता है। तो जहां तक इस ग्रांट का सम्बन्ध है उसमें ६० लाख रुपये के करीब तकावी के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए है, कुछ रुपया केन कमिश्नर के डिस्पोजल पर है, कुछ एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पर है, कुछ डायरेक्टर आफ ऐग्रीकलचर के डिस्पोजल पर है जो किसानों को तरक्की देने के लिए दिया जायगा।

इसके बाद यदि इस बजट को देखा जाय तो आगे की स्कीम में नान-एग्रीकलचरिस्ट्स जो मजदूर हैं उनके लिए २५ हजार रुपये का प्राविजन है। पिछले वर्ष इसमें केवल ५ हजार रुपया था। यह रुपया उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाढ़ इत्यादि से मकान गिरें या आग इत्यादि लग जाय। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में हमारे पश्चिमी जिलों में विशेष-रूप से बाढ़ इत्यादि आयी जिसके कारण मकान काफी तादाद में गिरे। तो ऐसे समय के लिए यह २५ हजार रुपये का प्राविजन इसमें किया गया है।

जहां तक और स्कीमों का सम्बन्ध है हमने ५ लाख रुपया इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीज के लिए रखा है। बहुत से सदस्य यह कह सकते हैं कि आखिर इन प्राइवेट कम्पनियों को आप क्यों पैसा दे रहे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और किसी भी प्रदेश की तरक्की में बिजली का मुहकमा बहुत महत्व रखता है। ऐग्रीकलचर की छोटी-छोटी स्कीम्स को ले लीजिये, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को ले लीजिये, प्लानिंग को ले लीजिये, डेवेलप्मेंट के किसी कार्य को ले लीजिये जैसा मैं ने कहा हर प्रकार के कार्य को ले लीजिये, किसी देश या प्रदेश की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि हम हर एक को बिजली दे सकें। अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि किन कम्पनियों को यह रुपया दिया जायगा, लेकिन यह रखा इस-लिए गया है ताकि वे अपने पुराने प्लान्ट्स को बदल सकें और अपनी जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे चल कर इसी के अन्तर्गत इसमें लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ९० लाख रुपये का प्राविजन है। पिछले वर्ष भी इस प्रकार का प्राविजन था। जिन व्यक्तियों की आमदनी इतनी नहीं है कि वे अपने पैसे से मकान इत्यादि बना सकें उन्हें कोआपरेटिव सोसाइटीज या लोकल बाडीज के जरिये ८ हजार रुपये तक या ८० फीसदी जो भी कम हो, मकान इत्यादि बनाने के लिये दिया जायगा। बहुत से शहरों में इस प्रकार से मकान बने हैं।

इसके अलावा जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है, हालांकि शरणार्थियों की कोई बहुत बड़ी प्राब्लम नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सहायता आती रही है उससे पूरा

किया गया है, फिर भी उनको रोजगार देने के लिये, उनकी खेती की व्यवस्था के लिये, उनको मकान इत्यादि बनाने के लिये, उनके रोजगार इत्यादि का प्रबन्ध करने के लिये, जैसा कि मैंने निवेदन किया, २० लाख रुपये का शरणार्थियों के लिये इस ग्राण्ट के अन्तर्गत प्राविजन किया गया है ।

आगे चलकर देखा जाय तो सन् १९४७-४८ से हमारे प्रदेश की सरकार ने इस बात को सोचा कि यदि अपने प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को नहीं पनपाया जायगा तो यहां पर तरक्की नहीं हो सकती है और हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस वजह से उसी के अन्तर्गत ३० लाख ७४ हजार रुपये का स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत गांव या शहरों में छोटे उद्योग-धंधों को पनपाने के लिये इस ग्राण्ट के अन्तर्गत प्राविजन किया गया है । वह कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये उसके सदस्यों को दी जाती है और व्यक्तिगत रूप में भी दी जाती है, उसमें सूत इत्यादि की सहायता भी होती है ।

आगे इसमें २ लाख रुपये का प्राविजन उन विद्यार्थियों के लिये किया गया है जो अभी तक हमारे प्रदेश में टैक्निकल एजूकेशन प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते थे या जो विद्यार्थी गरीब थे वे विद्या प्राप्त नहीं कर पाते थे । डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रार्थना-पत्र यूनिवर्सिटीज से आते हैं जिनमें ओवरसियर और इंजीनियर क्लास के विद्यार्थी भी होते हैं, उनके लिये इस रुपये का प्राविजन किया गया है जिससे वह तरक्की करें और जब उनको आगे चलकर कोई रोजगार मिल जाय तो उस पैसे का भुगतान कर सकें। तो उसके लिये यह २ लाख रुपये का प्राबिजन किया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है। माननीय सदस्य स्वयं उन ग्राण्ट्स को पढ़ लेंगे, आप संक्षेप में ही कहने का प्रयत्न करें तो अच्छा है ।

श्री धर्मसिंह—मुझे अधिक नहीं कहना है । मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि जो ग्राण्ट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह सब बजट में लिखा हुआ है और जैसा कि मैंने अभी बताया उनको बहुत बड़ी महत्ता है । इसमें एन० ई० एस० ब्लाक और आई०डी० ब्लाक के लिये प्राविजन किया गया है । इसमें चमड़े इत्यादि का काम करने के लिये भी प्राविजन किया गया है । इसके साथ-साथ इसी प्रकार से हड्डी का रोजगार, जो हमारे प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्ता रखता है, उसके लिये यहां पर रुपये का प्राविजन किया गया है ।

जैसा मैंने आरम्भ में बताया था, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बहुत से कामों के लिये रुपये का इसमें प्राविजन किया गया है। जैसा कि मैंने बतलाया वित्त विभाग के लिये ये सब काम करना मुश्किल है, भिन्न-भिन्न विभागों को यह ग्राण्ट्स दी जाती हैं । उसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कुछ भी, जिस प्रकार से जहां-जहां वह स्कीम को लागू करना चाहते हैं, यह सब, उनका ही काम है । यह काम दूसरे विभागों के अन्तर्गत आता है और वही इसकी देखभाल करते हैं । इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस ग्राण्ट पर विचार करने की कृपा करें और स्वीकृति दे ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ५२ की पूरी धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । जितने भी काम जनता की भलाई के लिये, उनका जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये, हो सकते हैं, उनके लिये जहां तक सरकार को मालूम हो सका है, शब्दकोष से जितने अच्छे शब्द प्राप्त हुये हैं, उन सबका समावेश इस बजट में करने की चेष्ठा की गई है । सुनने में तो उनका नाम ऐसा लगता है कि यदि सदन ने इस अनुदान को पास कर दिया तो फिर हमारा रोना हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा, लेकिन इस अनुदान को जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसकी आइटम्स पर गम्भीरता से विचार करते हैं तो हमें घोर निराशा होती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायणराय]

मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला। यही वह अनुदान है जिसकी परिधि में सरकार को अवसर होता है कि वह कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष पुरस्कार अनोखे ढंगों से दे सके। यदि ध्यान से देखा जाय तो गांव की जनता के लिये, जिनके दुखदर्द की कहानी वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत की थी, कुछ भी नहीं रखा गया है। कहा गया है कि हमने काटेज इंडस्ट्रीज के लिये और हाउसिंग स्कीम्स के लिये इसमें काफी धनराशि रखी है, लेकिन अगर उसका मुकाबला उस धनराशि से करें जो पूंजीपतियों को मिलने वाली है, तो इस ग्रान्ट का रहस्य बहुत आसानी से समझ में आ जायगा। आज से पहले इस राज्य के मुट्ठीभर पूंजीपतियों को ३ करोड़ रुपया औद्योगिक विकास के नाम पर दिया गया। आज भी उनको सहायता देने की बात कही गई है। आखिर यह रुपया कैसा है? इस अनुदान को प्रस्तुत करते समय अभी हाल में प्लानिंग के सम्बन्ध में जो मीटिंग हुई थी उसकी सिफारिश को ध्यान से देखना चाहिये था। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो इसी सदन में नेता सदन ने आश्वासन दिया था कि हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गये या जिनके घर आग लगने से जल गये उनके मकान बनने के लिये व्यवस्था करेंगे जिससे कोई दैवी आपदा उनको कष्ट न दे सके। इस राज्य के बहुत बड़े हिस्से में ऐसे लोग बसते हैं जिनके मकान फूस के हैं, बरसात में लकड़ी भीग जाती है और पानी चता है और वे अपना खाना भी नहीं बना पाते हैं। गर्मियों में रोज़ अखबारों में छपता है कि अमुक गांव पछुवा हवा में जलकर स्वाहा हो गया। उनका सर्वस्व स्वाहा हो जाया करता है। पिछले साल जब गांव जले तो उन ग्रामीणों को १०,१० रुपया ग्रैचुइटस रिलीफ की शक्ल में दिया गया था। हम लोगों ने बार-बार आग्रह किया कि उनको आप कोई दान मत दीजिये, कोई इस तरह की सहायता कीजिये जिससे वे स्थायी मकान बना सकें और भविष्य में इस समस्या से उनको छुट्टी मिल सके।

मनुष्य की चार मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। यह सरकार कल्याणकारी और न जाने कौन-कौन राज्य के नारे रोज लगाती है, लेकिन इस आइटम पर उसने कितना रुपया रखा है? उन्होंने सुना दिया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी कम है मकान बनाने की सुविधा दे रहे हैं। चाहिये तो यह था कि सरकार साफ-साफ इस बात को कहती कि गरीब आदमी, १५० रुपये से कम आमदनी वाले इतने हैं और उनके इतने मकान बनने जा रहे हैं। जो रकम रखी गई है वह केवल नाममात्र के लिये है और उस लाभ वही उठा सकेंगे जिनका सम्बन्ध आपसे, सरकार से, किसी तरह से अनोखे ढंग से होगा और जो सरकार को प्रसन्न कर पावेंगे। जहां तक वास्तविक मूक जनता का सम्बन्ध है वह इससे लाभ नहीं उठा सकती है।

मंत्रियों की मोटरों के लिये, उनकी सुख-सुविधा के लिये, भी इसमें प्राविधान है।

श्री उपाध्यक्ष---१९५७-५८ में १ लाख ४ हजार था। वर्तमान बजट में कुछ नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---रुपया लिया नहीं है तो वह वापस कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---पिछले वर्ष के रिवाइज्ड बजट पर तो यहां टिप्पणी हो ही सकती है?

श्री उपाध्यक्ष---हां।

श्री रामायण राय---विकास के कार्यों के लिये पिछले साल ३ करोड़ ६ लाख रुपया रखा गया था। वह घटाकर २ करोड़ ५१ लाख कर दिया गया है।

कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज की भी बात है, उनके द्वारा कुछ लोगों को क़र्ज़ मिलेगा। कुछ इसी तरह की चीजें हैं। जहां तक कोआपरेटिव के कर्जे का सवाल है, ट्रैक्टर खरीदने के लिये पैसे का सवाल है, इस सदन को मालूम है कि इस नाम पर सरकार ने पैसा दिया और ६,६ साल बीत गये, लेकिन वह ट्रैक्टर नहीं खरीदा जा सका। यही तो मैं कहता हूं कि ये सारी फर्जी आइटम्स हैं कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिये सरकार ने इस ग्राण्ट की कल्पना कर रखी है। यह ग्राण्ट सरकार को इतना अधिकार देती है कि वह जैसे चाहे गलत काम करे और पैसे के आधार पर लोगों के ईमान को खरीद सके। अभी मैंने इसमें ध्यान से देखा तो मुझे और भी चीजें मिलीं। कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में भी इसमें व्यवस्था की गयी है। उसकी कहानी, लखीमपुर खीरी वगैरह स्थानों से जो लोग आते हैं, उनको पता है कि यह क्या है। इसमें भी लोगों को डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन दे रखा है और बहुत सी ऐसी जनता को लाभ पहुंचाया है जो वास्तव में वह जनता नहीं कही जा सकती, जिसके बारे में माननीय माल मंत्री जी कहते है कि हम ऐसे भू-भागों की जनता को, जहां की आबादी अधिक है, ऐसे भागों पर बसाना चाहते हैं जहां कि आबादी कम है। जनता की दरख्वास्त है, जनता इस बात को चाहती है, लेकिन उसको सुविधा नहीं मिलती। कागज का घोड़ा इस तरह से चलता है कि आश्चर्य होता है। मैंने इस बात को अनुभव करके देखा है कि एक मंत्री से दूसरे मंत्री तक कागज पहुंचने में २-२, ३-३ महीने लग जाते हैं। एक कमरे में ही एक मेज से दूसरी मेज तक कागज पहुंचने में कई-कई दिन लग जाते हैं। तब बेचारे गांव वालों के पास तो कोई साधन और कोई सुविधा नहीं है जिससे वह लाभ उठा सकें। आपने कुछ विदेशों की पुस्तकों को पढ़ लिया और कह दिया बर्थ कंट्रोल का आश्रय लीजिये। मैं जोरदार शब्दों में इस ग्राण्ट का विरोध करता हूं क्योंकि यह ग्राण्ट वही ग्राण्ट है जिससे यहां के पूंजीवादी लाभ उठाते हैं, जिससे सरकार के कृपापात्र लोग लाभ उठाते हैं, लेकिन जिसमें गरीब जनता का नाम बेकार ही रखा गया है। वास्तव में गरीब जनता को इससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिये मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इन्होंने तो कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री मुरलीधर कुरील से) आपको बोलने का अवसर मिला है। जो भाषण आप देना चाहें, दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---श्रीमन्, और जो कटौती का प्रस्ताव इस अनुदान में रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये दो एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें जो धन कुटीर उद्योगों को ऋण के रूप में देने के लिये रखा गया है....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, जैसा कि एजेण्डा से पता चलता है माननीय मुरलीधर जी का एक कटौती का प्रस्ताव है। एक तो आपने कटौती का प्रस्ताव दिया है, फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं और फिर वह प्रस्ताव पेश भी नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मालूम होता है कि आप सदन में रहे ही नहीं। ऐसा तो होता ही रहता है।

श्री उग्रसेन---क्या यहां की ऐसी कोई परम्परा बन गयी है?

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई परम्परा की बात नहीं है । जब कोई शख्स कोई प्रस्ताव की नोटिस देता है तो वह सदन में कुछ कहने की इच्छा जाहिर करता है । यदि वह प्रस्ताव पेश भी न करे तो सदन में विचाराधीन विषय पर बोल सकता है, चाहे वह समर्थन करे या विरोध । ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत ही माननीय मुरलीधर जी कुरील भाषण दे रहे हैं ।

श्री मुरलीधर कुरील—श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसको पेश नहीं किया । जब मैंने उसे पेश ही नहीं किया है तो उसको वापस लेने का या और कोई चीज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें कुटीर उद्योगों के लिये ऋण देने के लिये जो रुपया रखा गया है उससे अधिकतर गांवों में जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको सहायता जितनी मिलनी चाहिये, वह पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है । इसमें पहली चीज तो यह होनी चाहिये कि जिस गांव के आस-पास जो कच्चे माल मिलते हों, उसकी जानकारी होनी चाहिये और उस कच्चे माल से गांव के आस पास जो सामान बनते हों, उसमें आधुनिक ढंग की शिक्षा की ट्रेनिंग वहां के खेतिहर मजदूरों को या और ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास रोजी का जरिया न हो या जो अर्द्धरोजगारी व्यक्ति हों, उनको देनी चाहिये और उनकी औद्योगिक सोसाइटी वहीं पर बना कर उनको छोटे उद्योग-धंधों के लिये अच्छे औजार देकर यह काम वहीं पर चालू कर दिया जाना चाहिये । क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग सेंटर में जाते हैं, वे वहां से सीख कर जब गांवों में जाते हैं तो उसका उपयोग जितना होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है । वे भी नौकरी की तलाश में ही इधर-उधर घूमने लगते हैं । इसका कारण यह है कि या तो उनके पास अनुभव की कमी होती है या उनके पास पूंजी की कमी होती है, या जिस तरीके से उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा शिक्षा दी जाती है, उन साधनों को जुटा सकने में वे असमर्थ होते हैं जिसकी वजह से जो धंधा वे सीख कर आते हैं, वे उसे शुरू नहीं कर पाते । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उनको ऐसे औजारों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिये जो सस्ते हों और गांवों में जाकर वे उन साधनों को आसानी से एकत्र करके उन धंधों को चालू कर सकें । इस तरह की ट्रेनिंग से काफी फायदा हो सकता है और काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है, अन्यथा मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हो सकता । शिक्षा लेने के बाद भी वे नौकरियों की तलाश में घूमने लगेंगे । जब उनको उसी तरह की ट्रेनिंग मिल जायगी और पूंजी की सहायता भी उनको गांव में ही सोसाइटी द्वारा मिल जायगी और कच्चा माल तो वहां पर मौजूद है ही, तो फिर उनको रोजी मिल जायेगी और उससे उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा ।

साथ ही साथ वहां पर जो माल तैयार हो उसकी खपत के लिये बाजार की जरूरत होती है । सरकार को उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये । उसके लिये ४,६,१० गांवों के बीच एक सेंटर बना लें जहां पर माल एकत्र किया जाय और फिर वहां से माल बेचा जाय । इसके साथ ही साथ उनके पास माल रोकने के लिये भी साधन होने चाहिये जिस से वे बाद में, अगर उस समय भाव ठीक न हो, तो उसे ठीक भाव होने पर बेच सकें । उनके पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि वे माल को रोक सकें । तो इसके लिये सोसाइटीज बनायी जायं, जो आढ़त की तरह से उनको कुछ रुपया दें जिस से वे तैयार माल उन सेंटर्स पर रख कर अपने कामों को जारी रख सकें । जब अच्छा भाव मिलेगा तब सेंटर उसे बेच देगा, इस हिसाब से वहां व्यवस्था कर दी जाय तो काफी लाभ हो सकता है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि गांवों में कच्चा चमड़ा काफी मिलता है और उसके उद्योग को कायम रखने वाले, जो हरिजन कहे जाते हैं, अधिकतर वे ही हैं, लेकिन वे भी अपने काम को पुराने तरीके से ही, मनमाने ढंग से ही, करते चले आ रहे हैं जिसकी वजह से कच्चा चमड़ा गांवों में मिलता है । वह जब रंगने के लिये टैनरी में जाता है तो वहां पर अधिकतर खराब हो जाता है । इसके साथ ही साथ वह रंगा हुआ तैयार चमड़ा जिस तरह से कि हलाली का चमड़ा होता है, मजबूत और देखने में अच्छा, नहीं निकल पाता

है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई ऐसी खोज नहीं हुई कि जो जानवर गांवों में मरते हैं उनका चमड़ा भी रंग कर इसी तरह का बनाया जा सके जिस तरह का कि हलाली के जानवरों का बड़ी-बड़ी टेनरीज में बनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की खोज की जाय और गांवों में जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको भी ट्रेण्ड किया जाय कि किस तरह से चमड़ा निकालें, सुखायें और रखें ताकि वह रंगाई में जाने पर खराब न हो।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जो ऋण का अनुदान इस तरह के छोटे धंधों के करने वालों को दिया जाता है वह गांवों में नहीं पहुंचता। उसकी खपत शहरों में होती है और हरिजनों को तो इस विभाग से बहुत ही कम ऋण मिलता है। मैंने देखा है कि इसमें से बहुत ही कम, शायद ही कहीं किसी हरिजन को मिलता हो वर्ना उनको तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि उन्हें तो हरिजन विभाग से अलग ग्रांट मिल जाती है, लेकिन उसको भी अगर देखा जाय तो हरिजनों के लिये वह भी बहुत कम होती है। वह भी मुश्किल से हर जिले के लिये चार छः लोगों को दो ढाई सौ रुपये से अधिक नहीं होती। हरिजनों की बेकारी की समस्या भी है और जब वह रोजगार करना भी चाहते हैं तो उनको सहायता नहीं मिल पाती। नतीजा यह होता है कि उनका ध्येय जहां का तहां रह जाता है। इसलिये जो हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आयें उन पर विचार होना चाहिये और उनको भी सहायता मिलनी चाहिये। गांवों में अर्द्ध रोजगारी व्यक्ति या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वह अधिकतर हरिजन हैं। न उनके पास खेती है, न पूंजी, जिससे वह धंधा कर सकें और जीवन चला सकें। खेतिहर मजदूरों को भी सिर्फ फसल के समय तो रोजी मिल जाती है बाकी वह कर्ज से, सूद पर रुपया लेकर जीविका चलाते हैं जिस से वह कर्जे के भार से इतना लद जाते हैं कि उनका पुश्त दर पुश्त तक उठना मुश्किल हो जाता है।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस सदन में जो १९५८-५९ का बजट पेश हुआ है उसमें किसानों को ऋण का जो अनुदान दिया गया है उसे देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आज जब कि यहां पर ९० प्रतिशत काश्तकार हैं और साढ़े ५ करोड़ की आबादी है, उनके उद्धार के लिये, उनकी स्थिति सम्भालने के लिये, जो हमारी सरकार १ करोड़ ४४ लाख रुपया ऋण का देने जा रही है, इस इतने कम ऋण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इतने कम ऋण से इतनी बड़ी जन-संख्या का सुधार कैसे हो सकता है जब कि इस समय सूखा पड़ गया है और जिसकी वजह से पहली फसल तो बोयी ही नहीं जा सकी और जो बोई हुई थी वह भी सूख गई। जिस से हालत खराब हो चुकी है।

बाढ़ों के आने के कारण जो फसल बोई हुई थी वह भी चौपट हो गयी और अधिक पानी भरा रहने के कारण रबी की फसल को बो न सके। इन दो कारणों से हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में करों की वृद्धि हुई जिसके कारण किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से लदा हुआ है। इसके अलावा पंचायतों पर भी टैक्स का बोझ इतना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारे किसानों की रीढ़ टूटी जा रही है, कमर झुक गई है और उनकी आर्थिक दशा अति शोचनीय होती जा रही है।

अब सवाल यह आता है कि उनकी आर्थिक दशा किस प्रकार संभाली जाया जब कि हमारी सरकार सिर्फ १ करोड़ ४४ लाख रुपये का ही कर्ज हमारे किसानों को देने जा रही है। यह जो रुपया देने जा भी रही है उसका मैं कुछ जिक्र आपके सामने कर देना चाहता हूं। इस स्थिति के संभालने के लिये १९५६-५७ में २८७ लाख रुपया किसानों को कर्ज दिया गया था, १९५७-५८ में २२१ लाख रुपया दिया गया और १९५८-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजनलाल]

५९ में १४४ लाख रुपया दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि पहले को बनिस्बत किसानों को आधा ही रुपया दिया जा रहा है। सोचने की बात तो यह थी कि हमारी सरकार पहले की बनिस्बत किसानों को चौगुना, पंचगुना दिये होती, तो हम उन किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते थे।

१४४ लाख रुपया जो किसानों को ऋण दिया जायगा वह किस प्रकार से होगा उसको भी मैं आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अन्दर पक्के कुंओं के लिये १८ लाख रुपया दिया गया है जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्य १ लाख २० हजार है। श्रीमन्, हिसाब लगाया जाय तो एक गांव पीछे सिर्फ १५ रुपये के करीब पड़ता है। इसी प्रकार से रहट के लिये पांच लाख रुपया दिया गया है जब हमारे प्रदेश में १२० लाख गांव हैं। इस हिसाब से सिर्फ चार रुपया फी गांव पड़ा। कुंओं की बोरिंग के लिये ६ लाख रुपया दिया गया है, इस हिसाब से पांच रुपया पड़ा। कोल्हू के लिये १ लाख रुपया दिया गया है जो १४ आना फी गांव पड़ा। दूसरे गांवों में जो पुराने बांध हैं उनकी मरम्मत के लिये जो रुपया दिया वह एक लाख है जो १४ आने के करीब पड़ा। बांधों के निर्माण के लिये पांच लाख रुपया दिया गया है जो एक गांव के लिये चार रुपया पड़ता है। १२० लाख गांवों के लिये यह सरकार इस प्रकार से कर्ज देने जा रही है कि प्रत्येक गांव को केवल ४–४,५–५,६–६ रुपये पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हमारे किसानों और गांवों की आर्थिक दशा सुधर सकती है। इससे साफ जाहिर है कि यह रुपया गांव में न जाकर जो आदमी कांग्रेसी नेताओं के पीछे हैं या उनकी सरकारी मशीनरी के पीछे हैं उन पर खर्च हो जाता है। इसमें कुछ राज छिपा हुआ है और इसी वजह से उस रुपये से गांवों को विशेष फायदा नहीं पहुंच रहा है।

इस वर्ष का जो बजट है वह १०८ करोड़ के करीब है। करीब ११२ करोड़ रुपया राजस्व की आमदनी के जरिये से देने जा रहे हैं और दूसरे जो पूंजी का व्यय है उस से ३२ करोड़ रुपया। इस तरीके से सरकार १४४ करोड़ रुपया अपने प्रदेश में खर्च करने जा रही है, लेकिन हम आपको यह भी बता देना चहते हैं कि १०८ करोड़ राजस्व की आमदनी है और ४८ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्ज ले रखा है। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से ४८ करोड़ और १०८ करोड़। १५६ करोड़ रुपया इस वर्ष सरकार खर्च करने जा रही है, लेकिन ३२ करोड़ रुपया और ११२ करोड़ रुपया इस प्रकार से १४४ करोड़ रुपया जो खर्च करने के लिये है, अब १५६ करोड़ में से १४४ करोड़ रुपया घटा दिया जाय तो १२ करोड़ के करीब रुपया बचता है। मैं यह कहूंगा कि यह १२ करोड़ रुपया सरकार गांवों के किसानों को उनकी तरक्की के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अच्छे मवेशी की नस्ल पैदा करने के लिये, अच्छे बीज गोदाम खोलने के लिये, शिक्षा का काम करने के लिये, शिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये अगर ऋण के रूप में दें तो किसान की आर्थिक स्थिति बहुत संभल सकती है। इसलिये मेरी मांग है कि गांवों के किसानों को हमारी सरकार कम से कम १४ करोड़ रुपया ऋण दे, तभी उन किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, वरना नहीं।

अब मैं आपके जरिये सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि यह रुपया ऋण किसको दिया जाता है? इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को जो ऋण दिया गया है उसमें मोटर और साइकिलों की खरीद के लिये १० लाख रुपया और दूसरे अन्य प्रकार की सवारियों के लिये १ लाख २५ हजार रुपया है। इस प्रकार से ११ लाख २५ हजार रुपया तो इधर दिया गया। दूसरे, मुझे आप से यह और निवेदन करना है, मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि नैनीताल में सर्वश्री जी० एस० विष्ट ऐंड संस नैनीताल को किछा में ज्वाइंट स्टाकाशुगर फैक्टरी के लिये जब कि केन्दीय सरकार से उनको किसी प्रकार का

लाइसेंस नहीं प्राप्त है, ५६–५७ में २० लाख रुपया दिया गया है और सन् ५७–५८ में २० लाख रुपया दिया गया है। इस प्रकार से उन महाशय जी को ४० लाख रुपया दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिरकार शुगर फैक्टरी के बहाने रुपये को गलत तरीके से खर्च क्यों होने दिया जाता है? मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह से बड़े-बड़े आदमियों को, एक ही आदमी को रुपया न दिया जाय। इस रुपये का हिसाब लिया जाय कि वह गलत तरीके से क्यों खर्च किया गया जिसकी अभी तक कोई फैक्ट्री बनकर तैयार नहीं हो पायी है और बिना लाइसेंस के ४० लाख रुपया उनको दे दिया गया, यह बड़े गजब की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से नाजायज ऋण दूसरे व्यक्तियों को न देकर अगर हमारे किसान भाइयों को करीब १४ करोड़ रुपया दे दिया गया होता तो आज उनकी माली हालत अच्छी हो गई होती, उनको कुछ राहत मिली होती, शिक्षा में भी उनकी उन्नति हुई होती, लेकिन जो इस बजट में रकम दी गई है उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विवाद में भाग लेते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहता हूं। इस अनुदान में वित्त मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत मांगों का एक लेखा प्रस्तुत किया है और उसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में भी उन्होंने ९७ लाख रुपये का अनुदान प्रस्तुत किया है। म्युनिसिपैलिटीज में जो विभिन्न विकास कार्य इस समय चल रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड था जो कि पहले काशी राज्य में था। काशी राज्य का विलयन जब हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ तो सरकार से और महाराजा बनारस से जो ऐग्रीमेंट हुआ उसमें इस बात की व्यवस्था थी कि वहां के निवासियों को वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो बनारस राज में थीं। बनारस राज की तरफ से पानी की मुफ्त व्यवस्था थी, लेकिन विलयन के पश्चात् जिस समय म्युनिसिपल बोर्ड कायम हुआ, तो सरकार की तरफ़ से वहां पर ट्यूब वैल बना और दूसरा बन भी रहा है, अभी तक ५० हजार गैलन का ओवर हैड टैंक ही बन पाया है, लेकिन जो कर्ज दिया गया उसके वसूल करने के लिये बहुत तकाजा किया जा रहा है और म्युनिसिपैलिटी जलकल टैक्स लगाना चाह रही है, इससे वहां की जनता में घोर असन्तोष है और जलकल समिति कायम भी है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि वहां के नागरिकों की मांग को देखते हुये और जो ऐग्रीमेंट में है, उसको ध्यान में रखते हुये बिना टैक्स का पानी दिया जाय। मैं चाहूंगा कि जो ऋण के रूप में वहां के म्युनिसिपिल बोर्ड को ट्यूबवैल वगैरह के लिये रुपया दिया गया है अगर उचित है जनहित और ऐग्रीमेंट को देखते हुये, सरकार उसे माफ़ करे।

सीवेज यूटीलाइजेशन के लिये लगभग ५८ लाख रुपया इस पंचसाला योजना में रखा गया है। मुगलसराय नगरपालिका के पास लगभग डेढ़ मील तक रेलवे का और बाजार का गन्दा पानी एक नाले के जरिये बहता है जो बिलकुल बरबाद होता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। अगर उसका उपयोग किया जाय तो पैदावार काफी बढ़ सकती है। इसके सम्बन्ध में पिछले २–३ साल पहले नहर विभाग की ओर से इसका सर्वे भी किया गया कि पानी का उपयोग कैसे किया जाय। आज भी यह होता है कि वहां के किसान उस पानी का प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि अच्छा हो अगर सरकार की तरफ़ से इसे सीवेज यूटीलाइजेशन स्कीम में ले लिया जाय।

इसके अतिरिक्त जो वित्त मंत्री जी ने लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ९० लाख रुपये का अनुदान प्रस्तुत किया गया है, पिछले बजट में तो गांव वालों के लिये भी कुछ व्यवस्था थी। अभी तक वाराणसी नगरपालिका में ही यह सुविधा लोगों को प्राप्त रहती है। हमारा निवेदन है रामनगर और मुगलसराय नगरपालिका को भी यह सुविधा दी जाय और उनको यह अनुदान

[श्री श्यामलाल यादव]

दिया जाय ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले, निम्न आय वाले, कर्मचारियों के लिये नगरपालिका अधिक से अधिक मकान बना सके और वहां के नागरिकों को भी ८ हजार रुपये या ८० परसेंट, जैसा मंत्री जी ने कहा है, मकान बनाने के लिये मिल सके।

अब इसके बाद देहात में रहने वाले और जो लोग हैं, जैसे हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग, मेरा निवेदन है कि, उनके लिये हरिजन विभाग के अतिरिक्त भी सरकार अनुदान देने के लिये विशेष व्यवस्था रखें। उनको जमीन हासिल करने के लिये, कृषि के औजार और बैल खरीदने के लिये विशेष अनुदान की आवश्यकता है। इसके अभाव में यह उनके लिये सम्भव नहीं हो रहा है कि गांव में जमीन प्राप्त कर सकें और अगर जमीन मिल भी जाय तो उससे उत्पादन भी कर सकें।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया कि टेक्निकल ट्रेनिंग की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऋण द्वारा सरकार इंडस्ट्रीज बना रही है उनमें, और नये-नये विकास के कार्य जो वहां पर हो रहे हैं उनमें, देहाती लोगों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि योजना काल में दुलहीपुर (वाराणसी) में एक सोडा ऐश फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में खोलने की अनुमति दी गई है और उसके लिये प्रदेश की सरकार ने कई करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया है। वहां पर स्थानीय जनता को इस फैक्टरी में स्थान मिल सके, वहां के लोग उसमें काम कर सकें और प्रदेश की जनता उससे लाभ उठा सके। इसके लिये आवश्यक है कि इन फैक्टरियों में काम करने वाले वेल्डर, टर्नर या और इसी प्रकार की अन्य दस्तकारी की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि वहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जायं जिनमें अधिक से अधिक लोग शिक्षा पा सकें।

इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह है कि जिस स्थान पर फैक्टरी खोली जाती है तो वहां के स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम स्थान फैक्टरी में मिलना चाहिये। साहू जैन केमिकल्स फैक्टरी के लिये वहां साढ़े ३ सौ एकड़ जमीन ली गयी, बड़ा वाद-विवाद उठा। इसलिये जब कभी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कोई फैक्टरी खुले तो सरकार की तरफ से यह आदेश होना चाहिये कि वहां की स्थानीय जनता को या उजड़े हुए लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिले, वर्ना होता यह है कि फैक्टरी के लिये जमीन लेने में काफी समय लग जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से पब्लिक सेक्टर में जो रेलवे के पुर्जों की फैक्टरी खोलने के लिये जमीन ली गयी तो उसके लिये भी विशेष दिक्कत हुई।

मंत्री महोदय ने कहा कि विद्यार्थियों को टेक्निकल एजूकेशन देने के लिये छात्रवृत्ति या ऋण दिया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि जो छात्रवृत्ति हरिजन कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है उसमें मैंने देखा कि जो विद्यार्थी इस वर्ष टेक्निकल शिक्षा पा रहे हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज या आयुर्वेद कालेज में उनको छात्रवृत्ति देने में प्राथमिकता नहीं दी गयी। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे छात्रों को दूसरे लोगों की बनिस्बत अधिक छात्रवृत्ति दी जाय ताकि लोग इसमें अधिक से अधिक शिक्षा पा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत उठक बैठक करने के बाद आज जो थोड़ा-सा समय आप ने दिया . . . .

श्री उपाध्यक्ष—इन शब्दों में धन्यवाद देने पर मैं काफी आपत्ति कर चुका हूं, उठक बैठक वाले शब्दों को आप वापस लीजिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, न कहिये। वापस लेता हूं कहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं वापस लेता हूं। हमारे विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। देहात में ऋण दिया जायगा इसके लिये मांग की गयी है। किन-किन मदों पर ऋण दिया जायगा यह मैंने सब पढ़ लिया है। उसे पढ़ कर यही अन्दाजा मैंने लगाया कि ऋण किसी भी कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये या आगे बढ़ाने के लिये नहीं दिया जा रहा है। यह ऋण उन्हीं लोगों के लिये है जो सरकार से संबंधित हैं, या सरकारी अधिकारियों से सम्बन्धित हैं। ईंट के भट्ठों के लिये ऋण नहीं है। ८० बातों के लिये ऋण दिया जायगा लेकिन उनमें ईंट का भट्ठा नहीं है और जब ईंट का भट्ठा ही नहीं है तो फिर मकान बनवाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वर्षों से हमारे यहां लोग बसते चले आ रहे हैं लेकिन अगर आग लग जाय तो पता नहीं चलेगा कि इस मकान की हद कहां थी क्योंकि छप्पर के मकान वहां बनते हैं, मिट्टी ऐसी नहीं होती है जिससे मकान बनाये जा सकें। चाहिये तो यह था कि हर ५ मील की दूरी पर एक भट्ठा खुलता और लागत मात्र पर किसानों को ईंटें मिलतीं और जो रुपया नकद नहीं दे पाता उसे कर्जे के रूप में दिया जाता, तब तो किसान अपने मकान बनवा पाता। आज हिन्दुस्तान रोटी, रोजी और मकान मांग रहा है। तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान है नहीं तो ऐसी दशा में ईंट के भट्ठे की तरफ आपका ध्यान नहीं है, गांव के मकान बनाने के लिये आपकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जायगा। टिन और सीमेंट के लिये जो परेशानी हमारे जिले में हो रही है, दूसरे जिलों की बाबत तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे यहां एक-एक बोरी सीमेंट के लिये काश्तकारों को मिलने में बरसों लग जाते हैं और दरख्वास्त देने का कोई फल नहीं होता। कुयें खुदे पड़े हैं, अपने पैसे से कुआं खोदा है, निवाड़ रखी है, ईंट रखी है और सीमेंट नदारद। साढ़े दस रुपये में ब्लैक में सीमेंट बिकता है, लोग ले जाते हैं, क्या करें? तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गयी है कि अपने पैसे से कुयें बनाना चाहें तो उसमें सरकार की ओर से कुछ सहायता हो या सामान ठीक दाम पर मिल जाय।

बाल-बेयरिंग चक्की भी नहीं दी जा रही है। ग्रामोद्योग के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। ग्रामोद्योग में एक अम्बर चर्खा बना है, अगर कोई लेना चाहे तो एक कमेटी बनायी जाय और न जाने कहां से ट्रेनिंग पावें और लिखा पढ़ी की जाय फिर भी अम्बर चर्खा मिलता नहीं, अंग्रेज ने साइकिल चलाई, वह सब को फ्री कर दी, लेकिन चर्खा नहीं मिल सकता।

इसके बाद सबसे बड़ी चीज लकड़ी है, उसका कोई उपाय नहीं किया गया है। मुर्दा फूंकने के लिये लकड़ी नहीं मिल रही है। हमारे जिले में जहां १६ लाख एकड़ जमीन में से ९ लाख एकड़ में खेती होती है, ५ लाख एकड़ में जंगल लगा रखा है और वह ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है। देवरिया और गोरखपुर इत्यादि के लिये केवल लखीमपुर और पीलीभीत जिले ही काफी अन्न पैदा कर सकते हैं, लेकिन सरकार के दिमाग तो मूर्खता से भरे बैठे हैं कि अगर जंगल नहीं होगा तो पानी नहीं बरसेगा। मैं कहता हूं कि जहां जंगल नहीं होता वहां पानी क्यों बरसता है और जहां जंगल है वहां पानी क्यों नहीं बरसता? हमारे लखीमपुर जिले की, पीलीभीत जिले की और साथ ही साथ बरेली जिले और कुछ हिस्सा शाहजहांपुर का ले लीजिये तो करीब २० लाख एकड़ जमीन इस तरह की पड़ी है जहां पर सरकार के कुछ जंगल हैं, कहीं परती है और वह इतनी उपजाऊ जमीन है जो शायद भारतवर्ष के किसी कोने में न हो। जब रंगून, बर्मा और आसाम में जाकर लोग खेती कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं।

खेती के लिये पलिया कालोनी में जो आपने सहायता की है उससे हमें घृणा हो रही है। जिनको सहायता मिली है वह परेशान हैं और जो लोग पाकिस्तान से आकर सीधे-सीधे खेती करते हैं उनके पास कोई कमी नहीं है, सब मजे में हैं। जो आप से पैसा पाकर खेती करते हैं वह सब कंगाल हैं। हमारी पलिया कालोनी में यह फायदा है कि जो एंट्रेस पास हैं उनको २० एकड़ जमीन मिलती है और जो पास नहीं हैं उनको १० एकड़, यह सरकार की लीला है। जो बे पढ़ा होगा वह खेती करेगा या जो पढ़ा हुआ है? तो एक साहब को २० एकड़

[श्री बंशीधर शुक्ल]
जुती जुताई जमीन मिल गयी, उन्होंने उसमें धान बो दिया और वह खूब पक कर तैयार हो गया, आज कटाओ या कल । वहां के अफसरान ने कहा कि पहले डी० एम० को दिखा लीजिये कि फसल कैसी होती है । इस दिखाने के चक्कर में काफी समय बीत गया और पानी पड़ गया, सारी फसल चौपट हो गयी । दूसरे साल उनको खेती करने की हिम्मत नहीं रही । मैं कल ही देख कर आ रहा हूं कि वहां कितनी त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

एक सड़क सरकार की तरफ से बनी है उस पर अगर किसी के जानवर निकलते हैं तो वे पौन्ड में बन्द कर दिये जाते हैं । कई बार कमिश्नर से भी इस सम्बन्ध में बात करने का मौका मिला लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है ।

किसानों के रहने के लिये जो सरकार ने मकान बनवाये हैं वह एक मकान ५,२०० रुपये में बना है । एक-एक मकान में १३-१३ सौ रुपया किसान पर कर्जा लादा गया है और वह ३०० रुपये के भी मकान नहीं होंगे । दो चारपाई वहां पड़ सकती हैं और एक तरवाहा है उसमें रोटी हो सकती है, ऐसे मकानों में काश्तकार बसाये गये हैं । हमारा कहना है कि सबसे पहली चीज खेती का सुधार कीजिये । जब काश्तकार के पास खेती अच्छी होगी तो वह मकान बना सकता है और आराम से भी रह सकता है । इसमें न खेती के लिये कोई सहायता है और न गांवों के उद्योगों के लिये कोई सहायता है ।

जहां तक जंगलों से लकड़ी मिलने का सवाल है मैं कह सकता हूं कि लकड़ी मिलना तो दूर रहा एक पत्ता भी नहीं मिल सकता है । व्याह शादियों के लिये जो पत्तल वगैरह का व्यापार करते थे उनको भी पत्ता नहीं मिल रहा है और बड़हल वगैरह के पत्तों के दोना बनाते हैं, लेकिन जंगल से हमें कोई फायदा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जंगल से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री बंशीधर शुक्ल---बात यह है कि जंगल सरकार ने उपजाऊ जमीन में लगा रखे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रतुदान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये आप दूसरी बात कहें ।

श्री बंशीधर शुक्ल---आज मुर्दा फूंकने के लिये लकड़ी सरकार नहीं दे रही है । खोई से कागज बनाया जाय । हमारे यहां दस करोड़ मन गन्ना पैदा होता है और एक ही शकर की मिल है और कोई मिल नहीं बनाई जाती है । जूट भी दस लाख मन पैदा होती है और जूट का कोई कारखाना नहीं बनाया जा रहा है । अगर कोई कारखाना खोलने के लिये ऋण चाहे तो सरकार की तरफ से कोई बात नहीं है । अगर बैल खरीदने के लिये कर्जा चाहते हैं तो सरकार वह भी नहीं दे रही है यह जो कर्जा दिया जा रहा है वह सरकारी नौकरों के पेट भरने के लिये है । आगे चलकर वह भी माफ कर दिया जायगा कि उनके पास कुछ नहीं है । इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसा कर्जा न दिया जाय ।

सरकार का नमूना जिसे देखना हो वह पलिया कालोनी को जाकर देख ले कि वहां सरकार ने कैसे मकान बनाये हैं । सरकारी लोगों के लिये जो मकान बनाये गये हैं वह भी देख ले । वहां सम्पूर्णानन्द नगर बनाया गया, हुकुमसिंह नगर, विचित्र नगर इत्यादि मेरे कहने का मतलब यह है कि सब मिनिस्टरों के नाम पर नगर हैं और उस सड़क का नाम है आदित्यनाथ झा मार्ग । यह कौन हैं, अल्लामियां हैं या खुदा हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---इस सिलसिले में काफी हो चुका है, अब आप आगे बढ़िये ।

श्री बंशीधर शुक्ल---वहां शिकार खेलने के लिये कमिश्नर साहब गये हैं । तमाम गांव की लोगों की गाय भैंस वगैरह पकड़ ली जाती हैं । एक शेर कल मारा और एक परसों मारा । हमारे यहां ६ मेहमान घर ५२ हजार रुपये लगाकर बनाये गये हैं । एक करोड़ रुपया पलिया कालोनी में खर्च किया गया है । हमारा अनुमान है कि कम से कम १५ लाख रुपया डिप्टी कमिश्नर के काम में बचा होगा । इसके अलावा जो कुछ भी बच गया हो ।

चौधरी दाताराम (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह ७,१६,२७,९०० रुपये का अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कर्जे की जो इतनी बड़ी रकम है यह तो स्वाभाविक बात है कि इसलिये दी जाती है ताकि जो लोग साधनहीन हैं, या जो अपना काम नहीं चला सकते हैं, उन लोगों को दी जावे, इतना मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ सरकारी मशीनरी में कमी है क्योंकि जो लोग जरूरतमंद हैं उनको न पहुंचकर दूसरी जगह पहुंच जाता है।

एक माननीय सदस्य ने अभी इल्जाम लगाया है कि तकावी का धन सरकारी कर्मचारी और कांग्रेसी नेताओं के पास पहुंच जाता है। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने बात गलत कही। इसमें तो चतुर आदमी फायदा उठाते हैं। चाहे वह सफेद टोपी पहनते हों या लाल टोपी पहनते हों, काली टोपी पहनते हों या नंगे सिर रहते हों या कोई भी हों, इससे वही लोग फायदा उठा लेते हैं।

यह जो उद्योग-धंधों के नाम से रकम दी गयी है यह तो ठीक ही है कि छोटे उद्योग-धंधे पनपने चाहिये, उससे किसानों की तरक्की होगी, लेकिन दिक्कत इसमें यह होती है कि इसमें भी सरमायेदार लोग ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। मान लो एक लखपती आदमी है उसने २,४ लाख रुपये गवर्नमेन्ट से और कर्जा लेलिया और अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया। मैंने तो ऐसे-ऐसे आदमी देखें हैं कि जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन चूंकि गवर्नमेन्ट की तरफ से यह वर्षा हो रही है इसलिये वह भी फायदा उठा लेते हैं। एक आदमी का मामला तो ऐसा है कि उसने गवर्नमेन्ट से काफी कर्जा लिया और कोई उद्योग-धंधा नहीं किया। जब मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि रुपया सूद पर चला रखा है और जब किस्तवार रुपया देना होगा तो देते रहेंगे। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों के लिये कोई पाबन्दी या निरीक्षण होना चाहिये कि जिस काम के लिये उन्होंने कर्जा लिया था वह उन्होंने किया भी या नहीं।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि ट्रैक्टरों के लिये इसमें कर्जे की रकम रखी गयी है। ठीक है, मशीनरी का युग है, ट्रैक्टरों की भी जरूरत है, लेकिन जब बड़ी जोतों पर पाबन्दी लगाई जा रही है, बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगाया जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है कि ट्रैक्टरों के लिये तकावी दी जाय। अगर कोई सहकारिता से खेती करना चाहें उनको तो दे दीजिये, लेकिन पुराने किस्म के सरमायेदार लोग गवर्नमेन्ट से ट्रैक्टर या किसी और नाम से तकावी ले लेते हैं और फिर उसकी वसूली का कोई ठीक ढंग से इंतजाम नहीं होता। तो इसका बड़ा दुरुपयोग होता है। मुझे मालूम है कि मेरी अपनी तहसील में जो सबसे बड़ा जमींदार था वह आज अपने को सबसे बड़ा काश्तकार कहता है क्योंकि काफी जमीन उसने घेर रखी है। उसने एक हजार रुपया बैलों के लिये तकावी ले लिया जबकि उसके पास काफी बैल हैं और जो छोटे किसान हैं उनको एक रुपया भी नहीं मिला। तो कम से कम इसमें कोई पाबन्दी होनी चाहिये कि इस तरह के काश्तकारों को रुपया दिया जायगा, ताकि काश्तकार के नाम से बड़े-बड़े पूंजीपति और सरमायेदार फायदा न उठा सकें।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि यह कर्जा कई साल से मिल रहा है। इसकी कोई तफ्तीश होनी चाहिये कि इसमें इतना रुपया छोटे किसानों को मिला है। होता यह है कि अव्वल तो छोटे किसानों को कर्जा मिलता ही नहीं और अगर मिलता भी है तो उनका वहीं कुछ बंटवारा हो जाता है और बहुत कम रुपया उनके हिस्से में पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही दो बातें निवेदन करनी थीं और आशा है कि मंत्री महोदय इन पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता

[श्री अमरनाथ]

हूं कि कर्जा देने में जिस प्रकार की भेद की नीति अपनाई जाती है वह सब के सामने जाहिर है। कर्जा उन लोगों को दिया जाता है जो बड़े-बड़े लोग होते हैं। खासतौर से देखा गया है कि अगर कोई फार्म के लिये कर्जा मांगता है, उद्योग के लिये कर्जा मांगता है, कोई बड़ा आदमी यदि कर्जा मांगता है तो उसको तो कर्जा मिल जाता है, लेकिन छोटे-छोटे किसान यदि कर्जा लेने के लिये जाते हैं तो उनसे यह कहा जाता है कि तुम इतना पैसा दो तो कर्जा मिल जायगा। जब वह पैसा देता है तब जाकर थोड़ा सा कर्जा उसको मिलता है, और उस कर्जे की वसूली में जिस प्रकार की धांधली सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की जाती है वह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। किसानों के बैल खोल लिये जाते हैं, उसके गहने बिकवाये जाते हैं तब जाकर वह कर्जा वसूल किया जाता है। इस तरह की हालत कर्जा वसूली में होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां का एक मामला था। भिटौली बीज भंडार की एक किसान पर कुछ रकम बाकी थी। अमीन उस किसान के गांव में गया। उस किसान को कोठरी में बन्द करके मारा गया और उसका बैल भी ले लिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज तक उस बैल का पता नहीं है। आज फिर दोबारा उससे कर्जा वसूल किया जा रहा है। ऐसी हालत हमारे यहां हो रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह की हरकत बेलवाटिकर गांव में हुई है।

माननीय मंत्री जी जो अनुदान आज हमसे मांग रहे हैं उसके विषय में हमारा यह निवेदन है कि कर्जा किसानों के काम में नहीं दिया जाता है। आज किसान एक तरह से तबाह हैं। आज हमारे जिले में भुखमरी फैली हुई है। तबाही मची हुई है। किसान चाहते हैं कि उनको बीज के लिये खाद के लिये, औजार के लिये, बैल के लिये कर्जा दिया जाय, लेकिन किसानों को कर्जा टाइम से नहीं मिलता है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि अभी बोआई के समय की बात है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीज किसानों को समय से नहीं मिला। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कर्जे पर बीज देंगे, लेकिन आज तक उन किसानों को बीज नहीं मिला। बहुत से खेत परती पड़े रह गये। अगर कोई बड़े फार्म वाला चाहता है, जैसा कि अभी पद्माकर लाल जी ने बताया कि एक बड़े आदमी को ४० लाख रुपया कर्जा दे दिया गया, जबकि भारत सरकार ने उस फैक्टरी को लगाने के लिये लाइसेंस भी नहीं दिया था, तो उसको बीज मिल जाता है। लेकिन अगर किसान वहां पर कर्जा मांगते हैं तो किसानों को पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े लोगों को कर्जा मिलने में आसानी होती है। छोटे लोगों को कर्जा मिलने में आसानी नहीं होती है। इस तरह की बातें हमारे जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी हो रही हैं।

आपकी तरफ से जिलों में ट्यूबवेल लगाने के लिये कर्जा दिया जाता है, लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग उस काम के लिये अगर कर्जा लेना चाहे तो उनको आसानी से नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को जो कर्जा मिलता है, अगर उनका हिसाब मंगाकर देखा जाय; अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सबूत देंगे और साबित करेंगे कि बहुत से लोगों ने कर्जा लिया लेकिन उन कर्जों को उन्होंने उस काम में प्रयोग नहीं किया। उसका दुरुपयोग किया और उससे दूसरा काम किया गया। नतीजा यह हुआ कि उनका कर्जा आज तक उनके जिम्मे बाकी है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिया गया, लेकिन आज तक वह उस कर्जे को अदा नहीं कर सके हैं। वह उस कर्जे से वह काम नहीं कर सके हैं जिसके लिये उन्होंने कर्जा लिया। इस प्रकार की बातें कर्जे के सम्बन्ध में हैं।

आपने जो अनुदान मांगा है इसको तो आप पास करा ही लेंगे, लेकिन हमारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है रुपया हर साल दिया जाता है जनता का और आपके ऊपर जनता विश्वास करती है और आप इस खर्चे के जिम्मेदार हैं। आज इस ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार को इस बात को देखने की जरूरत है कि यह खर्चा ठीक हो रहा है या नहीं। रुपया दे दिया जाय और वह गलत तरीके से खर्च हो जाय यह बात ठीक नहीं है।

यह हमारी स्टेट के लिये बेहतर बात नहीं है । इससे हमारी स्टेट कमजोर हो जायगी और हम सभी लोग परेशान हो जांयगे । मैं बड़े अदब से कहता हूं कि आप उन किसानों को कर्जा दें जिनको जिस तरह के कर्जे की जरूरत है, मसलन् बीज के लिये कर्जा दें, खाद के लिये कर्जा दें और अन्य प्रकार की सहायता के लिये कर्जा दिया जाय । अगर आप इस तरह से उनकी हेल्प करेंगे तो वे इससे फायदा उठायेंगे और जल्दी कर्जे को अदा करेंगे । इसलिये हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसी बातें होनी चाहिये जिससे किसी को तकलीफ न हो । मैं यह भी कहूंगा कि समाजवाद से तभी खास फायदा हो सकता है जब सब लोगों को सब चीजें अनुपात में मिलें । जिस समाजवाद का ढोल सरकार पीट रही है वह तभी आगे बढ़ सकता है जब ठीक तरह से अमल हो, न कि इस तरह से जिस तरह से सरकार समाजवाद ला रही है । हम सरकार के इस तरह के समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं । सरकार इस तरह का समाजवाद ला रही है कि आज ११ बरस हो गये लेकिन करप्शन भी दूर नहीं कर पायी है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो साधारण वादविवाद हुआ, आप ग्रान्ट पर बोलें ।

श्री अमरनाथ—श्रीमन्, इसी ग्रान्ट से संबंधित बात मैं कर रहा हूं । यह ग्रान्ट भी तो किसी विभाग से संबंध रखती है । तो माननीय मंत्री जी ने कर्जे के लिये जो मांग पेश की है, बहुमत के लोग उसको दे ही देंगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमने जो सुझाव रक्खा है, उस पर मंत्री जी अमल करें । यही बात कह कर हम रामायणराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । समर्थन के साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने ९७ लाख रुपया नगरपालिकाओं को वाटर सप्लाई के लिये ऋण देने के लिये रखा है । मैं आपके द्वारा यह चाहता हूं कि चूंकि हमारी ग्रान्ट पास हो चुकी है और हमारे जिले गोंडा की म्युनिसिपैलिटी ने यह कर्जा मांगा है, १० लाख रुपया वाटर सप्लाई के लिये और २० लाख रुपया ड्रेनेज के लिये इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस कर्जे को देने के लिये गोंडा को प्राथमिकता दी जायगी । आप मंत्री जी से सिफारिश कर दीजिये जिससे गोंडा नगरपालिका को कर्जा मिल जाय ।

इसके साथ ही साथ २० लाख रुपया शरणार्थियों को खेती और उद्योगों के संबंध में खेती के औजारों आदि के लिये रखा गया है । ठीक है शरणार्थियों को दिया जाय, लेकिन हमारा कहना यह है कि आज हमारे देश में सबसे गरीब और निर्धन तबका वह है जिसे हरिजन कहते हैं उनकी हालत आजकल बहुत खराब है । जबकि आज जिनको शरणार्थी कहा जाता है, उनकी अट्टालिकायें बन गयीं हैं, उनका धंधा भी जम गया है, वे अमीर हो गये हैं, उनको अब रोजी का सवाल नहीं है । वे आज शरणार्थी नहीं रहे । लेकिन आज हरिजनों का, जो सदियों से सताये हुये हैं, उनका कोई सहारा नहीं है और जो अनुदान उनको दिया जाता है वह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन हरिजनों का उद्धार हो सके । उनको ऋण देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । आज अगर वह ऋण लेना चाहते हैं या कोई उद्योग खोलना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जमानत दो । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब देहात में तकावी बांटी जाती है और जब हरिजन तकावी लेने के लिये जाता है तो उससे भी जमानत मांगी जाती है । नतीजा यह होता है कि बेचारे को तकावी भी नहीं मिलती । माननीय मंत्री जी नियमों में सहूलियत करें जिससे हरिजनों को कर्जा लेने में आसानी हो सके और उनके दुख दर्द दूर हो सकें और उनके बाल-बच्चों को रोजगार मिल सके ।

आपने हड्डियों के कारखाने के लिये एक लाख रुपया रखा है । उस रुपये को आप केवल एक ही सोसाइटी को न दे दीजिये । आजकल सोसाइटियों की हालत यह है कि एक पूंजीपति सोसाइटी बनाता है । दस गरीबों के दस शेयर उन्होंने रख लिये और २०० शेयर खुद

[श्री गंगा प्रसाद]

के रखे । आप देखेंगे कि उसमें कुछ बड़े आदमी हैं, उनमें से कोई प्रेसीडेंट बन गया है, और उस रुपये को नाजायज तरीके से खर्च कर रहे हैं । उस रुपये से गरीबों का कोई फायदा नहीं हो सकता है । तो आप उन चीजों को देख कर ऐसे लोगों को रुपया दें जिससे समाज का फायदा हो, गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो और तभी इस मुल्क का और इस प्रदेश का फायदा हो सकता है, वरना यह रुपया उन पूंजीपतियों के पास चला जायगा और गरीब उससे कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे ।

आग लगने पर भी सहायता देने के लिये इस बजट में कुछ रकम रखी गयी है । यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वह रुपया भी उन्हीं को मिलेगा जिनकी बड़ी-बड़ी सिफारिशें होंगी । मैं आपके सामने एक सुझाव रखता हूं कि यह सहायता डिप्टी कमिश्नर के थ्रू नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थ्रू मिलनी चाहिये । बहुत से लोगों को तो वह रुपया मिल भी नहीं पाता है । तो मुझे आशा है कि जिनका घर जल जाता है उनको किसी बोर्ड की सिफारिश पर ही रुपया मिल जायगा, वरना उनको रुपया नहीं मिल पायेगा । किसानों को तो मिलेगा ही नहीं, चाहे दूसरे को भले ही दे दिया जाय । नियमों में कुछ परिवर्तन कर दें तो अच्छा है, ताकि जिनका घर जल जाय उनको आसानी से सहायता की रकम मिल जाय ।

श्रीमन्, बाढ़ के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है । अब माल मंत्री जी भी आ गये हैं । मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है कि बाढ़ के लिये सहायता दी गयी है । श्रीमन्, हमारे यहां बाढ़ एरिया में ४२७ मकान गिर गये हैं, इसको उन्होंने खुद कबूल किया, लेकिन उन मकानों के बनाने के वास्ते कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की है । मुझे आशा है कि यदि वे चाहते हैं कि उनको कर्जा मिले, उनको सहायता मिले, जिससे वे अपने रहने के लिये स्थायी मकान बना सकें, तो उनको मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जायगा, या और कोई चीज सरकार की ओर से की जायगी । उनको रुपया मिलने में जमानत वगैरह की सहूलियत मिले तो वे अपने मकानों को बना सकेंगे । श्रीमन्, हर साल वहां बाढ़ आती है जिससे उनके टट्टर के घर बह जाते हैं । अगर उनको रुपया मिले तो वे स्थायी तौर से अच्छे मकान बना सकते हैं जिनमें वे तथा उनके बच्चे ठीक से रह सकें । मुझे आशा है कि सरकार उनको इस तरह की सहायता अवश्य देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह और कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े शहरों में दुग्धशाला खोले गये हैं, जिनके द्वारा गरीब बच्चों को रोजाना दूध दिया जाता है वे ठीक हैं, लेकिन हमारे देहात की तरफ और छोटे-छोटे शहर और कस्बे की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है । बड़े-बड़े शहरों में तो लोग डेरीफार्म खोल कर रह जाते हैं ताकि उनके दूध की खपत हो, लेकिन देहातों के अन्दर जो गरीब किसानों के बच्चे हैं जिनको दूध नसीब भी नहीं होता, उनके लिये कुछ नहीं किया गया है । कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ में जो मजदूर ७५ रु० वेतन पाता है उसके बच्चे के लिये तो दूध का इन्तजाम है, लेकिन देहात के गरीब किसानों के बच्चों के लिये कुछ भी प्रबन्ध नहीं है । सरकार को चाहिये कि वह उस तरफ भी ध्यान दें इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि आज जो हरिजनों के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि इस अनुदान के द्वारा कर्जा, और हर प्रकार से सरकार सहायता देकर, इनकी क्रय-शक्ति को और इनकी माली हालत को बढ़ा रही है, मेरी समझ से यह बिलकुल गलत है । आज दस बरस के रामराज्य में, इस समाजवादी सरकार के होते हुये भी हरिजनों की हालत जहां की तहां रह गई, हरिजन बिलकुल पीछे रह गये जिनको इन किताबों द्वारा या अनुदानों द्वारा थोड़ा बहुत पैसा देकर बहला दिया जाता है । माननीय वित्त मंत्री जी के सुनहरे स्वप्नों का जो भाषण सुना उससे तो उनको स्वर्ग ही प्राप्त हो जाना चाहिये था, लेकिन आज भी वह ज्यों के त्यों ही दिन काट रहे हैं ।

उनके मकान देहातों में देखे जायं, जब बारिश होती है तो शरण लेने के लिये, पानी से बचने के लिये कोई जगह नहीं रह जाती । अगर एक तगड़ा व्यक्ति चाहे तो दो तीन हरिजनों के मकानों को जो कि फूस के होते हैं आसानी से बांध कर सिर पर ले जा सकता है । यह हालत उन के मकानों की है । हरिजनों को चमड़े वगैरह का काम करने के लिये और भी सहायता दी जाती है, लेकिन आज देहाती क्षेत्रों में हरिजनों के अलावा और भी लोग हरिजन हैं जो हरिजनों से मरे हुये जानवरों की खालों को बनवाते हैं और उसका पैसा स्वयं ले लेते हैं । मैं चाहता हूं कि उसका पैसा हरिजनों को मिले । हरिजन पशुओं की खाल को छुड़ाते हैं और पशुओं के मालिक उसको बेच कर कीमत लेते हैं, हरिजन नहीं पाते । मैं चाहता हूं कि गांव पंचायतों के जरिये से यह खालें हरिजनों को दिलाई जायं और वही उसकी कीमत लें ।

दूसरी बात यह है कि उनके मकानों के ऊपर भी ध्यान दिया जाय । जब तक उनकी माली हालत ठीक नहीं होगी तबतक हमारे देश का हरिजन आगे नहीं बढ़ सकता । सौभाग्य से चौधरी चरणसिंह जी इस समय पर उपस्थित हो गये, मैं उन से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश में जितनी बंजर आराजी है वह कृपा करके हरिजनों को दी जाय ताकि कुछ सन्तोष उन्हें हो जाय और भूमिहीन हरिजन भी कुछ जमीन पा जायं ।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों के गावों में कुएं बनवायें जायं । आज आप के प्रदेश के हरिजन, तालाबों, झीलों और नदियों का पानी पीने पर मजबूर हैं । शायद मंत्री जी समझते हों कि मैं झूठ बोल रहा हूं । अगर वह चाहें तो प्रदेश के पूर्वी इलाके में, पच्छिमी जिलों की तो मैं बात नहीं कहता, मुमकिन है वहां एक-एक गांवों में तीन-तीन कुएं हो गये हों, लेकिन गाजीपुर, बलिया, और देवरिया आदि में आज भी हरिजनों के गांवों में कुएं नहीं है । कुछ जगहों पर हरिजनों को मकान बनाने के लिये सुविधा दी गई है, जैसे हमारे जिले में गाजीपुर में, मरदह में बनाये गये हैं । मैं जब उनको देखने गया तो मैंने देखा कि छप्पर में धुआंकश लगा हुआ है ।

मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री के सामने यह दरख्वास्त करूंगा कि इससे हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है । तीन दिन तक चाहे उनके यहां चूल्हा न जले लेकिन धुंआकश उनके मकान का हो गया । जब तक हरिजनों की मालीहालत ठीक नहीं होगी तब तक छोटे-मोटे अनुदानों से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है ।

एक, मेरा सुझाव यह है कि गांव-गांव में हरिजनों के लिये एक हाता बना दिया जाय जिसमें वह मरे हुये पशुओं को ले जाकर आसानी से सुरक्षित जगह पर उनकी खाल को उतार सकें । मैंने तो बहुत से गांवों में देखा कि वह बाहर खाल को उतारते हैं और जब खाल उतार कर छोड़ देते हैं तो कुत्ते उस मांस को ले जाकर बोई हुई फसल में रखते हैं । किसान भगवान लोग बिगड़ जाते हैं । बड़ी बुरी तरह से उनको पीटते हैं । इसलिये मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री के सामने इतनी दरख्वास्त पेश करूं कि इन हरिजनों के लिये गांव-गांव में एक हाता होना चाहिये ताकि मरे हुये पशुओं की खाल को आसानी से छुड़ा सकें ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आज उत्तर प्रदेश के हरिजनों के ऊपर.....

श्री उपसभापति—माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि इस ग्रांट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जो इस ग्रांट में है उसी पर बोलें ।

श्री रघुवीरराम—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जिनके पास कोई मालियत नहीं है जो गरीब भूखों मर रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको कर्ज मिलना चाहिये । जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जिनके पास कारखाने हैं, जिनके पास काफी धन का अम्बार लगा हुआ है, उनको सरकार कर्ज देती है और जब गरीब कर्ज लेने के लिये जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आपके पास कोई मालियत ही नहीं है । अगर देंगे पूंजीपतियों को तो गरीबों का क्यों नाम लिया जाता है कि यह कर्ज गरीबों को दिया जाता है । साफ उसमें लिखना चाहिये कि पूंजीपतियों, मिल मालिकों, सरमायादारों के लिये कर्ज दिया जाता है । इन गरीबों

[श्री रघुवीरराम]

को नहीं दिया जायगा । गरीबों के नाम पर पूंजीपतियों की झोलियों में कर्ज का पैसा भरा जाय यह कहां तक ठीक है ? मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले में कितना कर्ज पिछड़े हुये लोगों को, हरिजनों को, गरीबों को दिया गया है ।

श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग का समर्थन करता हूं । इस मद में अगर और रुपये की मांग होती तो भी सदन हर्षपूर्वक समर्थन करता । कर्ज इस समय दो चीजों के लिए परमावश्यक है जिससे प्रदेश का उत्पादन बढ़े और बेकारी दूर हो ।

मैं तो एक सुझाव दूंगा कि कर्ज हर साल वापस होता है । एक करोड़, दो करोड़ की रकम और बढ़ायी जानी चाहिए जिससे हम इस हालत में पहुंच जायं कि वह १०, २० करोड़, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ५० करोड़ रुपया तक सरकार की तरफ से कर्ज की व्यवस्था हो सके । छः करोड़ की आबादी है । तीन करोड़ आदमियों के ऐसे खानदान होंगे जिन्हें कर्ज की जरूरत होगी । कर्ज के सम्बन्ध में इस प्रदेश में जो कानून लागू है उससे देहातों में कर्ज देने वालों की संख्या घट रही है । किसानों को कर्ज मिलने में दिक्कत होती है । इसलिए वहां कर्ज देने की बहुत आवश्यकता है ।

इस कमी को बैंक द्वारा पूरा किया जा सकता है या सरकार द्वारा हो सकता है । इसलिये इसका प्रबन्ध करना सरकार का फर्ज हो जाता है । साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, कर्ज ग्रान्ट नहीं होता । कर्ज जो ले उसमें इतनी हैसियत होनी चाहिये कि वह उसको वापस कर सके । ऐसे आदमी भी हैं जिनको कर्ज से अधिक सहायता की जरूरत है । उनको ग्रान्ट देनी चाहिये । लेकिन कर्ज ऐसे आदमी को दें जो उसको वापस न करें यह कोई अच्छा उसूल नहीं मालूम होता । तो मैं कह रहा था कि दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए—उत्पादन बढ़े और बेकारी दूर हो । इसमें बिजली कम्पनियों को कर्ज देने की बात है । अगर बिजली कम्पनियों को कर्ज देने से उत्पादन बढ़ता है तो कर्ज देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देख लेना चाहिए कि वह बिजली कम्पनियां इससे अधिक लाभ तो नहीं उठातीं । उन बिजली कम्पनियों का अपने मजदूरों के साथ क्या व्यवहार है ? वह उनको बोनस देती हैं कि नहीं, उनको अच्छी तरह तनख्वाह देती हैं या नहीं, यह चीज देख लेने की परम आवश्यकता है । इस सरकारी रुपये से कोई ज्यादा मोटा न हो यह देखना बहुत अधिक आवश्यक है ।

साथ ही साथ इसमें जो व्यवस्था ट्रैक्टरों की है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है । जब कि समाज में यह सोचा जाय कि सीलिंग फिक्स होगी, जब एक तरह से माल मंत्री की यह नीति है, उन्होंने जो कर लगाया है उसका प्रत्यक्ष असर यह होगा कि लोगों के फार्म कम होंगे, लोग अपने फार्मों को बेचेंगे, उस हालत में ट्रैक्टर के लिए कर्ज देना कोई भली बात नहीं है । मैं तो कहूंगा कि कृषि के उपकरणों के लिए, खाद के लिए जितनी कर्ज की रकम रखी गई है वह बहुत कम है और मुझे आशा है कि जब कभी भी मौका मंत्री जी को मिलेगा इसके लिए और रकम की मांग वह सदन में करेंगे और सदन उसको सहर्ष स्वीकार करेगा ।

बेकारी दूर करने के लिए भी छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चलाने की और उसके लिए कर्ज की व्यवस्था होनी चाहिए । आज जो लड़के पढ़कर निकल रहे हैं, या सेकेंड्री स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं जिनको कि शार्ट टर्म, छोटे कारबार करने की शिक्षा दी जा सकती है या खुद कहीं से सीख लिए हैं, ऐसे आदमियों को थोड़ा बहुत कर्ज मिलना चाहिए, जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सकें । इन दो चीजों—कृषि और छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों—पर कर्ज देने की नितान्त आवश्यकता है और इसके लिए सदन में जितनी भी मांग की जायगी सदन उसे सहर्ष स्वीकार करेगा । इन्हीं सुझावों के साथ मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन––श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या ५२ में माननीय मंत्री जी ने जो रकम मांगी है उसमें माननीय रामायण राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में कुछ आपके द्वारा सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान संख्या ५२ की पूरी तफसील को ऐसा मालूम होता है, और बात भी सच है, कि अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए यह सरकार जिस तरह से प्रदेश में व्यवस्था कायम रखना चाहती है उसको ठीक करने के लिए सरकार ऋण देती चली जा रही है। श्रीमन्, इसमें दृष्टिकोण का प्रश्न है, यदि सरकार का दृष्टिकोण जनता के प्रति होता, सही माने में समाजवादी दृष्टिकोण होता, गरीबों की मदद करने का दृष्टिकोण होता, तो ऋण ज्यादा अधिक संख्या में गरीबों की कुटियाओं में जाता, हरिजनों और पिछड़ी जातियों के वर्ग में जाता। गांवों में जिनकी कोई पूछ नहीं, शाम को जिनके पास खाने को नहीं होता उनकी मदद में यह ऋण जाता। मगर चूंकि सरकार का दृष्टिकोण, लखनऊ के नये राजाओं का दृष्टिकोण है इसलिये पुराने राजाओं, कलकत्ता और बम्बई के पुराने रईसों को जैसे टाटा, बिरला और डालमिया जो हैं, उनको सारा का सारा ऋण दिया जाता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं अभी इसी सदन में माननीय राजनारायण जी ने प्रश्न किया था और वित्त मंत्री जी से यह पता चला कि ३ करोड़ का ऋण ऐसे पूंजीपतियों को प्रदेश में दिया गया है जिन्होंने आज तक फैक्टरी खोलने की तकलीफ नहीं की। जैसे हरदुआगंज में शुगर फैक्टरी नारंग साहब को खोलने के लिए दी गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं दी गयी।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ४० लाख रुपया पारसाल दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जब कि फैक्टरी का लाइसेंस नहीं दिया गया था तो आखिर वह ४० लाख रुपया पहले से कैसे दे दिया गया। यह रुपया इस तरह से लोगों को दिया जा रहा है। मुझे कोई ऐसा एतराज नहीं है अगर सरकार अपने लोगों को, अपने समर्थकों को खैरात देना चाहती है, मगर उसे लोन न कहा जाय। यदि वह रुपया बचता तो कहां जाता? रुपया जो जिले में गांव पंचायतें हैं, जिला बोर्ड हैं उनके पास जाता।

मैं कहना चाहता हूं अभी एक भाई ने बताया कि १२० नगरपालिकाओं को करीब ९७ लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि प्रदेश की तमाम नगरपालिकाओं में से कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनके पास मेहतरों के लिए अलग रहने के लिए बस्तियां हैं? श्रीमन्, नगरपालिकाओं के अन्दर यह मेहतर लोग जो रौरव नरक का जीवन बिता रहे हैं उसको कहना कठिन है। एक भी नगरपालिका को इस किस्म का ऋण नहीं दिया गया है जिससे वह भंगियों की बस्ती बना कर रखें।

दूसरी बात जिला बोर्ड्स की सड़कों की खराबी के सम्बन्ध में है। अभी माननीय सदस्यों ने जिला बोर्ड के अनुदान पर उनकी सड़कों के बारे में तथा और बातों की काफी शिकायतें कीं। यदि सरकार उनको काफी संख्या में रकम दे देती तो कम से कम देहात का अन्तिम छोर केन्द्र और सूबे से सम्बन्ध स्थापित कर लेता। हमारे वह इलाके जहां सरकार की कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, जहां आवागमन का कोई साधन नहीं है, वहां वह रुपया पहुंच सकता था और उससे यह फायदा होता कि दुनिया के सामने असली देहात खुल जाता। हमारा शरीर कितना जर्जर हो रहा है, आत्मा कितनी मर गई है इसका आभास दुनिया के लोगों को हो जाता। मगर श्रीमन्, मैंने इस सदन में कहा था जो घोड़ा पानी नहीं पीना चाहता उसको जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। सरकार नहीं चाहती कि मिर्जापुर, दुद्धी, देवरिया, आजमगढ़, बलिया के वह इलाके जिनके बारे में किसी पत्रकार को भी जानकारी नहीं है, न सरकार को है, न विदेशी पर्यटकों को है, वह लोग जानकारी करें। इसलिये सरकार जिला बोर्ड्स को अनुदान नहीं दे रही है और इसके कारण इतना बड़ा काम नहीं हो पा रहा है।

[श्री उग्रसेन]

श्रीमन्, शहरों में कुछ अनुदान कर्मचारियों को क्वार्टर्स बनाने के लिये दिया जा रहा है अच्छी बात है, देना चाहिये। जितने १०० रु० से कम पाने वाले कर्मचारी हैं उनको क्वार्टर्स मिलने चाहिये। लेकिन देखना यह है कि जो क्वार्टर्स बने हैं उनका कितना किराया है? उन क्वार्टर्स के एलाटमेन्ट में किन-किन दिक्कतों को सामना करना पड़ता है? जो सही मानी में गरीब हैं उनको क्वार्टर्स मिलते नहीं। २०-३० फीसदी तक उनकी तनख्वाहों में से काट लिया जाता है। सबसे बड़ी पोल यह है कि एक तरफ तो जब ये क्वार्टर्स कर्मचारियों को दिये जाते हैं तो किराया ज्यादा लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाता है तो उसमें कम किराया जोड़ा जाता है। १२ रुपया किराया लिया जाता है तो कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ४ रु० ३ आ० दिखाया जाता है। फिर तारीफ यह है कि मद्रास, बम्बई, बंगाल, सब का कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ऊंचा है, सब जगह मंहगाई है, लेकिन हमारे यहां सस्ती है। सरकारी क्वार्टर्स बनते हैं। १५-२० रुपये किराया लिया जाता है, लेकिन कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में वह तनख्वाह नहीं मानी जाती। इससे सारे हिन्दुस्तान के गरीबों का नुकसान होता है।

गांवों में बाढ़ के समय लाखों मकान गिर जाते हैं। १९५० से आज तक लोगों को कितनी तकावी मिली? २० आने मिली। श्रीमन्, हमारे यहां देवरिया जिले में और पूर्वी जिलों में सुअर को रखने के लिये एक छोटा सा छप्पर बनता है जिसको भोजपुरी भाषा में खोभार कहते हैं, उसके बनने में भी १० रुपये लग जाते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिये सरकार २० आ०, २ रु०, ३ रु० देती है। अगर सरकार मकान बनाने के लिये ऋण देना चाहती है तो मेरी यह मांग है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के लोगों की खासी मदद की जाय ताकि वे अपने मकान बनवा सकें और अपनी गुजर कर सकें।

सरकार ने जो कुछ कर्जे दिये हैं वे अनप्रोडक्टिव हैं। कुछ मकान बनाने के लिये कुछ क्वार्टर्स के लिये, कुछ सड़कों की मरम्मत के लिये दिये हैं और कुछ फैक्टरीज चलाने के लिये दिये हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि उन मदों में ऋण ज्यादा दिया जाय जिनके द्वारा उद्योग धंधे बढ़े और हमारी बेकारी दूर हो, हमारी मुसीबतें दूर हों, हमारी क्रय शक्ति बढ़े, जो भूखे मर रहे हैं उनको रोजी व रोटी मिले। इस तरह के मामलों पर सरकार ऋण दे। लेकिन ऋण ऐसे-ऐसे पूंजीपतियों को दिया गया है जैसे जैन, डालमिया और मजीठिया उनसे रुपये की वसूली के लिये आपने क्या इंतजाम किया है? मेरे गांव चेरो में कुर्क अमीन साहब ने एक बरकत मियां को ५ रुपये की सरकारी रकम वसूल न होने के कारण मुर्गा बनाया। मैंने इस पर लिखा पढ़ी की, लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से उसे न्याय नहीं मिला। जिनको कर्जे मिले हैं और उन्होंने फैक्टरीज नहीं बनाई हैं उनसे कर्जे वापस लिये जायं और बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के लोगों को वे कर्जे बांटे जायं ताकि वे मकान बना सकें। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण ही अलग है। यह ऋण तो दूसरे लोगों के लिये, जो मिलने वाले हैं, उनके लिये तथा अपनी पार्टी वालों के मकान बनाने के लिये है। इसीलिये आज हम गरीब किसान ऋण देने वाली योजना से मारे जा रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामायण राय जी ने जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव अनुदान संख्या ५२ की धनराशि पर किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो अनुदान उन्होंने रखा है वह देखने में तो बड़ा सुन्दर है और उससे भी ज्यादा सुन्दर उन्होंने अपना व्याख्यान देकर उसको सुन्दर बनाया कि इससे यह-यह काम किये गये हैं और यह-यह काम होंगे। यह बड़ी खुशी की बात होती यदि सरकार इन रुपयों का इस्तेमाल पिछड़ी जातियों के लिये या हरिजन जो पिछड़े हुए और बरबाद हैं, उनके लिये करती, तब इसका हमें विश्वास होता। नाम तो विकास का है और लोगों की हैसियत बढ़ाकर कर्ज देने का है, लेकिन यह कर्ज दिया किसको जाता है? श्रीमन, माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई

विष्ट जी हैं उन्हें ४०,००,००० कर्ज मिला है। पहले तो मैं सोचने लगा कि एक विष्ट जी इधर हैं और एक विष्ट जी उधर हैं इन्हीं को मिला होगा, लेकिन इनमें से दोनों को नहीं मिला है। उधर के विष्ट जी के कोई रिश्तेदार हैं, परमात्मा ने उनको बड़ा धनी बनाया है, करोड़ पती है उन्हें मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रकार से एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—श्रीमन्, यह सही है कि वह धन उनको दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—गलत हो या सही हो, किसी सदस्य के प्रति आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिये, जिनको धन दिया गया है उनके लिये आप कह सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मुझे मालूम हुआ है कि वह करोड़पती हैं और उनको २०-२० लाख का अनुदान कर्ज की शक्ल में दिया गया है और ४० लाख रुपया उनको मिला है और उस मिल का कहीं जिक्र तक नहीं है। इससे यह साबित हो जाता है कि इसकी शक्ल तो बहुत खूबसूरत बनायी गयी है, महज इसलिये कि इस सदन से यह पास हो जाय श्रीमन्, मुझे अपने एक क्षेत्र में, देहात में, रहने का मौका दिया गया है। वहां १०,००० रुपया एक सेठ को ट्यूबवेल लगाने के लिये मिला है। उसके लिये मैंने प्रश्न किया तो मालूम हुआ कि उसके नाबालिग बच्चों के नाम से जिनकी वालिया बच्चों की मां है, उसको १० हजार रुपये का कर्जा दिया गया है। मौके पर एक भी खेत बोया हुआ नहीं है। किसानों की जुती हुई खेती थी, कागज में लिखा नहीं था, उस सेठ ने उसको अपने नाम अलाट करा लिया ४०-५० एकड़ जमीन है और एक अनाज का पौधा माघ से कार्तिक तक में देखने को नहीं मिलेगा। मैं उसके लिये हर तरह की बाजी लगा सकता हूं और सजा तक भुगतने के लिये तैयार हूं, अगर मेरा बयान गलत पाया जाय। उसको १०,००० रुपया दिया गया है तकावी में। वह ठाठ से कर्जे पर चलाता होगा या उससे रोजगार करता होगा। आज तक वसूली का भी कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ। असेम्बली में जवाब मिल चुका है कि एक आदमी ने बना लिया है, दूसरे ने नहीं बनाया। बदकिस्मती से दो-दो मर्तबा सवाल किया, लेकिन सप्लीमेंटरी करने का मौका नहीं मिला कि जिससे मालूम होता कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कार्यवाही कोई हुई होगी तो वह भी केवल कागजी होगी, कोई अमली नहीं होगी। और बैल के लिये तकावी लेने वाले किसान को २०० और १०० रुपये के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर ५० रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। उसमें कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं कि वह दरख्वास्त पहले तहसील से रजिस्ट्रार के आफिस भेजी जाती है और यहां से वहां और वहां से यहां, जाने में कितने अधिकारियों के पास जाती है। इससे सभी माननीय सदस्य परिचित होंगे और जानते होंगे कि एक अधिकारी के पास से दूसरे के पास तक जाने में एक कागज को कितना समय लगता है और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है।

हमारे यहां आम तौर से यह मशहूर है कि सौ रुपया तकावी लेनी है तो ५० रुपया खर्च करना पड़ेगा। वह गरीब ब्याज के डर से और देहातों में जो महाजनों की कमी हो गयी है उससे मजबूर होकर रुपया लेने जाता है और आधा गंवा कर आता है। बड़ा अच्छा हो कि इस अनुदान को हरिजन समुदाय और पिछड़े वर्ग और उनके बच्चों के लिये रिजर्व कर दिया जाये, यह धन इनकी उन्नति के लिये इन्हें दिया जाय। इसमें लिमिट कर दी जाय कि चार हजार या दो हजार से ज्यादा वाले को कर्जा नहीं दिया जायगा। जिसकी जितनी खेती होगी उससे ज्यादा को नहीं दिया जायगा। उधर के बहुत से साथियों ने कहा है कि सीलिंग होने जा रही है और हमारे माननीय मंत्री जी उदार नीति अपना रहे हैं। ऐसे कानून बना रहे हैं कि ज्यादा रकबे के खेत न हो सकें तो फिर ट्रैक्टर्स के लिये कर्ज देने के क्या माने हैं? कुयें खोदे जायं, रहट के लिये तकावी दी जाय, यह बातें हों तो ठीक है लेकिन साथ ही कर्ज देने के नियम भी आसान बनाये जायं। बदवख्त मेरी तहसील का रजिस्ट्री आफिस हमारे यहां नहीं है, बल्कि

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

महाराजगंज जाना पड़ता है। इसके माने हैं कि आधी रकम कर्जा लेने वाले की खैरात में चली जाती है। लेकिन इसमें खैरात में नफा नहीं मिलता है। खैरात में तो यहां नहीं तो वहां मिल जाता है। अगर भ्रष्टाचार कहूं तो मंत्री लोग नाराज हो जायेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि दूसरा शब्द मेरे पास नहीं है मजबूरन कहना पड़ता है।

इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि ऐसी शर्तें लगाने की कृपा करें ताकि गरीब किसानों को आसानी से कुंये के लिए तकावी मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात तो आप कई बार दुहरा चुके हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—यह शर्त लगाकर आप रुपया देने की कृपा करें, लेकिन वह ऐसी सख्त न कर दी जायं कि उसको अदा करने के लिये किसान अपने सारे जीवन को दूसरे के हाथ में बेच दे या उसको जायदाद बेचने के लिये मजबूर किया जाय। इस प्रकार की शर्त नहीं रहनी चाहिये।

श्रीमन्, एक चीज मुझे और कहना है कि बागवानी के विकास के लिये ६,९०,००० रुपया रखा गया है और ९० लाख रुपया मकान बनाने के लिये है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह यह शर्त लगा दें कि १०० रुपये माहवार से कम आय वाले लोगों को ही यह कर्जा मिले नहीं तो जो यह ९० लाख रुपया रखा गया है उसको बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले ही लोग सहूलियत के साथ फोन पर ही बात कर के ले लेंगे और गरीब आदमी कभी भी नहीं पा सकेंगे।

श्रीमन्, इसके अन्दर दुग्ध यूनियन और घी ग्रेडिंग के लिये भी रुपया रखा गया है। यह काम बड़े-बड़े शहरों में ही चलने वाले हैं। अगर आपकी मंशा देहातों के उत्थान की है या गरीब जनता की मदद करने के लिये है तो यह सारा रुपया देहातों के लिये ही रखिये और इन मदों को खत्म कीजिये। कुओं तथा रहट वगैरह की जो मदें हैं उनमें इसको जोड़ दीजिये ताकि लोगों को ज्यादा तादाद में रुपया मिल सके।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के लिये करीब १८ लाख रुपया रखा गया है। इसके जो काम चल रहे हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। जो कर्जा दिया जाता है वह सारा का सारा बिल्डिंग में ही लग जाता है। वह कहां बनते हैं। अगर एन० ई० एस० ब्लाक्स के सेंटर में बने तब तो ठीक है और सेंटर के माने बीच में हैं भी। लेकिन यह एक किनारे पर बनते हैं। हमारे यहां के ब्लाक के सेंटर का क्षेत्र पश्चिम की तरफ आध मील है तो पूरब की तरफ २२ मील है, इसी तरह से उत्तर की तरफ ४ मील है तो दक्खिन की तरफ १४ मील है। हमने कहा कि किसानों को तथा ग्रामसेवकों आदि को आने जाने में तकलीफ होगी, इसलिये बीच में बनना चाहिये। तो कहा जाता है कि सरकार का आर्डर यही है कि वहां बनाये जायं जहां थाना हो, डाक हो, रेल हो जो जगह विकसित नहीं हैं वहां बड़ी मुश्किल है, फिर सेंटर शब्द ही बेकार है। बिल्डिंग पर पाबंदी लगा दी जाय और देहात के उत्थान के लिये रुपया दिया जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री गोविंदसिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गोविंदसिंह जी, आप बहुत देर में खड़े हुये हैं। मैं केवल ५ मिनट आप को दे सकता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा चाहिये भी नहीं। मैं तो सिर्फ कुछ सफाई देने खड़ा हुआ हूं। बदकिस्मती से कुछ ऐसा हो गया कि लोगों ने सोचा इसमें विष्ट नाम छपा हुआ है, तो यह रुपया मुझे ही दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—जो माननीय सदस्य यह कह रहे थे उनके दिमाग में यह साफ है कि इससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इसमें जो० एस० विष्ट ऐंड सन्स छपा है, लेकिन न तो मेरे कोई लड़का है और न इसका मुझसे कोई सम्बन्ध है। और फिर छपने में भी भूल हुई है।

श्रीमन्, मैं सेठों का कोई हिमायती नहीं हूं और जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा, अगर ऋण दिया जाता है तो किसी गरीब को देना चाहिये ताकि वह ऊपर उठे और तभी अमीर और गरीब दोनों बराबर आयेंगे।

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन यह और है कि जब कोई व्यक्ति इस सदन में न हो तो उसके खिलाफ, जिसका वह जवाब न दे सके, यह अच्छा नहीं होगा कि कोई बात कही जाय। और खास करके जिस ऋण का उन्होंने जिक्र किया वह तो इस साल चाहे जी० एस० विष्ट हों, चाहे डी० एस० विष्ट हों, किसी को कर्जा नहीं दिया गया। यह तो पिछले साल का है।

इसके अतिरिक्त यह मैं और कहना चाहूंगा कि ऋण का बड़ा दुरुपयोग आजकल किया जा रहा है। शासक पार्टी विशेष कर अपने किन्हीं भाइयों को, जो इलेक्शन में मदद देते हैं, उद्योग के बहाने या किसी बहाने, पहले उन्हें ऋण दे देती है। अगर किसी को एम० एल० ए० का या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैनी का टिकट नहीं दिया जा सका तो उसे खुश करने के लिए ऋण दे दिय जाता है और धीरे-धीरे वह राइट आफ हो जाता है। तो इस प्रथा को दूर करना चाहिये। मैं अपने जिले अल्मोड़े की बात श्रीमन् के सामने रखता हूं। एक ऐसी ही सोसायटी वहां पोलिटिकल सफरर्स की कायम की गयी है। उसको कम्बल बनाने के लिये ऋण दिया गया। लेकिन एक भी कम्बल वहां नहीं बना, सब खरीद कर उन्होंने रखे। पता मुझे ऐसे लगा कि एक आदमी कम्बल बुनने के लिये उन्होंने रखा जिसका उनसे झगड़ा हो गया तब उसने बताया कि सन् ५२–५३ में कम्बल बुनने के लिये वहां ताना लगाया गया था। वही ताना तब से लगा हुआ है और एक कम्बल भी नहीं बनाया गया।

इसके अलावा कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अल्मोड़े की मैं कहता हूं, वहां ३,४ अखबार हैं वहां एक अखबार को ३–४ बार कर्जा मिल गया और वह धीरे-धीरे राइट आफ भी हो रहा है और उसकी वसूली के लिये कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिये।

तीसरी चीज यह है कि जो ऋण आप गरीब किसान को देते हैं, अव्वल तो उससे ब्याज लिया ही न जाय, और अगर लिया जाता है तो बहुत नाममात्र को लिया जाय, क्योंकि रुपया तो आपको वापस होगा ही और उसे एक मदद मिल जायगी।

इसके अतिरिक्त मैं अल्मोड़े के शरणार्थियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वे बेचारे जब से पाकिस्तान से आये हैं तब से उनकी बड़ी बुरी हालत है। नगरपालिका, जिसने उन्हें कुछ मदद देने को कहा था, उसको तो आपने सुपरसीड कर ही दिया, और जो ऐडमिनिस्ट्रेटर वहां रखे गये हैं उन्होंने उनको घर बनाने के लिये जगह भी एलाट नहीं की। हमारी वजह से पाकिस्तान बना। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शासक थे उन्होंने शिमला या दिल्ली में बैठ कर देश का बटवारा तय कर लिया मगर शरणार्थी भाइयों की उसमें कोई राय नहीं ली गयी, मगर दुःख उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। तो उन बेचारों को ऋण, अनुदान और स्थान दे कर बसाया जाना चाहिये। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी से) मैं आपको इस शर्त पर समय दे सकता हूं कि श्री रामायणराय जी को कटमोशन पर बोलने के लिये समय नहीं दिया जायगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—जी हां, मैं तो बहुत थोड़ा समय लेना चाहता हूं। मैं माननीय रामायणराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपका ध्यान इस ग्रांट के सम्बन्ध में जो वाल्यूम है उस पेज के दूसरे की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें इस ग्रांट को ५२ नम्बर के ग्रांट की संज्ञा दी गई है। आप देखेंगे कि न तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कैपिटल अकाउन्ट में आती है और न रेवन्यू अकाउन्ट में। इसकी एक तीसरी मद बनी हुई है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह ७ करोड़ १६ लाख धनराशि खर्च की जा रही है इसमें कितना रुपया कैपिटल सोर्सेज से आने वाला है और कितना रुपया रेवन्यू सोर्सेज से आने वाला है; क्योंकि पहले यू० पी० का बजट बनाने वालों का यह तरीका था कि जितना लोन रेवन्यू एकाउन्ट से आता था उसको अलग रखा जाता था और जो कैपिटल एकाउन्ट से आता था उसको अलग रखा जाता था लेकिन यह कुछ नयी प्रणाली है। लोन्स ऐंड एडवान्सेज को अब एक नयी तीसरी मद में दिया जा रहा है। यह सब रुपया कंसोलिडेटेड फंड से आता है, लेकिन इसको दिखाया नहीं जा रहा है कि कहां से इस रुपये को ले रहे हैं। अगर कैपिटल सोर्सेज से ले रहे हैं तो कैपिटल एकाउन्ट में दिखाना चाहिये और रेवन्यू एकाउन्ट से ले रहे हैं तो रेवन्यू एकाउन्ट में दिखाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वह अलग-अलग रेट से चार्ज किया जाता है। कल्टीवेटर से कुछ रेट लेते हैं, तक़ावी के कुछ रेट्स हैं और इंडस्ट्रियल कार्य के लिये अलग रेट आफ इन्टरेस्ट हैं। इन सब के अलग-अलग रेट्स आफ इन्टरेस्ट हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भारत सरकार से अगर कोई लोन मिला तो भारत सरकार राज्य सरकार से ३ या साढ़े ३ परसेन्ट पर ब्याज लेती है, लेकिन राज्य सरकार उस रुपये को ५ परसेन्ट पर फिर ब्याज पर लगा देती है, यानी राज्य सरकार की हालत महाजन की तरह से हो जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ३ या साढ़े ३ परसेन्ट पर देती है और वह किसानों या नागरिकों को ५ या साढ़े ५ परसेन्ट पर दे देती है। यह नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार ब्याज पर रुपया देने के लिये राज्य सरकार को नहीं देती है, बल्कि उन लोगों को सहायता करने के लिये देती है। तो राज्य सरकार को वह रुपया उसी रेट आफ इन्टरेस्ट पर नागरिकों को देना चाहिये जिस रेट आफ इंटरेस्ट पर केन्द्रीय सरकार देती है।

तीसरी बात यह है कि सेकेंड फाइनेन्स कमीशन ने यह सिफारिश की है कि जितना भी रेट आफ इंटरेस्ट है उन सब को कंसोलिडेट किया जाना चाहिये। किसी से राज्य सरकार ४ परसेंट ले और किसी से ५ परसेंट, तो अगर ३ परसेन्ट भी लोन्स से मिलता है तो उसका यही ३ परसेन्ट का इंटरेस्ट कंसोलिडेट होना चाहिये। जितने ज्यादा इंटरेस्ट हैं उन सबको इसी लेबिल पर, यानी ३ के लेविल पर लाना चाहिये। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी सिफारिश है। अगर कोई रेट आफ इंटरेस्ट ३ से नीचे है तो उन सबको २.५ परसेन्ट के लेविल पर लाना चाहिये और इसको भी २.५ परसेन्ट पर कंसोलिडेट करना चाहिये। यह सेकेंड फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश मैन्डेटरी थी जिसको न राज्य सरकार ने माना और न भारत सरकार ने।

चौथी बात यह है कि शरणार्थियों के लिये जो कर्जा दिया जाता है, यानी जो रुपया भारत सरकार उनके लिये देती है उसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं होता है। मैं मिसाल देता हूं कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये २० लाख की रकम कर्जे की लिखी गई है। मुझे निश्चित रूप से यह सूचना है कि हिमांचल प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट का एक शक्ति फार्म है उसको बहुत ऊंचे रेट पर कम्पन्सेशन देकर ऐक्वायर किया जा रहा है। उसमें बंजर जमीन भी है। लेकिन हाई रेट आफ कम्पन्सेशन पर उसको तय किया जा रहा है। तो जो वह लाखों रुपया कम्पन्सेशन के रूप में दिया जायगा उसको इस बजट में लिखा गया है कि वह लोन माना जायगा बंगाल के रिफ्यूजीज के ऊपर। एक तो उस तरह की बंजर जमीन के लिये इतना अधिक रुपया देना ही गलत है, और फिर उससे भी गलत बात यह है कि इस प्रकार से हाई कास्ट पर उस जमीन को ऐक्वायर करके इतना हाई इन्टरेस्ट उन शरणार्थियों से चार्ज किया जाय। मैं समझता हूं जो १९५६-५७ में १ करोड़ था, उसे ३० लाख, यानी तिहाई, कर दिया गया है। जैसा मैंने मुख्य बजट भाषण में भी कहा था, यह हमारे औद्योगिक विकास के बिलकुल विपरीत है। जहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उद्योग प्रधान माना गया है, वहां काटेज इंडस्ट्रीज की धनराशि में ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की बहुत सी बातों के उत्तर दे दिये गये हैं। चारों ओर से पुकार आई कि जो पैसा हम कर्ज के रूप में बांटने जा रहे हैं वह मिल मालिकों के लिये है। मैंने सारे बजट को अच्छी तरह से देखा। इस अनुदान में एक भी आइटम ऐसा नहीं है जिससे यह बात प्रतीत होती हो कि डालमियां, बिरला या टाटा को पैसा दिया जा रहा है। एन० ई० एस० ब्लाक और आई० डी० ब्लाक में लगा हुआ पैसा इन लोगों के पास कैसे चला जायगा, यह समझ में नहीं आता।

भजनलाल जी ने तथा कुछ और सदस्यों ने कहा कि किछा में शुगर फैक्टरी के लिये ४० लाख रुपया एक बहुत बड़े आदमी को दे दिया गया है। इस अनुदान में कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है। बजट में २० लाख रुपया ५६–५७ में मिला और २० लाख ५७–५८ में मिला, यह ठीक है। ५६–५७ में माननीय सदस्यों द्वारा पुकार की जाती है कि वहां गन्ना बहुत होने से फैक्ट्री का प्रबन्ध होना चाहिये और इस प्रोडक्टिव परपज के लिये कोई आदमी सामने नहीं आता है, तो इसमें कसूर किसका है? ५६–५७ के लिये लोग कहते हैं कि कर्जा ले लिया। यह कर्जा उनके पास व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचा है। सारा रुपया बैंक में जमा है जो केवल उनको ३ परसेंट ब्याज देगा, लेकिन बाद में उनको अपनी जेब से ६ परसेन्ट ब्याज देना होगा। यह इस्तेमाल इसलिये नहीं हुआ कि जब ५६–५७ में पैसा दिया गया था तो हमारे यहां, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, फ़ारेन एक्सचेंज की कमी नहीं थी। उस समय कोई यह नहीं कह सकता था कि आगे चलकर मशीन लाने में दिक्कत होगी। इसलिए पैसा बैंक में जमा है, जिस पर उन्हें अधिक सूद देना होगा। उस पर उसको घाटा है, कसूर उसका नहीं है बल्कि फारेन एक्सचेंज की कमी की वजह से यह फैक्ट्री आजकल नहीं लग पायी।

जहां तक और माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, यह तो सभी लोगों ने पूरे तरह से माना है कि इसमें रुपये की कमी है। मैं इस तर्क को नहीं समझ सका कि जब हम बजट को प्रस्तुत करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें पैसे की आवश्यकता है, गरीबी दूर करने के लिये, तो उधर के बैठने वाले कहते हैं कि कर क्यों लगाये जाते हैं, उधर माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर इस अनुदान में ५० करोड़ रुपया भी रखा जाता तो थोड़ा होता। ठीक बात है, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार यह पैसा कहां से आयेगा? लेकिन जब पैसे का सवाल आता है तो कहा जाता है कि इस सूबे में दूसरे सूबे के मुकाबले में बहुत कर हैं। इस बात के होते हुये भी इसमें पैसे की कमी है।

मैसनरी वेल्स के बारे में कहा गया। गांवों की संख्या को देखते हुये यह कहा गया। वास्तव में गरीबी की जो हमारे सूबे में हालत है, जो दिक्कतें हैं, उन तमाम चीजों से यदि मुकाबला करें तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती कि यह रुपया बहुत कम है।

एक बात और कही गयी कि प्लानिंग कमीशन की सलाह लेकर सूद होना चाहिये था और जो व्यवस्था की गयी है, वह भी गवर्नमेंट आफ इंडिया को कान्टेक्ट में रखने के बाद करनी चाहिये थी। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी तादाद इस रुपये की गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा दी गयी है और इंटरेस्ट के रेट भी उन्होंने ही निश्चित किये हैं। लिहाजा यह कहना कि प्लानिंग कमीशन को कान्टेक्ट में नहीं रखा गया, यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती।

एक बात यह कही गयी है कि विशेष व्यक्तियों के लिये पैसा रखा गया है। मैं नहीं जानता कि यदि वह पैसा किसानों के लिये रखा गया है, तो क्या किसानों को विशेष व्यक्ति कहा जायगा? इसलिये उनका यह कहना भी ग़लत है।

इसके अतिरिक्त एक बात और कही गयी कि काटेज इंडस्ट्री के लिये जो रुपया बांटा गया, वह जिस प्रकार से बांटा जाना चाहिए था, नहीं बांटा गया और उसमें से हरिजनों को नहीं दिया गया। मैं उनकी जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि इस काटेज इंडस्ट्रीज की

[श्री धर्मसिंह]

ग्रान्ट में हरिजनों के लिये, पिछड़ी जातियों के लिये, अथवा किसी और जाति के लिये, ऐसा कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं रखा गया है। सर्वे के बाद जो भी व्यक्ति कर्जे के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं, वह पैसा उनको दिया जाता है, चाहे वह हरिजन हो, पिछड़ी जाति का हो अथवा किसी और जाति का हो। उधर के बैठने वालों की ओर से हरिजनों की बहुत बड़ी दुहाई दी गई, यहां तक कह दिया गया कि इस मद में जो भी कुछ पैसा मांगा गया है, उसका ९०, ९५ प्रतिशत हमको हरिजनों में ही बांट देना चाहिये था। आपका यह कहना उस दिन ज्यादा उपयुक्त होता जिस दिन हरिजनों से सम्बन्धित ग्रांट यहां प्रस्तुत होती। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि साहब, इस समय जहां तक हरिजनों की दशा का सम्बन्ध है, वह और पीछे गयी है। वे शायद इस बात को नहीं जानते, भुलावे में हैं। आखिर कौन सा तरीका है? केवल यह कहना कि साहब चोर आया, चोर आया और अन्त में चोर का कहीं पता नहीं, तो महज इस बात की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। क्या वे इस बात को नहीं जानते कि आज से १० वर्ष पहले विशेष रूप से हरिजनों की जो हालत थी क्या वही हालत आज भी है? जरा आंकड़ों को देखें। स्कूल के विद्यार्थियों को ले लीजिये, या सर्विसेज को ही आप ले लें, और उस डेमोक्रेसी में, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक रास्ता हमने अपनाया और हरिजन तथा नान-हरिजन का जहां तक सम्बन्ध है, हमने व्यापक रूप से उस खाई को पाटने की कोशिश की है। लिहाजा हरिजनों के नाम पर यह कहना कुछ उचित नहीं है। हां, देखना यह है कि गरीबी है, यह मानने की बात है, लेकिन आपके पास कौन सा तरीका है कि साहब, चिड़िया आयी और फुर्र किया, क्या तरीका हो सकता है? सब कहने की बातें हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से हजारों वर्ष की परम्पराओं को, गरीबी को क्या आप दो चार दिन या पांच, दस, साल में समाप्त कर सकते हैं? लिहाजा इस प्रकार की बात कहना और हरिजनों के नाम पर दोहाई देना कोई शोभा की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज ग्रांट का सम्बन्ध है, मेटिरिअल्स का सर्वे होना चाहिये। के तो मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि दो, तीन साल हुये उद्योग विभाग द्वारा यह सर्वे कराया गया था कि कहां-कहां पर कौनसी इंडस्ट्री लाभदायक हो सकती है, कौन सी इंडस्ट्री इस प्रकार की हैं जो पहले थीं और आजकल नहीं हैं। कौन से इस तरीके के मेटिरिअल्स हैं जिनको हमारी फैक्टरीज या हमारी जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं, वे अपना सकती हैं। इस ग्रांट द्वारा उद्योग विभाग की यह कोशिश है कि जितने भी हमारे पुराने उद्योग-धंधे हैं वे पनप सकें। लिहाजा यह जानने की कोशिश की जा रही है कि सरकार उन तमाम चीजों के लिये किस प्रकार की व्यवस्था करे।

आगे चलकर उपाध्यक्ष महोदय, सीवेज स्कीम का जिक्र किया गया है। मैंने पहले ही यह निवेदन कर दिया था कि यह स्कीम केवल कबाल टाउंस में ही लागू होगी। आगे चलकर एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, उनके लिये इस बजट के द्वारा और इस अनुदान के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मैं उनकी जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि विलेज हाउसिंग और प्रोजेक्ट स्कीम के नाम से इसके अन्तर्गत १६ लाख रुपये का अनुदान है। लिहाजा यह कहना कि शहर के लोगों को सरकार मालदार बनाती जा रही है, ठीक नहीं है। फिर एक बात यह कही गयी है कि जब मकान बन जायेंगे तो उनके एलाटमेंट वगैरह का भी झगड़ा होगा। जब वे कर्ज लेकर मकान बनावेंगे तो फिर एलाटमेंट वगैरह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनको कुछ न कुछ कहना चाहिये। एलाटमेंट का तो कोई प्रश्न ही यहां नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात विशेष रूप से कही गयी है कि ७, साढ़े ७ करोड़ रुपया जो इस अनुदान द्वारा लिया जा रहा है वह प्रोडक्टिव बिलकुल नहीं है। इस से किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। तो यह जो काटेज इंडस्ट्रीज को हम ग्रांट दे रहे हैं, या और तमाम चीजों पर खर्च कर रहे हैं, कल्टिवेटर्स को जो रुपया दे रहे हैं, क्या ये सभी अनप्रोडक्टिव

और क्या इनसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा ? क्या इससे और भी चारों तरफ जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह नहीं होगी ? ऐसी बात कहना कोई शोभा की बात नहीं है। जहां तक रूल्स की बात कही गई, वह तो केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू है। इतना कहने के बाद मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं और जो सुझाव दिये गये हैं वह नोट कर लिये गये हैं और सम्बन्धित विभागों को वह बातें भेज दी जायंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२ की धनराशि में १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वांइट आफ आर्डर, मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २०२ की ओर दिलाना चाहता हूं . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप संक्षेप में कह दें, उसे पढ़ें नहीं, जो उसका आशय है वही कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उसको मैं बता दूं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप सारांश ही कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस अनुच्छेद २०२ में दिया हुआ है कि "वार्षिक वित्त विवरण में व्यय के प्राक्कलन में दिये हुये जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित हैं उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, तथा राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, पृथक्-पृथक् दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायगा।" तो संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउन्ट में होगा उसका अन्य व्यय से भेद किया जायगा और अलग दिखाया जायगा।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनट और समय बढ़ा दिया जाय या जब तक यह पारित न हो उस समय तक . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अभी तो वह बोल रहे हैं, आप बैठें।

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप चाहते क्या हैं यह बतायें ? संविधान में जो है वह तो ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा निवेदन यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत सी मदें ऐसी हैं जो इस अनुदान में आती हैं। इस में साफ-साफ नहीं बताया गया है कि इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितनी धनराशि है और दूसरे से कितनी है, भेद करके अलग-अलग नहीं बताया गया। इसलिये यह ग्रांट संविधान की धारा २०२ के विरुद्ध है। . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें। यह प्रश्न आपने पहले भी उठाया था और आपने स्वयं यह कहा था कि यह सारा व्यय कंसोलिडेटेड फंड से कर्ज लेकर किया जाता है जो बजट की परम्परा के अनुकूल है। इसलिये मैं समझता हूं यह प्रश्न नहीं उठता।

(कुछ ठहर कर)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२---ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक--त---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७,१६,२७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामायणराय---मैं डिवीजन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप देर में उठे, मैं निर्णय दे चुका हूं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२७ फरवरी, १९५८ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर ।)

१—श्री गोविन्द कृष्ण त्रिवेदी, मुंसिफ ।
२—श्री नयमुस सकालेन अंसारी, प्लानिंग आफिसर ।
३—श्री रामेश्वर सहाय, जुडीशियल आफिसर ।
४—श्री मुहम्मद आजिम खां, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ।
५—श्री मुंशी लाल संगल, असिस्टेंट इन्जीनियर ।
६—श्री एस० एन० दुबे, डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ।
७—डा० जी० एस० सैगल, मेडिकल आफिसर पाली डिस्पेन्सरी ।
८—डा० विशन नारायण, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ ।
९—श्री एस० ए० एच० जाफरी, लाइव स्टाक अधिकारी ।
१०—श्री परमेश्वरी दयाल, हाकिम खजाना ।

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर।)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, बढ़पुरा इटावा में (जो १ जुलाई, १९५७ को खुला था) ३१ जनवरी, १९५८ तक किये गये विकास-कार्यों की सूची।

क्रमांक	कार्य का विवरण	पूर्ति अभ्युक्ति
१	रबी बीज वितरण	२,९१५ मन १४ सेर
२	नये बीज गोदाम चालू किये गये	१
३	रासायनिक खादों की पूर्ति—	
	अमोनियमसल्फेट	७७ मन ३० सेर
	सुपर फास्फेट	१७ मन १३ सेर
	मिक्सचर	३३ बोरे
	खली की खाद	८७ मन
४	कृषि के उपकरणों की पूर्ति एवं विक्रय :—	
	मेंकार्मिक कल्टीवेटर	१
	चारा काटने की मशीन	३५
५	पहाड़ियों में बुवाई तथा वन विकास व बंधिया ..	८०
६	कृषि प्रदर्शन	२५४
७	बेकार भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया ..	१६ एकड़
८	नये उद्यानों की संख्या	४
९	लगाये गये वृक्षों की संख्या	११५४
१०	पक्के कुयें एवं पुराने कुओं की मरम्मत	१०
	पशु-पालन	
१	बधिया किये गये बछड़े	३५
२	पशु-प्रदर्शनी एवं प्रतियोगितायें	२
३	वितरित पुरस्कारों की संख्या	३०
४	पशुओं को टीके लगाये गये	६४०
	सहकारिता	
१	नई प्रारम्भिक सहकारी समितियां	२
२	सहकारी समितियों के सदस्य	४७
३	हिस्से की पूंजी व अमानत	२,६८६ रुपया
४	वितरित की गयी ऋण राशि	५७,००० रुपयो
	जन-स्वाथ्य	
१	नव निर्मित कूपों की संख्या	४
२	वर्तमान कुयें जिनका सुधार हुआ	१३
३	पानी सोखने के गढ़ढे बने	३७२

क्रमांक	कार्य का विवरण	पूर्ति अभ्युक्ति
४	धूम्र रहित चूल्हे बनाये गये	१४
५	चक्षु-चिकित्सा शिविर	१ मोतियाबिन्द के ७२ आपरेशन हुये । २६८ आउट डोर पेशेन्ट ।
१	भजन कीर्तन	६२०
	पंचायत	
१	कच्ची सड़कें बनी	४ मील (१ फ० १५९३० घ० १ फी०)
२	कच्ची सड़कों की मरम्मत की गयी	१७ मील ७ १/२ फ०
३	मिट्टी का परिमाण घनफीटों में	१३,४९,६५८ घ० फी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर।)

नौतनवा विकास क्षेत्र और लक्ष्मीपुर छाया खण्ड में लगने वाले नलकलों और बनने वाले कुओं की सूची

ग्रामों का नाम	बनने वाले कुओं की सूची	मरम्मत होने वाले कुओं की सूची	लगने वाले हाथ नलों की संख्या
१—नौतनवा ब्लाक			
१—कोहडौल		१	२
२—जगन्नाथपुर ..	१	२	४
३—सोमाली		..	१
४—लक्ष्मीनगर		..	१
५—हथिगढ़वा		..	१
६—बैरठवा ..	१	..	..
७—बरवाकला ..	१	..	..
२—लक्ष्मीपुर ब्लाक			
१—शिवपुर कला ..			१
२—सवरधीरा ..			१
३—बैदयनाथपुर ..			१
४—टेंढी ..			१
५—एकमा ..			१
६—मुडेरा ..			१
७—कैथबलिया पाठक			२
८—सोधी		..	१
९—बैकनिया		१	..
१०—भैंसहा		१	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नौतनवा और लक्ष्मीपुर ब्लाकों में किये जाने वाले मुख्य विकास कार्यों की सूची

१—नौतनवा ब्लाक

१—सिंचाई के कुओं का निर्माण	९३
२—कुओं की बोरिंग	४७
३—रहट	३६
४—पम्पिंग सेटों का लगाया जाना	१४
५—प्राइमरी स्कूल जो खुलेंगे	२१
६—पंचायतघर एवं पुस्तकालय	३३
७—कच्ची सड़कों का निर्माण	११ मील ४८ फर्लांग
८—पानी पीने के कुयें	५५
९—हाथनल	१८०
१०—पक्की नालियां	७,०४० गज

२—लक्ष्मीपुर ब्लाक

१—सिंचाई के कुयें	४५
२—कुयें की बोरिंग	२८
३—रहट	१७
४—पंचायतघर	५५
५—नई कच्ची सड़क	४ मील
६—पुलियां	१२३
७—पानी पीने के कुयें	२२
८—हाथनल	९६

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर।)

सूची १

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में विशेषकर मेरठ व आगरा कमिश्नरी के जिलों में सितम्बर, १९५७ में अधिक वर्षा का विवरण

क्रम-संख्या	जिला	माह सितम्बर १९५७ की कुल औसत वर्षा (इंचों में)	माह सितम्बर को सामान्य औसत वर्षा (इंचों में)
१	मेरठ	१४.३७	५.०१
२	बुलन्दशहर	१८.२५	४.८३
३	सहारनपुर	१५.६७	६.०१
४	मुजफ्फरनगर	१९.५३	५.५९
५	मुरादाबाद	१७.६२	६.३०
६	अलीगढ़	१०.२६	४.६०
७	एटा	९.८६	५.१४
८	आगरा	८.५३	४.५५
९	मैनपुरी	७.६२	५.२५
१०	बदायूं	१०.२९	५.९९
११	मथुरा	८.८२	४.३८
१२	बरेली	१०.८४	७.८९
१३	बिजनौर	२०.०५	७.२७
१४	रामपुर	१७.६२	उपलब्ध नहीं है।
१५	शाहजहांपुर	८.८४	७.१४
१६	पीलीभीत	१२.८४	८.४५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर।)

सूची २

अति वर्षा तथा बाढ़ से अनुमानित हानि का विवरण

क्रम-संख्या	जिला		प्रभावित जन-संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	क्षति-ग्रस्त तथा नष्ट हुए मकानों की संख्या	जीवों की हानि		फसल की हानि (आनों में)	अन्य सम्पत्ति की हुई हानि (रुपयों में)
						मनुष्य	पशु		
१	मेरठ	..	१,७८,२३५	४६०	३४,६६६	२६	१०२	२ आने से ६ आने	६२,४५०
२	बुलन्दशहर	..	१,७३,६२४	७६५	३१,६१२	१०	२०	६ आने से १६ आने	१०,०००
३	सहारनपुर	..	६८,४२७	२६१	२०,८०६	८	३१	४ आने से १२आने	७,५८,६७७
४	मुजफ्फरनगर	..	१,५६,४०६	४०२	३६,४३०	२३	१७६	४ आने से १२आने	२,२०,०००
५	मुरादाबाद	..	३,००,०००	८००	१२,०००	२	..	६ आने से १४ आने	..
६	अलीगढ़	..	१,५६,६१०	८२८	१५,४००	२२	६५	४ आने से १६ आने	२०,३०३
७	एटा	..	१६,१८३	४५५	१२,६२१	५	२१	४ आने से १६ आने	१०,४००
८	आगरा	..	१,६६,२३५	२७६	१,६६५	..	२	२ आने से १६ आने	सही उपलब्ध नहीं है।
६	मैनपुरी	..	७६,८६६	६५१	३,३६६	६	३२	४ आने से १२ आने	१६,०७३
१०	बदायूं	..	१,६१,६६७	७३१	१३,८६६	४	४७	१४ आने	१५,५००
११	मथुरा	..	७८,६६०	३००	८,६८४	८	१२३	४ आने से ६ आने	५०,०००
१२	बरेली	..	१,०४,८८६	५६८	१,२७२	..	..	४ आने से १४ आने	३७,६६२
१३	बिजनौर	..	१,५७,१३८	८७५	५३,८२४	१७	३८२	२ आने से १६ आने	५,२६,०३६
१४	रामपुर	..	७८,४००	२४५	६४४	..	४	४ आने से १४ आने	..
१५	शाहजहांपुर	..	१,०१,६२५	४४१	८०५	१	१	४ आने से १२ आने	१०,१००
१६	पीलीभीत	..	३५,०५२	१२२	४५३	३	१	८ आने से १४ आने	१०,०००

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर ।)

जनवरी, १९५७ से जनवरी ३१, १९५८ तक जिला बदायूं के ग्रामों में अग्नि-कांड

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
	तहसील सहसवां
१	बहबलपुर
२	रसूलपुर कलां
३	टोंटपुर केरसेरी
४	सुक्कारा
५	अदमपुर
६	रदनौल अजीजपुर
७	खुलहैट
८	भवानीपुर खैस
९	नाधा
१०	मलिकपुर बिछोला
११	मुहम्मदपुर हज्जाम
१२	शाहनगर पटपेर गंज
१३	शेहवाज पुर
१४	बरनी घाट
१५	खेरपुर खेराती
१६	जिनौरा
१७	मलसाई यूसफपुर खाम
१८	अकबराबाद
१९	काताया कसर
२०	अकारा पुखता
२१	जौनेरा
२२	बतरइया
२३	बसतुइया
२४	कमालपुर जालूनगर
२५	गोपाल गंज
२६	धूरनपुर
२७	रसूला
२८	बतरचोया
	तहसील गुन्नौर
२९	राम नगर तप्पा बेस
३०	रामपुरा रायपुर
३१	यूसुफपुर दन्दा
३२	गुनौर अबदुलहाई
३३	देवतारा खाम
३४	मौरिमपुर
३५	गुनौर काजी
३६	खजूरी
३७	दौतारा हरलाल
३८	हुसायनपुर
३९	शमशपुर गंग
४०	अहरोला
४१	बिच्छोला भूर
४२	नंदपुर
४३	जमालपुर
४४	दिनौरा
४५	दिलतीपुर
४६	खगुपुरा
४७	घनारी पट्टी वालू शंधकेर
४८	गरहा
४९	नियुरा
५०	मिरोत्ती
५१	सिकन्दरपुर खास
५२	चन्दू नगला
५३	कमालपुर
५४	पुथरी
५५	इसमपुर पुखता
५६	बिलासपुर
५७	रवेरा
५८	महराजपुर मजरा पुसवाली
५९	किरतपुर
६०	किरतिया
६१	गुनौर फजैल
६२	मखदूमपुर
६३	खलीलपुर
६४	ववराला
६५	लहरा नगला श्याम
	तहसील बिसौली
६६	बेवीपुर
६७	सिरसवां
६८	जसरतपुर
६९	टिकोरी
७०	जगथरा

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
७१	पियुपरी रघुनाथपुर	१००	घास नगला मजरा ससोमाई
७२	घिमेरपुरा	१०१	सेरहा
७३	जरेन्धा	१०२	लवहारी
७४	मियानपुर दियोसी	१०३	ककराल पुरव
७५	उरेना	१०४	भियोन
७६	उलाहा	१०५	विछोला मिर्जापुर
७७	जजेरपुर बखतपुर	१०६	बिरवा डंडी चांदपुर
७८	शेखूपुरा	१०७	हलदी खेरा
७९	गंदरौली		तहसील बदायूं
८०	नगला वाशा	१०८	बदायूं
८१	पिवारी	१०९	मौजापुर नेहनगर
८२	लक्ष्मीपुर	११०	सरौता
८३	सालनपुर	१११	नौशेरा
	तहसील दातागंज	११२	खुरवारा
८४	भुनड़ी	११३	जागपुरा
८५	तिरमल नगला माजरा जाती	११४	सिरसौली
८६	बाली नगला मजरा खेरा जलालपुर	११५	जलनधारी सरई
८७	यूसीहत	११६	कछौरा
८८	हुसनपुर मजरा मैलहा	११७	कछला
८९	मैलहा	११८	जियोरा पटवाला
९०	पुरेनी	११९	कदर चौक
९१	रौरी	१२०	लभरो
९२	मलिकपुर बुद्धा	१२१	गभवारी
९३	पथरामाई मजरा खेरा जलालपुर	१२२	रहमा
९४	खितौरा घनौरा	१२३	उपरैला
९५	नगरिया खन्नू	१२४	सकरी कासिमपुर
९६	सलेमपुर	१२५	जग्गूपुरा
९७	मरौरी	१२६	सैनियापुर
९८	असगौना मजरा डेवरिया	१२७	माई बच्चन
९९	मुझियाना	१२८	मूरा मद रौल
		१२९	बलिया
		१३०	तातरपुर
		१३१	गुलरया
		१३२	उझोंली
		१३३	इकरी बिसयानी
		१३४	सिलहारी